''शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थितिः बाराबंकी जनपद का समाजशास्त्रीय अध्ययन''

(Right to Education Act and Educational Status of Girls in Rural Area: A Sociological Study of Barabanki District)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ से

समाजशास्त्र विषय में डॉक्टर आफ फिलॉसफी की

उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबंध

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

प्रो0 बीरेन्द्र नारायण दुबे
(शोध निर्देशक)

संगीता कुमारी
(शोध–छात्रा)
(नामांकन संख्या–201/12)

समाजशास्त्र विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
2018

उद्घोषणा

मैं, संगीता कुमारी यह घोषणा करती हूँ कि मैंने "**शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थितिः बाराबंकी जनपद का समाजशास्त्रीय अध्ययन**" (**Right to Education Act and Educational Status of Girls in Rural Area: A Sociological Study of Barabanki District)** विषय पर शोध कार्य प्रो0 बीरेन्द्र नारायण दुबे, समाजशास्त्र विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। पीएच0 डी0 की उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध–प्रबन्ध मेरा मौलिक कार्य है। प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दि0.....

संगीता कुमारी
(शोध–छात्रा)
समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ

CERTIFICATE

This is to certify that the thesis titled **''शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थितिः बाराबंकी जनपद का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (Right to Education Act and Educational Status of Girls in Rural Area: A Sociological Study of Barabanki District)** submitted by **Sangeeta Kumari** is an original research work and has not been previously submitted in part or full the award of any other degree or diploma to this or any other University.

The thesis submitted to **Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow** satisfies all the requirements as stipulated in the *Doctor of Philosophy (Ph.D.) Regulations–1999 as amended in 2008/2010/2013* and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the University.

Date: ----------

Supervisor

Head of the Department

समर्पण

मेरी माता

श्रीमती बसन्ती देवी

एवं

मेरे पिता

श्री नन्द कुमार

उनके संघर्षमयी जीवन को

आभार

कोई भी महत्वपूर्ण एवं अच्छा कार्य बिना किसी के सहयोग के पूर्ण नहीं होता है। मेरा इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में कई विद्वानों, माता–पिता, भाई एवं मित्रों का सहयोग रहा। मैं इन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर ऋण मुक्त नहीं होना चाहती, बल्कि इस योग में इन सबकी महत्ता को प्रतिष्ठित करना चाहती हूँ।

इस शोध कार्य के लिए प्रेरित व निर्देशित करने वाले परम् श्रद्धेय प्रो0 बीरेन्द्र नारायण दुबे जी की मैं ऋणी हूँ। जिन्होंने समय–समय पर मेरा उत्साहवर्धन करके मुझे प्रेरणा दी है और मेरी समस्याओं को सुलझाया है। इस प्रकार उनके सहयोग के बिना प्रस्तुत कार्य अपना वर्तमान स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकता था। अतः उनके प्रति मेरा कोटि–कोटि धन्यवाद।

समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो0 कामेश्वर चौधरी जी, प्रो0 मनीष कुमार वर्मा जी, प्रो0 बिभूति भूषण मलिक जी, डॉ0 जया श्रीवास्तव जी तथा डॉ0 बृजेश कुमार जी ने समय–समय पर अपना मार्गदर्शन दिया जो मेरे शोध के लिए काफी कारगर साबित हुआ। मैं विभाग के उन सभी कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सहयोग के बिना शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था।

प्रस्तुत कार्य घर परिवार के सदस्यों के सहयोग के बिना असम्भव था। मैं अपने पिता श्री नन्द कुमार तथा माता श्रीमती बसन्ती देवी एवं अपने बड़े भाई दिलीप कुमार तथा अपने पति डॉ0 अशोक कुमार जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने तन, मन से सहयोग देकर मेरा विश्वास और आत्मबल बनाये रखा तथा शोध कार्य पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते रहे। मै विशेष रूप से अपने पीएच0 डी0 सीनियर डॉ0 अमित कुमार तथा डॉ0 प्रशान्त चौधरी की आभारी हूँ जिन्होने समय–समय पर मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कार्य किया और अपने सुझाव प्रदान किये। इसके अलावा मेरे इस शोध कार्य में सहयोग देने के लिए शोधार्थी मित्रों डा0 नरेन्द्र गुप्ता, शैलेन्द्र सिंह, शशिपाल, सिद्धार्थ कुमार और उन सभी

सहृदयी व्यक्तियों के प्रति जो कि मेरे इस शोध कार्य में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोगी रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

मैंने सामग्री संकलन हेतु पुस्तकालयों का सहयोग लिया है जिसमें मैं प्रमुख रूप से मैं गौतम बुद्ध पुस्तकालय (बी0बी0ए0यू0) लखनऊ, रविन्द्रनाथ टैगौर पुस्तकालय लखनऊ तथा अमीरउद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी कैसरबाग, लखनऊ, के स्टॉफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने पुस्तकों को खोजने तथा पुस्तकालय में पढ़ने में मेरी भरपूर मदद की।

अन्त में मैं उन सभी उत्तरदाताओं के रूप में शामिल बालिकाओं, अभिभावकों तथा अध्यापकों का भी मैं सहृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अध्ययन से सम्बन्धित प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया। बिना इनके सहयोगात्मक रवैया के यह कार्य संभव न था।

शोध–छात्रा

संगीता कुमारी

विषय–सूची

पृष्ठ

उद्घोषणा

प्रमाण–पत्र

आभार

तालिका सूची

अध्याय 1 परिचय **1–49**

भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति

भारतीय संविधान में बालिका शिक्षा

मानव अधिकार में बालिका शिक्षा

साहित्य समीक्षा

अध्ययन समस्या

उद्देश्य

उपकल्पना

अध्ययन पद्धति, प्रारुप तथा क्षेत्र

निदर्शन का आकार

अध्ययन का उपकरण

अध्याय योजना

अध्याय 2 भारत वर्ष में शिक्षा आयोग एवं कार्यक्रम **50–102**

शिक्षा आयोग या कठोरी आयोग (1964–66)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राममूर्ति समीक्षा समिति (1990)

जर्नादन समिति रिपोर्ट (1992)

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992)

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005)

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (1986)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1996)

सर्व शिक्षा अभियान (2001)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)

निष्कर्ष

अध्याय 3 बाराबंकी जनपद का सामाजिक तथा शैक्षणिक स्वरूप 103–112

भौगोलिक स्थिति

साक्षरता दर

शैक्षणिक स्थिति

सिद्धौर विकास खण्ड

भौगोलिक स्थिति

साक्षरता दर

शैक्षणिक स्थिति

निष्कर्ष

अध्याय 4 ग्रामीण बालिकाओं की समाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि 113–130

अध्याय 5 ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति 131–151

अध्याय 6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति पर इसका प्रभाव 152–177

अध्याय 7 निष्कर्ष 178–191

ग्रन्थ सूची 192.200

परिशिष्ट

तालिका सूची

ता0 सं0		पृष्ठ सं0
1.1	भारत में साक्षरता दर दशकीय (1901 से 2011 तक) प्रतिशत	2
1.2	प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) स्तर पर बालिका नामांकन स्थिति	3
1.3	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर बालिका नामांकन स्थिति	3
1.4	अनुसूचित जाति लड़कियों की नामांकन स्थिति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर (प्रतिशत)	3
1.5	अनुसूचित जनजाति लड़कियों की नामांकन स्थिति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर (प्रतिशत)	3
1.6	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2010–11 में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर (प्रतिशत)	4
1.7	स्कूल न जाने वाली 11–14 साल की लड़कियाँ	4
1.8	भारत में शैक्षिक संस्थान की संख्या	5
1.9	प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक नामांकन स्थिति (लाख में)	6
1.10	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में नामांकन स्थिति (लाख में)	7
1.11	स्कूल छोड़ने की दर सभी	8
1.12	अनुसूचित जाति में स्कूल छोड़ने की दर	9
1.13	अनुसूचित जनजाति में स्कूल छोड़ने की दर	10
3.1	बाराबंकी जिले का जनसांख्कीय विवरण	106
3.2	कक्षा 1 से 8 तक नामांकित बच्चों की संख्या	107
3.3	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नामांकित बच्चों की संख्या (2011–12)	107
3.4	विभाजित श्रमिकों की संख्या (मुख्य एवं हाशिये वाले)	108
3.5	सिद्धौर विकासखण्ड का जनसांख्कीय विवरण	109
3.6	सिद्धौर विकासखण्ड में शैक्षिक संस्थान	109
3.7	जनगणना 2011 के अनुसार सिद्धौर विकासखण्ड में साक्षरता दर	110
4.1	विद्यालयानुसार बालिकाओं के जाति का वर्गीकरण	113
4.2	सामान्य वर्ग से सम्बधित बालिकाओं की उपजातियाँ	114
4.3	अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बधित बालिकाओं की उपजातियाँ	115
4.4	अनुसूचित जाति से सम्बधित बालिकाओं की उपजातियाँ	116

4.5	अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बधित बालिकाओं की उपजातियाँ	116
4.6	बालिकाओं के धर्म का वर्गीकरण	117
4.7	बालिकाओं के परिवार के प्रकार का वर्गीकरण	118
4.8	बालिकाओं के मकान का प्रकार	119
4.9	बालिकाओं के पिता का शैक्षिक स्तर	121
4.10	बालिकाओं की माता का शैक्षिक स्तर	122
4.11	बालिकाओं के परिवार के आर्थिक श्रेणी का वार्गीकरण	123
4.12	बालिकाओं के पिता का व्यवसाय	125
4.13	बालिकाओं की माता का व्यवसाय	126
4.14	बालिकाओं के पिता की मासिक आय	127
5.1	चयनित विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएँ तथा पठन–पाठन सामग्री (सिद्धौर बाराबंकी)	132
5.2	अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाने का तरीका	134
5.3	विद्यालय में विषय के अतिरिक्त अन्य कुछ सिखायें जाने की स्थिति	135
5.4	अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का लिखित परीक्षा लेने का तरीका	136
5.5	विद्यालय में छात्रों हेतु बैठने की व्यवस्था	136
5.6	अध्यापक की शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण	137
5.7	अध्यापक की प्रशिक्षण योग्यता का वर्गीकरण	138
5.8	अध्यापक के पद का स्वरूप	139
5.9	विद्यालय में पुरूष एवं महिला अध्यापकों की संख्या	140
5.10	विद्यालयानुसार छात्र–अध्यापक अनुपात की संख्या	141
5.11	विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की वयवस्था	141
5.12	विद्यालय में छात्रवृत्ति की व्यवस्था	142
5.13	विद्यालय में निःशुल्क पुस्तकें/स्कूल ड्रेस का मिलना	142
5.14	प्रतिदिन विद्यालय जाने वाली बालिकाओं की स्थिति	143
5.15	प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाने का मुख्य कारण	144
5.16	प्रतिदिन विद्यालय में मध्यान्ह मिलने वाले भोजन को पसन्द करना	145
5.17	बालिकाओं द्वारा हिन्दी विषय को पढ़ने की स्थिति	146
5.18	बालिकाओं द्वारा अंग्रेजी विषय को पढ़ने की स्थिति	147
6.1	लिंग आधार पर विद्यार्थियों की नामांकन संख्या	153
6.2	कक्षावार विद्यार्थियों की नामांकन संख्या	154

6.3	विद्यालय स्वरूप अनुसार विद्यालय में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या	156
6.4	समाजिक श्रेणी आधार पर विद्यार्थियों की नामांकन संख्या	157
6.5	कक्षावार विद्यार्थियों की नामांकन एवं ड्राप आउट संख्या	158
6.6	समाजिक श्रेणी आधार पर विद्यार्थियों की नामांकन एवं ड्राप आउट संख्या	159
6.7	शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बालिका नामांकन स्थिति में सुधार के सन्दर्भ में अध्यापक का मत	159
6.8	स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार के सन्दर्भ में अध्यापकों का मत	160
6.9	बालिकाओं की शैक्षणिक अपलब्धि में सन्तोषजनक सुधार के सन्दर्भ में अध्यापकों का मत	161
6.10	बालिका शिक्षा में सुधार लाने हेतु सुझाव के सन्दर्भ में अध्यापक का मत	162
6.11	प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के उपाय के सन्दर्भ में अध्यापक का मत	164
6.12	अभिवावक का अपनी लड़की को शिक्षित करने का उद्देश्य	166
6.13	अपने लड़के/लड़की को शिक्षा में समान अवसर देना	167
6.14	लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के सन्दर्भ में मत	167
6.15	लड़की की इच्छानुसार पढ़ाने के सन्दर्भ में अभिभावक का मत	168
6.16	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी	168
6.17	शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस माध्यम से जानना	169
6.18	प्राईवेट स्कूल में 25 प्रतिशत का आरक्षण मिलने के प्रति जानकारी	170
6.19	प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पर कैपिटेशन फीस का लिया जाना	171
6.20	विद्यालय मे सुविधा होने के प्रति जानकारी	171
6.21	अभिभावक का विद्यालय में बुलाई गई मीटिंग में भाग लेना	172
6.22	बच्चों की शैक्षिक प्रगति को अध्यापक से जानना	172
6.23	विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में जानकारी	173

अध्याय– 1

परिचय

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश की ग्रामीण आबादी लगभग 84 करोड़ है। यह कुल आबादी का तकरीबन 70 प्रतिशत है। 84 करोड़ ग्रामीण आबादी में करीब 48 प्रतिशत महिलायें है। दूसरे शब्दों में कहे तो देश की करीब 40.32 करोड़ महिलायें गांवों में रहती है। कई सामाजिक, आर्थिक, सर्वेक्षण शोध और आँकडें इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ग्रामीण भारत गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी, अन्धविश्वास जैसे–सामाजिक, आर्थिक, अभिशापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्द्र और विभिन्न राज्यों की सरकारों ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये कई कार्यक्रम व स्कीमें शुरू की। लेकिन, सच यह है कि ग्रामीण माहिलाओं के जीवन स्तर में सन्तोषजनक परिवर्तन नहीं आया। ज्यादातर योजनायें आंशिक रूप से ही परिणाम दे सकीं हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में बालक–बालिकाओं की समान शिक्षा पर समान बल दिया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप महिला शिक्षा की दिशा में प्रगति हुयी हैं।

विश्व स्तर पर हमारा भारत देश हर तरह से सम्पन्न और प्रगतिशील माना जाता है। लेकिन इस पूरे प्रगतिशील दौर में आज भी देश में शिक्षा का स्तर अधिक चिंताजनक बना हुआ है। देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के लागू होने के बाद भी भारत में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में संतोषजनक सुधार नहीं हो पाया है। शहरों और महानगरों में जरुर बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति सुधरी हैं, परन्तु दूर–दराज ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं तथा आदिवासी बालिकाओं के लिए स्कूल जाना एक बड़ी चुनौती है। सन् 1950 भारत में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में प्रतिबद्धता का प्रावधान किया था। अनुच्छेद–45 के तहत इसे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल किया गया है तथा संविधान के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य रुप से शिक्षा मिल जानी चाहिए थी, परन्तु यह नहीं हो सका। देश में सभी को समान शिक्षा मिले वर्ष 2009 में निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया, परन्तु अभी भी लाखों बच्चें स्कूल नहीं जाते हैं। एक **गैर सरकारी संस्था क्राई (चाइल्ड राइट्स एण्ड यू)** की

रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 5 तक आते–आते सरकारी स्कूलों के 25 फीसदी छात्र–छात्रायें पढ़ाई छोड़ देते हैं और कक्षा 8 तक आते–आते तकरीबन 46 फीसदी बच्चे स्कूल जाना बन्द कर देते हैं। 6–14 साल तक की उम्र के 80,43,889 बच्चों का कभी स्कूल में नाम नहीं लिखा गया और वे स्कूलों से बाहर हैं।

शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे भारत में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। 2011 की जनणना के अनुसार भारत में जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 74.9 प्रतिशत है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत है। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी महिला शिक्षा के लिये विशेष प्रयास करना आवश्यक है।

महिला साक्षरता दर

तालिका– 1.1 भारत में साक्षरता दर दशकीय (1901 से 2011 तक) प्रतिशत

क्र0 सं0	जनगणना वर्ष	कुल साक्षरता	साक्षरता का प्रतिशत		पुरुष–महिला में
			पुरुष	महिला	साक्षरता दर का अन्तर
1	1901	5.35	9.83	0.60	9.23
2	1911	5.92	10.56	1.05	9.51
3	1921	7.16	12.21	1.81	10.40
4	1931	9.50	15.59	2.93	12.66
5	1941	16.10	24.90	7.30	17.60
6	1951	18.33	27.16	8.86	18.30
7	1961	28.30	40.39	15.33	25.05
8	1971	34.95	45.95	21.67	23.99
9	1981	43.67	56.50	29.85	26.62
10	1991	52.51	64.13	39.29	24.84
11	2001	64.83	75.26	53.67	21.69
12	2011	74.09	82.14	65.46	16.68

स्रोतः स्टेट ऑफ लिटेरेसी, जनगणना–2011, पेज नं0 102, 103

तालिका– 1.2 प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) स्तर पर बालिका नामांकन स्थिति

वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009 – 10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
भारत	47.8	48.1	48.2	48.4	48.5	48.4	48.6	48.8	48.7

स्रोतः एलीमेन्टरी एजूकेशन इन इंण्डिया : टेन्ड्रस 2013–14

तालिका– 1.3 उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर बालिका नामांकन स्थिति

वर्ष	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
भारत	45.8	46.5	47.0	48.6	48.1	48.4	48.6	48.8	48.7

स्रोतः एलीमेन्टरी एजूकेशन इन इंण्डियाः टेन्ड्रस 2013–14

तालिका– 1.4 अनुसूचित जाति लड़कियों की नामांकन स्थिति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर (प्रतिशत)

	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
वर्ष	2009–10	2010–11	2011–12	2009–10	2010–11	2011–12
भारत	48.45	48.50	48.12	48.13	48.50	48.64

स्रोतः डी0आई0एस0ई0 2011-12 : फ्लैश स्टैटिसटिक्स

तालिका– 1.5 अनुसूचितजनजाति लड़कियों की नामांकन स्थिति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर (प्रतिशत)

	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
वर्ष	2009–10	2010–11	2011–12	2009–10	2010–11	2011–12
भारत	48.62	48.53	48.49	47.47	48.16	48.66

स्रोतः डी0आई0एस0ई0 2011-12 : फ्लैश स्टैटिसटिक्स

उपरोक्त तालिका 1.2, 1.3, 1.4 एवं 1.5 के आंकड़े भी यह संकेत करते हैं। कि भारत में बालिकाओं के स्कूल नामांकन दर में वृद्धि हुई है। वही सामाजिक वर्ग के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की बालिकाओं के नामांकन

दर में भी पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है। अतः यह कह सकते हैं कि बालक–बालिकाओं के नामांकन में हुई यह वृद्धि पिछले दशकों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार का परिणाम है। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्तर पर 6–14 वर्ष आयु के बच्चों में स्कूल नामांकन दर में 96.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा विद्यालय छोड़ने की दर में कमी भी आयी है।

तालिका– 1.6 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2010–11 में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर (प्रतिशत)

कक्षा	कुल	लड़का	लड़की
1 से 5 तक	6.50	6.92	6.07
6 से 8 तक	6.56	7.01	6.08

स्रोतः डी0आई0एस0ई0 2011-12 : फ्लैश स्टैटिसटिक्स

तालिका 1.6 से यह स्पष्ट होता है कि बालक–बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आयी है। परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो स्कूल छोड़ने की बालकों की दर अपेक्षा बालिकाओं की अधिक है। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा पर सर्वेक्षण करने वाले संगठन 'असर' की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में स्कूल न जाने वाली 11–14 साल की लड़कियों से सम्बन्धित विभिन्न आँकड़े इस प्रकार है।

तालिका– 1.7 स्कूल न जाने वाली 11–14 साल की लड़कियाँ

	स्कूल न जाने वाली 11–14 साल की लड़कियां		
राज्य	2009	**2010**	**2011**
उत्तर प्रदेश	4.9	9.7	11.5
राजस्थान	12.2	12.1	8.9
बिहार	6.0	4.6	4.5
झारखण्ड	8.9	4.9	6.4
भारत	6.8	5.7	5.2

स्रोतः असर रिपोर्ट 2011

भारत में शैक्षिक संस्थान

भारत में 2000–01 से 2014–15 में शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। जो तालिका 1.8 के आकडों से स्पष्ट होता है।

तालिका– 1.8 भारत में शैक्षिक संस्थान की संख्या

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	कॉलेज	विश्वविद्यालय
2000-01	6387	2063	877	384	10152	254
2005-06	7726	2885	1060	536	16982	350
2006-07	7849	3056	1122	574	19812	371
2007-08	7878	3252	1138	592	23099	406
2008-09	7788	3656	1221	642.29	27882	440
2009-10	8199	3941	1222	717	25938	436
2010-11	7485	4476	1312	720.46	32974	621
2011-12	7143	4788	1283	841	34852	642
2012-13	8539	5778	2189	1224	35525	667
2013-14p	8589	4215	1335	1036	36634	723
2014-15p	8471	4251	1553	1093	38498	760

स्रोतः एजूकेशनल स्टेटिक्स एट ए ग्लांस, (प्रोविजनल) 2016, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली

तालिका 1.8 के आँकडों से स्पष्ट होता है कि 2000–01 में प्राथमिक विधालय की संख्या 6387 हजार थी, वही 2013–14 में बढ़कर 7906 हजार हो गई। उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या 2000–2001 में 2063 हजार थी जो 2013–14 में बढकर 4011 हजार हो गई। माध्यमिक की संख्या 2000–01 में 877 हजार थी, 2013–14 में बढकर 1313 हजार हो गई। उच्च माध्यमिक की संख्या 2000–01 में 384 हजार थी, जो 2013–14 में बढकर 1026 हजार हो गई । इसी प्रकार कालेज की संख्या 2000–01 में 10152 हजार थी परन्तु 2013–14 में बढकर 36671 हजार हो गई और विश्वविद्यालय की संख्या 2000–01 में 254 हजार थी जो 2013–14 में बढकर 712 हजार हो गई। अतः स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है।

तालिका– 1.9 प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक नामांकन स्थिति (लाख में)

वर्ष	प्राथमिक (I-V)			उच्च प्राथमिक (VI-VIII)			मध्यमिक (IX-X)		
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग
2001-01	640	498	1138	253	175	428	116	74	190
2005-06	705	616	1321	289	233	522	145	105	250
2006-07	711	626	1137	299	246	545	149	110	259
2007-08	711	644	1355	311	262	573	159	123	282
2008-09	706	647	1353	314	270	584	165	130	294
2009-10	697	639	1336	317	278	595	169	138	307
2010-11	701	646	1348	327	292	619	175	143	319
2011-12	726	672	1399	331	299	630	186	155	341
2012-3(p)	681	639	1321	329	314	643	181	162	343
2013-4(p)	672	628	1300	337	320	657	195	175	370

स्रोतः एजूकेशनल स्टेटिक्स एट ए ग्लांस, (प्रोविजनल) 2014, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली

तालिका 1.9 से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर लडका–लडकियों का नामांकन जहां 2000–01 में 640 लाख (लडकों का) तथा (लडकियों का) 498 लाख था वहीं 2013–14 में बढकर लड़कों का नामांकन 672 लाख हो गया तथा लड़कियों का 628 लाख हो गया। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर जहाँ बालको का नामांकन 2000–01 में लडकों का नामांकन 253 लाख है तथा लड़कियों का 175 लाख है तो वहीं 2013–14 में लड़को का नामांकन 337 लाख है तथा लड़कियों का 320 लाख है। माध्यमिक स्तर पर लड़कों का नामांकन दर 116 लाख है तथा लडकियों का 74 लाख था। वहीं 2013–14 में बढ़कर लड़कों का नामांकन दर 195 लाख हो गया तथा लड़कियों का 175 लाख हो गया।

तालिका–1.10 उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में नामाकंन स्थिति (लाख में)

वर्ष	उच्च माध्यमिक (XI-XII)			उच्च शिक्षा		
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग
2001-01	61	38	99	54	32	86
2005-06	78	56	134	88	55	143
2006-07	81	60	140	96	60	156
2007-08	93	70	163	106	66	172
2008-09	95	74	169	112	73	185
2009-10	99	79	178	124	83	207
2010-11	109	86	195	155	120	275
2011-12	116	94	210	162	130	295
2012-3(P)	106	92	198	163	133	296

स्रोतः एजूकेशनल स्टेटिक्स एट ए ग्लांस, (प्रोविजनल) 2014, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली

तालिका 1.10 से स्पष्ट है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में लड़को का नामांकन दर 2000–01 में 61 लाख तथा लड़कियों का 38 लाख था। परन्तु 2013–14 में बढकर लड़कों का नामांकन दर 106 लाख तथा लड़कियों का 92 लाख हो गया। उच्च शिक्षा स्तर पर लड़को का नामांकन 2000–01 में 54 लाख तथा लड़कियों का 32 लाख था वहीं 2012–13 में बढकर लड़कों का नामांकन 163 लाख तथा लड़कियों का 133 लाख है। उल्लेखनीय है कि लड़का–लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है। अतः तालिका 1.9 एवं 1.10 के अनुसार यह कहा जा सकता है कि चाहे प्राथमिक स्तर हो या उच्च प्राथमिक स्तर माध्यमिक हों या फिर उच्च माध्यमिक स्तर हो सभी स्तरों पर बालक–बालिकाओं के नामांकन दर में वृद्धि हुई है।

तालिका– 1.11 स्कूल छोडने की दर (सभी)

वर्ष	कक्षा (I-V)			कक्षा (I-VIII)			कक्षा (I-X)		
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग
2005-06	28.7	21.8	25.7	48.7	49.0	48.8	60.1	63.6	61.6
2006-07	24.6	26.8	25.6	46.4	45.2	45.9	58.6	61.5	59.9
2007-08	25.7	24.4	25.1	43.7	41.3	42.7	56.6	57.3	56.7
2008-09	29.6	25.8	27.8	41.1	36.9	39.3	54.0	54.4	54.2
2009-10	31.8	28.5	30.3	41.1	44.2	42.5	53.3	51.8	52.7
2010-11	29.0	25.4	27.4	40.6	41.2	40.8	50.2	47.7	49.2
2011-12	23.4	21.0	22.3	41.5	40.0	40.8	48.6	52.2	50.3
2012-13(P)	23.0	19.4	21.3	41.8	35.7	39.0	50.4	50.3	50.4
2013-14(P)	21.2	18.3	19.8	39.2	32.9	36.3	48.1	46.7	47.4

स्रोतः एजूकेशनल स्टेटिक्स एट ए ग्लांस, (प्रोविजनल) 2014, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली

तालिका 1.11 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि कक्षा 1–5 तक स्कूल छोड़ने की दर तुलनात्मक रुप से देखें तो लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 2005–06 में 28.7 प्रतिशत थी तथा लड़कियों में 21.8 प्रतिशत थी। वहीं 2013–14 में लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 21.2 प्रतिशत तथा लड़कियों में 18.3 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार कक्षा 1–8 तक लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 2005–06 में 48.7 प्रतिशत तथा 49.0 प्रतिशत थी। वहीं 2013–14 में लड़कों का 39.2 प्रतिशत तथा 32.9 प्रतिशत है। माध्यमिक स्तर कक्षा 1–10 तक 2005–06 में लड़कों का स्कूल छोड़ने की दर 60.6 प्रतिशत तथा लड़कियों का 63.6 प्रतिशत थी। वहीं 2013–14 में लड़कों का स्कूल छोड़ने की दर 48.1 प्रतिशत हो गई तथा लड़कियों का 46.7 प्रतिशत हो गई। अतः स्पष्ट है कि लड़कों एवं लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में पहले की अपेक्षा कमी आयी है। परन्तु यह भी स्पष्ट है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर आज भी अधिक है।

तालिका–1.12 अनुसूचित जाति में स्कूल छोडने की दर

वर्ष	कक्षा (I-V)			कक्षा (I-VIII)			कक्षा (I-X)		
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग
2005–.06	32.1	33.8	32.9	53.7	57.1	55.2	68.2	73.7	70.6
2006–.07	32.3	39.9	35.9	51.6	55.0	53.1	66.6	72.7	69.0
2007–.08	34.4	24.5	30.1	53.6	51.1	52.5	68.1	68.9	68.4
2008–09	29.6	23.0	26.6	50.3	43.3	47.3	59.6	6.1	59.8
2009–10	33.7	25.6	30.0	50.8	51.5	51.2	58.5	59.7	59.0
2010–11	30.2	23.4	27.1	46.8	39.1	43.4	57.4	54.2	56.1
2011–12	22.3	24.7	23.5	43.3	36.4	40.2	55.0	55.6	55.3
2012–13 (p)	20.9	17.4	19.2	43.3	35.3	39.7	55.6	48.4	52.5
2013–14 (p)	17.7	15.4	16.6	42.4	34.4	38.8	51.8	48.0	50.1

स्रोतः एजूकेशनल स्टेटिक्स एट ए ग्लांस, (प्रोविजनल) 2014, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली

तालिका 1.12 से स्पष्ट हेाता है कि कक्षा 1–5 तक 2005–06 में अनुसूचित जाति के लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 32.1 प्रतिशत थी तथा लड़कियों की 33.8 प्रतिशत थी वहीं 2013–14 में लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 17.7 प्रतिशत हो गई तथा लड़कियों की 15.4 प्रतिशत हो गई। कक्षा 1–8 तक 2005–06 में लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 53.7 प्रतिशत थी एवं लड़कियों की 57.1 प्रतिशत थी। परन्तु 2013–14 में लड़कों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आयी है जो 42.4 प्रतिशत है। वहीं लड़कियों का 34.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 1–10 तक 2005–06 में लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 68.2 प्रतिशत थी तथा लड़कियों की 73.7 प्रतिशत थी। वहीं 2013–14 में लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 51.8 प्रतिशत हैं तथा लड़कियों में 48.0 प्रतिशत हैं। अतः स्पष्ट है कि 2005–2013 तक के वर्ष में अनुसूचित जाति के लड़कों एवं लड़कियों में स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार हुआ है। पर यहॉ यह भी सत्य है कि लड़कियों में आज भी स्कूल छोड़ने के संदर्भ में लड़कों की तुलना में अधिक है। इसके पीछे कहीं–कहीं न कहीं सामाजिक, आर्थिक कारण है जो आज भी लड़कियों की शिक्षा में बाधक है।

तालिका– 1.13 अनुसूचित जन जाति में स्कूल छोडने की दर

वर्ष	कक्षा (I-V)			कक्षा (I-VIII)			कक्षा (I-X)		
	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग	लड़का	लड़की	योग
2005 -06	40.2	39.3	39.8	62.9	62.9	62.9	48.0	79.2	78.5
2006 -07	30.6	35.8	33.1	62.8	62.2	62.5	77.3	79.1	78.1
2007 -08	31.0	31.7	31.3	62.6	62.3	62.5	76.0	78.0	76.9
2008 -09	36.0	35.1	35.6	58.5	30.0	59.2	75.4	76.8	76.0
2009 -10	38.1	35.4	36.8	54.6	59.1	56.8	74.5	75.3	74.9
2010 -11	37.2	33.9	35.6	45.7	55.4	55.0	70.6	71.3	70.9
2011 -12	36.1	34.4	35.3	57.3	57.1	57.2	64.4	67.6	65.9
2012-13(P)	33.3	31.2	32.3	50.6	47.5	49.2	63.2	62.2	62.7
2013-14(P)	31.9	30.7	31.3	49.8	46.4	48.2	63.2	61.4	62.4

स्रोतः एजूकेशनल स्टेटिक्स एट ए ग्लांस, (प्रोविजनल) 2014, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली

तालिका 1.13 से ज्ञात होता है कि कक्षा 1–5 तक अनुसूचित जनजाति के लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 2005–06 में 40.2 प्रतिशत थी तथा लड़कियों की 39.3 प्रतिशत थी। वहीं 2013–14 में लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 31.9 प्रतिशत हो गई एवं व लड़कियों की 30.7 प्रतिशत हो गई। कक्षा 1–8 तक 2005–06 में लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 62.9 प्रतिशत थी और लड़कियों की 62.9 प्रतिशत। परन्तु 2013–14 में यह घटकर लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 49.8 प्रतिशत हो गई तथा लड़कियों में 46.4 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार कक्षा 1–10 तक लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 2005–06 में 48.0 प्रतिशत थी तथा लड़कियों की 79.2 प्रतिशत थी जो अब घटकर 2013–14 में लड़कों में स्कूल छोड़ने की दर 63.2 प्रतिशत है एवं लड़कियों की 61.4 प्रतिशत हो गई है। अतः स्पष्ट हेाता है कि अनुसूचित जनजाति में भी लड़कों एवं लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर में कमी आयी है।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में अगर हम चाहे शैक्षिक संस्थान की बात करें या शैक्षिक संस्थानों में नामांकन की बात करें या फिर स्कूल छोड़ने की स्थिति की बात करें सभी पर दृष्टि डालें तो पता चलता है स्वतन्त्रता के बाद प्रत्येक दशकीय वर्षों में सभी में वृद्धि हुई है।

बाधायें– भारत की विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौती पर विचार करना आवश्यक है। आज भी समाज में महिलाओं की ओर देखने का दृष्टिकोण भेदभावकारी है? परिवार में बालक–बालिकाओं को समान व्यवहार नहीं मिलता? बालकों को जहां परिवार का आधार माना जाता है वही बालिका को माता–पिता एक जिम्मेदारी के रुप में देखते हैं। विवाह आदि में पनपी हुई कुछ कुरीतियों के चलते जन्म से ही कन्या का स्वागत पूरे मन से नहीं होता। यही भाव बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता कारण है। बालक की शिक्षा में धन लगाने को भविष्य का निवेश मानते है और बालिका की शिक्षा को निरर्थक व अनुपयोगी समझा जाता है। इस मानसिकता के कारण ही प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के शिक्षा से विरत (ड्राप आउट) होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। शिक्षित समाज भी यह नहीं समझ पाया कि बालिका को शिक्षा से वंचित करना कन्याभ्रूण हत्या के समान ही महापाप है। इस समस्या के उपाय हेतु सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा लगभग पूरी बालिका शिक्षा को निःशुल्क किया गया। आज भारत के लगभग सभी राज्यों में सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं का कोई शुल्क नहीं लगता या नाममात्र का होता है। कुछ राज्यों में इसका सकारात्मक परिणाम भी मिला। पर विडंबना यह है कि जिन राज्यों में शिक्षा का अनुपात कम है वहां पर सामाजिक कुरीतियां और भेदभाव अधिक है। सामाजिक विषमता है इसलिए महिला शिक्षा का अभाव है। अतः यह कहा जा सकता है कि बालिका शिक्षा की राह में बाधायें सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण प्रमुख रूप से आज भी विद्यमान है।

भारतीय संविधान तथा बालिका शिक्षा

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान में यह सुनिश्चित किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद (45) में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद बालिका शिक्षा की स्थिति को सुधारने एवं सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 1986 ई0 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गयी।

इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना 1992 में देश के सभी 14 वर्ष तक के बच्चों को 21वीं शताब्दी में जाने से पूर्व शिक्षित किये जाने हेतु भरसक प्रयास करने की बात कही गयी जिसमें मुख्य तीन बातों पर जोर दिया गया था–

1. सार्वजनिक पहुँच।
2. 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा–क्षेत्र में बनाये रखना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाना ताकि सभी बच्चे आवश्यक स्तर तक कि शिक्षा प्राप्त कर सकें।

तत्पश्चात् सन् 2002 के 86वें संवैधानिक अधिनियम ने प्रारम्भिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार बना दिया। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने एवं गुणवत्ता परक शिक्षा उपलबध कराने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे– सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मिल योजना, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, परन्तु यह सभी कार्यक्रम भी अपने लक्षित उद्देश्य तक पहुँचने में असफल रहे हैं। हालांकि सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम से आज भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के नामांकन दर में वृद्धि हुई है तथा बच्चों में ड्रापआउट की दर में भी कमी आयी है, परन्तु सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बालिकायें शिक्षा से वंचित है तथा उनका शैक्षिक स्तर निम्न है।

बच्चे देश का भविष्य होते हैं, भावी कर्णधार होते हैं। आज भी देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, जो शिक्षा से वंचित है जिसमें बालिकाओं की संख्या अधिक है। भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने एवं शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सन् 2002 से 86वें संविधान संशोधन विधेयक को अध्याय 3 के अनुच्छेद 21(A) में शामिल कर इसे मूलभूत अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया है। साथ ही अनुच्छेद 51क में अनुच्छेद 51(A) जोड़कर बच्चों को शिक्षा देना माता–पिता का मौलिक कर्त्तव्य भी बना दिया गया है। यह अधिनियम 2009 में संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक के रूप में पारित किया गया जो कि 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया है। इस

प्रकार अब भारत में 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं।

भारत के संविधान की उद्देशिका में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का लक्ष्य रखा गया हैं। ये लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित किये गये हैं। सभी नागरिकों के अन्तर्गत महिला और पुरुष सम्मिलित हैं। भारत के संविधान के समस्त उपबन्ध पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं के लिए भी हैं। संविधान के कतिपय उपबन्ध ऐसे हैं, जो महिलाओं को विशेष रुप से प्राप्त है। अधिकार के रुप में इन संवैधानिक उपबन्धों का उल्लेख निम्न अनुच्छदों के अन्तर्गत किया गया है –

अनुच्छेद 14– इस अनुच्छेद में यह प्रावधानित है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों को "कानून के समक्ष समानता" तथा कानून का समान संरक्षण देगा चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।

अनुच्छेद 15– भारतीय संविधान में यह व्यवस्था स्पष्ट है कि महिला पुरुष दोनों को समानाधिकार प्रदान किया जाए अर्थात् राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 19– इस अनुच्छेद में दोनों को समान रुप से अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 21– यह अनुचछेद स्त्री–पुरुष दोनों को प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार देने का उपबन्ध करता हैं।

अनुच्छेद 21(क)– 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया है।

अनुच्छेद 23– सर्वविदित है कि भारतीय समाज में महिलाओं का क्रय–विक्रय तथा बेगार सदियों से समाज का एक हिस्सा बन कर चले आ रहे हैं। इस व्यवस्था पर

संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा काफी सीमा तक रोक लगाई है ताकि महिलाओं का शोषण रेाका जा सकें।

अनुच्छेद 24– चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने या खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिरोध करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना हैं।

अनुच्छेद 45– राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51(ए)– अनुच्छेद 51(क) में अनुच्छेद 51(ए) जोड़कर बच्चों को शिक्षा देना माता–पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है।

मानव अधिकार तथा बालिका शिक्षा

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र की धारा–26 में शिक्षा के अधिकार की बात की गयी है। अनुच्छेद–26 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मानवीय अधिकार है।

कन्वेंशन आन द राइट ऑफ द चाइल्ड : इसके अन्तर्गत सन् 1992 में भारत ने बाल अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को स्वीकार किया। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में बालक–बालिका को समानता पर बल दिया गया और यह उल्लेख किया गया है कि कन्वेंशन में निर्धारित अधिकार लिंग का भेदभाव न करते हुए सभी बच्चों के लिए है। बाल–अधिकारों पर कन्वेंशन बालिका को उत्तर जीविता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, भागीदारी और विकास का अधिकार प्रदान करता हैं

भारत में शिक्षा नीतियाँ एवं कार्यक्रम

स्वतन्त्रता उपरान्त भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया।

1. **शिक्षा आयेाग या कठोरी आयेाग (1964–66)** : शिक्षा में विकास के लिए 1948 ई0 में राधाकृष्णनन आयेाग व 1952 ई0 में मुदालियर आयेाग की स्थापना की गई। इन आयोगों की संस्तुतियाँ आंशिक से क्रियान्वित की जा सकी जिससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार कम हुआ और खामियाँ अधिक आ गई। अतएव इन अवगुणों को दूर करने के लिए 1964 ई0 में एक अन्य शिक्षा आयेाग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों की समीक्षा की तथा प्राथमिका शिक्षा के बारे निम्न सुझााव दिये थे –
    1. 1975–76 तक 5 वर्ष की प्रभावपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हर बालक के लिए होनी चाहिए। 1986 तक सात वर्ष की शिक्षा हर बच्चे के लिए लिए हो।
    2. हर राज्य को प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएँ बनानी चाहिए।
    3. प्राईमरी स्कूल हर बच्चे को एक मील से तीन मील के अन्दर ही मिलना चाहिए।
    4. पहली कक्षा में 5–7 वर्ष के बच्चे लिए जाएँ।
    5. कक्षा 1–7 तक अपव्यय बहुत कम हो 80% से अधिक सफलता हो।
    6. कक्षाओं में प्रगति की रफ्तार 80–100% तक हो। अकारण ही बालक को फेल न किया जाये।
    7. प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्थनीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनाया जाए। इस पाठ्यक्रम में भाषा, अंकगणित, सामाजिक विषय, सामान्य ज्ञान, स्थानीय उद्योग सम्बन्धी विषय रखें जाएँ।
2. **नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)**–राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक नया आयाम है। देश में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए और सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 1986 ई0 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रमुख रुप से निम्न बातों पर ध्यान दिया गया था –

1. 6–14 वर्ष तक के समस्त बालकों को विद्यालय में नामांकित तथा उनका विद्यालय में टिके रहना सुनिश्चित करना।
2. शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाना। विद्यालय मे ंपाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन पर जोर दिया जायेगा।
3. प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा इसके लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड अभियान चालु किया जायेगा
4. स्कूल छोड़ देने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल केन्द्रित तथा गतिविधियों पर आधरित होनी चाहिए।

भारतीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा : इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बालिका शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। शिक्षा नीति का भाग–4 तो लगभग पूरी तरह से बालिका शिक्षा को ही समर्पित था। इस भाग में बालिका शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित बातें कही गयी है :

1. महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा
2. प्रौढ़ शिक्षा में महिलाएँ
3. महिला निरक्षरता दूर करने का प्रयास
4. निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता

भारत में लगभग प्रत्येक स्तर पर बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है। चाहे घर हो या बाहर, समाज हो या राजनीति। हर जगह महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। अभिभावक अपने बालकों को तो स्कूल भेजना चाहते है लेकिन बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वे उदासीन होते हैं। ग्रामीण अभिभावक तो आज भी मानते हैं कि बालिकाओं को तो आगे चल कर घर का कामकाज संभालना है इसलिए उन्हें शिक्षा देने से क्या लाभ? शिक्षा नीति में इस मानसिकता को बदलने की बात कही गयी है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि भेदभाव न बरतने

की नीति पर जोरदार तरीके से अमल किया जायेगा ताकि महिलाएँ भी व्यावसायिक शिक्षा में आकर आर्थिक उत्पादन में अपना योगदान दे सकें।

3. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992)– इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 की सन् 1992 में समीक्षा की गयी और संशोधित नीति प्रारुप को संसद के दोनों सदनों में रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन करके संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम–1992 के नाम से पुकार गया। इस नीति में प्रारम्भिक शिक्षा की नई दिशा में निम्नलिखित तीन पहलुओं पर बल दिया गया।

1. सार्वजनिक पहुॅच और नामांकन।
2. चौदह वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में बनाए रखना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार, ताकि सभी बच्चे आवश्यक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005)– जून, 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयेाग की स्थापना की गयी थी, जिसमें निम्न सिफारिशें की गयी थीं।

1. शिक्षा का अधिकार–केन्द्रीय कानून, वित्तीय संकल्प, समय सीमा, नियमों और मानकों का प्रावधान, शिक्षकों के लिए मापदंड, वादयोग्यता, शिकायत समाधान, सर्वसुलभ स्कूली शिक्षा
2. भाषा
3. अनुवाद
4. पुस्तकालय
5. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
6. पोर्टल

शैक्षिक कार्यक्रम

1. **आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना(1986)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु देश के सभी प्राथमिक

विद्यालयों में उपबन्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाना था। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता के आधार पर आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना वर्ष 1987–88 से प्रारम्भ की गई है यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई गई। इस योजना में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए कम से कम 3 बड़े कमरे तथा तीन शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान था और पठन–पाठन सामग्री की व्यवस्था भी करना था। 1992 में संशोधित शिक्षा नीति के अनुसार (1993–94) मे इस योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी जोड़ना था। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम जरुरी खिलौने खेल सामग्री ब्लैक बोर्ड, मानचित्र एवं अन्य अधिगम सामग्रियों उपलब्ध करायी जाने का प्रावधान है। इस योजना 2002–03 से सर्वशिक्षा अभियान में मिला दिया गया।

2. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम(1994)** जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उच्च प्रथम शिक्षा इसके दायरे से बाहर है। इसका क्रियान्वयन 1994 में हुआ। इसके मुख्य उद्देश्य हैं–

    1. ड्रापआउट की दर 10% तक कम करना।
    2. जातीयता तथा लिंग भेद के आधार पर नामांकन, अधिगम, संप्राप्ति आदि के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को 5% कम करना।
    3. छात्रों क अधिगम स्तर को अभिवृद्धि करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य कार्य निम्न है।
    4. नये प्राथमिक विद्यालयों को निर्माण, कक्षा कक्षों का निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, शिशु–शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
    5. नये अध्यापकों की नियुक्ति करना, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं डायट को मजबूत करना, ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना करना, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि।

6. शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु नवाचार के अपनाने पर जोर देना आदि।
7. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना। परियोजना खर्च का 85% भारत सरकार तथा 15 सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना के 3 प्रमुख अंग हैं –

1. भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना।
2. गुणवत्ता का सुधार
3. प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच का विस्तार।

3. सर्व शिक्षा अभियान (2002)– सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। सर्वशिक्षा अभियन, एक निश्चित समयावधि के भीतर सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86वें संविधान द्वारा 6–14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रुप में, निःशुल्क और अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। यह अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान जीवन कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। यह अभियान बालिका शिक्षा और जरुरतमंद बच्चों पर खास केन्द्रित है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

1. सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी, वैकल्पिक विद्यालय, "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।
2. सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
3. सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
4. संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।

5. स्त्री–पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग–भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना।

सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ– विगत वर्षों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर में सुनिश्चित तौर पर सुधार हुआ है –

1. सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा विद्यालय तक न पहुँच सकने वाले बच्चों की संख्या 2001–02 में 3.2 करोड़ से घटकर 2006–07 में 0.7 करोड़ रह गई है।
2. सर्व शिक्षा अभियान के बाद भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के नामांकन का अनुपात 2010 में 96.7ः हो गया था।
3. सर्व शिक्षा अभियान के बाद प्राइवेट स्कूल में 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन स्तर 2006 में 18.7 प्रतिशत था, वहीं अब बढ़कर 2011 में 25.6 प्रतिशत हो गया है।
4. भारत में प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे की तथा कक्षा 2 के बच्चों में किताबों की पढ़ने की दर में वृद्धि हुई है। 2010 में यह 53.7 प्रतिशत थी, वही अब 2011 में 48 प्रतिशत है।
5. भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति में कमी आयी है। 2007 में 73.4 प्रतिशत थी, वही 2011 में बढ़कर 70.9 प्रतिशत हो गयी है।
6. भारत में पिछड़े क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 2010 में 38.9 प्रतिशत थी, 2011 में 40.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
7. स्कूलों में पानी की व्यवस्था 2010 में 17.0 प्रतिशत थी, अब 2011 में 16.6 प्रतिशत हैं।

इस प्रकार सर्वशिक्षा के द्वारा प्राथमिक शिक्षा की सिथति में सुधार तो हुआ है, परन्तु अभी भी अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका है।

4. **प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (2003)–** यह कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम बालिका शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में चलाया जा रहा है–इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

   1. जो बालिकायें किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ रही है, उन्हें उनके निवास के निकट में स्थित विद्यालय में प्रवेश दिलाना।
   2. ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करना जिनका नाम तो विद्यालय में दर्ज है, लेकिन नियमित रुप से स्कूल नहीं जाती है। ऐसी बालिकाओं के अभिभावकों को प्रेरित करना कि वे अपनी पाल्यों को नियमित रुप से पढ़ने के लिए भेजें।
   3. जब बालिकाओं का मन पढ़ाई–लिखाई में नहीं लगता और वे विद्यालय आना बन्द कर देती है ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करके उन पर विशेष ध्यान देना।
   4. पाठ्यक्रम में लिंग संवेदी विषयों को शामिल किया गया आत्म रक्षा, जीवन कौशल, विविध अधिकार जैसे अतिरिक्त विषय पाठ्यक्रम में शामिल है।
   5. यह कार्यक्रम महिलाओं एवं समुदाय के ग्राम स्तरीय समूहों के माध्यम से चलाया जा रहा है। वे समूह बालिकाओं के नामांकन उपस्थिति तथा शैक्षणिक उपलब्धियों का सतत रुप से अनुश्रवण और मूल्यांकन करते रहते है।

5. **कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना (2007)–** शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में बालिकाओं को कम से कम 8वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी कराने के लिए दूसरी बड़ी पहल कस्तूरबा गांधी बलिका विद्यालय योजना है। यह योजना स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 1997 को प्रारम्भ की गई। 01 अप्रैल 2007 से यह योजना सर्वशिक्षा के एक अंग के रुप में चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत 75% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा 25% अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों तथा मुस्लिम समुदायों की छात्राओं हेतु

उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु पिछड़े विकास खण्डों में ऐसे स्थानों पर आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जहॉ अधिवास छितरे हुए है और बालिकाओं को पढ़ने के लिए दूर के किसी विद्यालय में जाना पड़ता है जो उनके लिए सम्भव नहीं हो पाता है और वे पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर बैठ जाती है। इस योजना के लक्षित समूह निम्न हैं–

1. नियमित रुप से विद्यालय न जाने वाली किशोरियॉ
2. दस वर्ष से अधिक आयु वाली बालिकाऐं जो प्राथमिक शिक्षा भी पूरी करने में असमर्थ हैं।
3. ऐसे छितरे अधिवासों जो प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के मानक पूरे नहीं करते तथा प्रवासी स्वरुप के समुदायों की बालिकायें।

6. **मध्यान्ह भोजन योजना (1995)–** बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने विद्यालय जाने वाले बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे मध्यान्ह भोजन नाम दिया गया। यह योजना 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक विद्यालयों में लागु की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनके नामांकन तथा नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना था। प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र 3 किलो प्रति माह की दर से प्रत्येक छात्र को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था। परन्तु वर्तमान में प्रत्येक छात्र को दोपहर में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

इस प्रकार हम कह सकते है स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही शिक्षा में सुधार के प्रयास निन्तर किये जा रहे हैं। लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके है। इसी दिशा में वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया।

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)

स्वतन्त्रता के पश्चात से ही शिक्षा भारतीय नीति निर्माताओं एवं योजनाकारों की प्राथमिकता का विषय रहा है। इस दिशा में भारत में समय–समय पर भिन्न – भिन्न स्तरों पर प्रयास होते रहे हैं। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयास 86वें संविधान संशोधन 2002 में जीवन के अधिकार के तहत मूलभूत अधिकार में 21क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जिसमें राज्य 6–14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की नीति को विधि द्वारा अवधारित करेगा। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर दूसरा निवेशक तत्व रखा गया जिसमें राज्यों को निर्देश दिया कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रबन्ध करेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(क) में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ते हुए अभिभावकों पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया कि वह अपने बालक या बालिका को शिक्षा प्रदान करें। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया गया और 01 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रुप में शत–प्रतिशत लागू कर दिया गया है।

शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

बच्चों के सर्वांगींण विकास में जीवन की आरंभिक शिक्षा अर्थात् प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान हैं जो उसके भावी जीवन के लिए आधार शिक्षा का कार्य करती हैं। यही कारण है कि विभिन्न शिक्षाविदों एवं समाजशास्त्रीयों ने प्राथमिक शिक्षा को विकास का आधार स्तम्भ माना है। शिक्षा को कुछ प्रमुख शिक्षाविदों तथा समाजशास्त्रीयों ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट रुप से विश्लेषित किया है।

शिक्षा अपने चारों ओर की चीजों को सीखने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा सभी के जीवन में, व्यक्तित्व का निर्माण, ज्ञान और कौशल में सुधार करके, एक सभ्य मनुष्य बनाने में महान भूमिका निभाती है। शिक्षा सभी मनुष्यों का सबसे पहला और सबसे आवश्यक अधिकार है। शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं, और शिक्षा से ही हमारे ज्ञान, कुशलता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सुधार करती है। शिक्षा परिपक्वता

लाती है और समाज के बदलते परिवेश में रहना सिखाती है। शिक्षा सामाजिक विकास आर्थिक वृद्धि और तकनीकी उन्नति का रास्ता है। शिक्षा की परिभाषा देते हुए **अगस्त काम्ट** का कहना है कि ''शिक्षा व्यक्ति की उस सम्पूर्णता का विकास है, जिस पर स्वतः पहुँच सकता है।'' **अरस्तु के अनुसार–** ''मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, शिक्षा के अभाव में मानव जीवन की कल्पना असम्भव है।''

जै0 एस0 मेकेंजी के अनुसार– ''व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवनभर चलती रहती है और प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भण्डार में सम्वर्द्धन करती है।'' शिक्षा का समाजशास्त्रीय विवेचन है कि शिक्षा का सदा ही समाज से सम्बन्ध रहा है। शिक्षा में समाजशास़्त्रीय प्रवृत्ति का अभिप्राय यह है। व्यक्तियों मे समाजिक गुणों का विकास हो, ताकि व्यक्ति और समाज इन दोनो में समुचित समायोजन हो सके। पश्चिम में प्रसिद्ध मनोविज्ञानिक **पेस्टोलोजी** ने शिक्षा का उद्देश्य समाजिक हित बताया। **हरबार्ट** ने नैतिकता के विकास पर बल दिया तथा **फ्रोबेल** ने इस बात का उद्घोष किया कि शिक्षा समाजोन्मुख हो। व्यवहारवादी विचारधारा के प्रमुख प्रर्वतक **डिवी महोदय** का कथन है कि पाठशाला समाज का ही लघु रुप है और उसका प्रधान उद्देश्य या प्रयोजन विधार्थियों में सामाजिक समयोजन के गुणों का विकास करना हैं।

बालकों तथा बलिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास हो, इसका एक और कारण भी है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में रहकर ही चलती है। जिस प्रकार का समाज होगा उसके अनुरुप ही उद्देश्य होगें और पाठन प्रणालियाँ होगीं। **ब्राउन** ने शिक्षा का समाजशास्त्रीय परिभाषा इस प्रकार से की है कि शिक्षा चेतन रुप में एक नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यहार में परिवर्तन किया जाताहै व्यक्ति के द्वारा यह परिवर्तन समुदाय मे भी आता हैा

मुनरो की पुस्तक **"A Brief Course In The History of Education"** में समाजशास्त्रीय शिक्षा को निम्नलिखित रूप में बताया है।

1 ज्ञान का विकास करना।
2 शिक्षा द्वारा सामाजिक नियंत्रण

3 सामाजिक संस्कृति की रक्षा तथा आगे आने वाली पीढी को उसका संवाहन।

4 समाज की प्रगति में योगदान

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य निम्न है।

1 छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास करना।

2 विधार्थियों को व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम बनाना

3 उन्हे इस योग्य बनाना कि वे अपने अवकाश के समय का ठीक–ठीक उपयोग कर सकें

4 उनमें ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे अन्य सदस्यों के साथ समायोजन स्थापित कर सकें।

शिक्षा का प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य

दुर्खीम (1922) ने अपनी पुस्तक **"एजूकेशन एण्ड सोशियोलोजी"** में शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट किया है कि शिक्षा अधिक आयु के लेागों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली प्रक्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में उन बौद्धिक भौतिक और नैतिक गुणों का विकास करना है जो उसके लिए सम्पूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूल करने के लिए आवश्यक है उन्होने शिक्षा के प्रकार्य बताये है कि शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के नियमों व मूल्यों को परिवर्तित करना है। समाज तभी जीवित रह सकता है अगर इसके सदस्यों के मध्य पर्याप्त मात्रा में एकता हों। दुर्खीभ का मानना है कि शिक्षा व्यक्ति और समाज को मूल्यों और आदर्शों समुदाय की परम्परा एवं चिंतन के बारे में बताकर उन्हें सिद्धान्त से लैस करती है।

दुर्खीम दूसरा तर्क देते हैं कि विद्यालयों द्वारा जो औपचारिक शिक्षा दी जाती है वह परिवार या किसी समूह द्वारा नहीं दी जा सकती। विद्यालय के नियमों का सम्मान करके ही बच्चा सामान्य नियमों का सम्मान करना सीखता है। वह आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम की आदत विकसित करता है।

दुर्खीम तीसरा मत देते है कि औपचारिक शिक्षा संस्थायें सामान्य मूल्यों को सिखाने के अतिरिक्त सामाजिक उत्तरजीविता के लिए आवश्यक एकरुपता विशिष्ट कौशलों का भी प्रसार करती है। जो सामाजिक सहयोग के लिए आवश्यक विविधता प्रदान करते हैं।

चौथा दुर्खीम के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य "बच्चों में उन शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक स्तरों को जाग्रत करना है जो उनके स्वभाव के अनुरुप विकास के लिए विशेष रुप से आवश्यक है।"

पाँचवां दुर्खीम के अनुसार शिक्षा का प्रकार्य सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रुप में है दुर्खीम के अनुसार इसका उद्देश्य बुजुर्ग पीढ़ी द्वारा समाज के मापदण्डों एवं मूल्यों का उन लोगों के मध्य स्थानान्तरण करना है जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नही है।

जॉन डी0 वी0 (1963) ने **'डेमोक्रेसी एण्ड एजूकेशन'** पुस्तक में शिक्षा का अर्थ बताया है कि ''शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिनमें वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी सम्भावनाओं को पूर्ण कर सकें। **जॉन डीवी के अनुसार** शिक्षा का अपना कोई लक्ष्य नही होता है तथापि व्यक्ति और समाज को मद्देनजर रखते हुए उसका निर्माण किया जाता है।

शिक्षाशास्त्री टी रेमण्ट (1968) ने अपनी पुस्तक **''मार्डन एजूकेशन, लन्दन''** में शिक्षा का अर्थ बताया है कि शिक्षा को विकास की ऐसी प्रक्रिया कहा जा सकता है जिसमें बचपन से प्रौढ़वास्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यातिमक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है।

बाटोमोर (1978) अपनी पुस्तक **''सोशियोलॉजीः ए गाइड टू प्रॉब्लम एण्ड लिटरेचर''** में लिखते हैं कि शिक्षा बच्चे के प्रारंभिक समाजीकरण का सबसे दृढ़ आधार है। शैक्षणिक व्यवस्था अंशतः नैतिक विचारों को स्पष्ट करने और अंशतः व्यक्ति का बौद्धिक विकास करके सामाजिक नियमन में योगदान करती है। शिक्षा एक समाज के सभी सदस्य में समान विचार, भावनाएँ और समान दृष्टिकोण उत्पन्न करके उनमें एकरुपता लाने का प्रयत्न करती हैं यहीं एकरुपता और एकीकरण सामाजिक

नियन्त्रण का वास्तविक आधार है जिसके द्वारा संघर्षपूर्ण मनोवृत्ति का सामाजीकरण होकर सहयोग सम्बन्धी को प्रोत्साहन मिलता है।

शिक्षा का मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य

शिक्षा को समझने के लिए मार्क्सवादी परिपेक्ष्य में **मार्क्स (ब्लैकलीज एण्ड हण्ट 1985)** के मुख्य विचारों को समझने की जरूरत है। मार्क्स का ऐतिहासिक भैतिकवाद प्रमुख रूप से आर्थिक निर्धारणवाद है। मार्क्स इतिहास की व्याख्या उत्पादन प्रणाली को मुख्य केन्द्र में रखकर व्याख्या किया है। जीवन के लिए आवश्यक भैतिक वस्तुओं या मूल्यों के उत्पादन और पुनः पर ऐतिहासिक विकास निर्भर करता है। जिसमें मार्क्स के सिद्धांतो अधिसंरचना और अधोसंरचना को समझाना आवश्यक है। कार्लमार्क्स ने अधिसंरचना को समाज के ढ़ॉचे के ऊपरी भाग को माना जिसकी रचना, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, वैधानिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से होती है। मार्क्स का मानना है कि अधि–संरचना का रूप अधोसंरचना अर्थात उत्पादन प्रणाली की प्रकृति पा निर्भर करता है इसलिए उत्पादन प्रणाली का परिवर्तन समाज के ऊपरी ढ़ाचे अर्थात लोगो के धार्मिक विश्वास नैतिक आदर्श, कला, साहित्य, समाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओ को भी बदल देता है। शिक्षा के मार्क्सवादी विश्लेषण के विचारो को प्रत्यक्ष पुनरूत्पादन का सि़द्धान्त के अनुसार शिक्षा पॅूजीवादी आर्थिक व्यवस्था को पुर्ननिर्मित करती हॅू। यह सिद्धान्त समाज की संरचना के आर्थिक निर्धारण में सहायक है।

एस0 बाउल्स और एच0 जिनिट्स (ब्लैकलीज एण्ड हण्ट 1985) ने अपनी पुस्तक **स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका** मे शिक्षा के मार्क्सवादी परिपेक्ष्य में लिखा है, इस पुस्तक में मुख्य विचारो और सिद्धान्तो की विशेषताओं को विद्यालय के संदर्भ में किया गया है। इस पुस्तक में मूलभूत विचार है कि शिक्षा समाज को स्वतन्त्र रूप से नहीं समझ सकती जो कि उसका एक भाग है। काफी हद तक वह समाज की आधार अर्थव्यवस्था व समाजिक संस्थाओं को सीमित करती है। वे पश्चिम के पॅूजीवादी समाज विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट के विषय में मुख्य रूप से बात करते है। वे पॅूजीवादी व्यवस्था में पुनरूत्पादन की आवश्यकता के विषय में बात करते है

और शिक्षा की उपयोगिता व सहयोग का अध्ययन करते है। इनकी पुस्तक मुख्य रूप से तीन भाग में विभाजित है।

1. पुनरूत्पादन में शिक्षा क्या करती है ?
2. पत्राचार सिद्धान्त में कैसे कार्य करती है ?
3. आर्थिक संरचना में पुनरूपात्दन के लिए क्या आवश्यक जरूरते है ।

बोर्दिक (ब्लैकलीज एण्ड हण्ट 1985) अनुसार, 1. शिक्षा समाज के वर्ग विभाजन और उसकी असमानता की वैधता को बनाये रखती है। 2. यदि यह मान लिया जाए कि शिक्षा ऐसी प्रणाली की तरह कार्य करती है जों विचारो, आदर्शो और ज्ञान को आगे बढ़ाती है तो असफल है। उनके अनुसार शिक्षा की व्याख्या करने पर कई कथन सामने आते है–

1. दूसरो की अपेक्षा कुछ बच्चो में शिक्षा का अधिक विकास होता है ।
2. शिक्षा के विकास में बच्चे को परिवार से मिलने वाली संस्कृति की भूमिका प्रभावी होती है ।
3. शिक्षा की संस्कृति प्रभुवर्ग की संस्कृति के समानान्तर ।
4. प्रभुवर्ग की संस्कृति अच्छे व बुरे छात्र की समझ की सीमा का निर्धारण करती है ।
5. उच्च वर्ग के परिवार अपने बच्चो में ऐसी संस्कृति का हस्तान्तरण करते है जिसमे वे दूसरे की अपेक्षा अच्छी शिक्षा प्राप्त करते है ।

डी0 पी0 मुखर्जी (1957) का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था पूँजीवादी शासक वर्ग के हितो की पूर्ति एवं रक्षा करती है तथा उनके लिए प्रशिक्षित श्रम तैयार करती है जिससे वे अधिक लाभ कमा सकें। पूँजीवादी व्यवस्था में शिक्षा शासक वर्ग की विचारधारा का हस्तान्तरण करती है जो पूँजीवादी व्यवस्था को न्यायोचित ठहराती है।

शिक्षा का व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य (Interpretive Perspective on Education)

शिक्षा के **प्रकार्यवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्यों** में जिस शिक्षा की व्यवस्था की गई है वे अनेक प्रकार की वृहत चर्चा करते है। उनका मानना है कि शिक्षा को वृहत समाज के अन्दर ही समझा जा सकता है। जैसे समाज की आवश्यकताओं (दुर्खीम) अथवा विचारधारा (प्रकार्यवादी) एवं वर्ग में देखा जा सकता है। परिणामतः शिक्षा यथास्थिति को बनाये रखने में कार्य करती है। इस प्रकार का दृष्टिकोण आलोचना का एक विषय है। शायद सामाजीकरण के उत्पाद की अपेक्षा वृहत दृष्टिकोण मानव प्राणियो के लिए कम महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि यह वृहत दृष्टिकोण हमें थोडी जानकारी देता है। यह स्कूल में जीवन की वास्तविकता को समझाने में असफल है। अध्यापक और छात्र आपस में क्या करते है, यह भी समझाने में असफल है। शिक्षा के संदर्भ में कक्षाओ में जो प्रतिदिन अध्यापकों और छात्रों के बीच में अन्तः क्रिया होती है। उसका विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है इसी से संबन्धित शिक्षा के सूक्ष्म समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास हुआ।

अतः 1980 के दशक से पहले अमेरिका के समाजशास्त्र में सिद्धान्तो को सूक्ष्म और वृहत दो श्रेणियो में बांट दिया गया। एक वे सिद्धान्त है जो सूक्ष्म सिद्धान्त की श्रेणी में आते है और दूसरे वे सिद्धान्त है जो वृहत श्रेणी में आते है। सूक्ष्म सिद्धान्त का सम्बन्ध समाज की वास्तविकता का एक पहलू व्यक्तियों के बीच आमने–सामने होने वाली अन्तः क्रियाओं से है। समाज का यह भाग सूक्ष्म स्तर की वास्तविक्ता का प्रतिबिम्ब है। सूक्ष्म सैद्धान्तीकरण का प्रभाव क्षेत्र बहुत वृहत है। समाजशास्त्र के सभी प्रमुख सिद्धान्तो का एक निश्चित स्वरूप सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म सिद्धान्त निर्माण की तीन प्रकियायें है–अभिप्रेरक प्रक्रियायें, अन्य क्रियात्मक प्रक्रियायें, तथा संरचना बनाने वाली प्रक्रियायें। वृहत के अन्तर्गत सिद्धान्तवेत्ता व्यक्तियों को अपनी इकाई नहीं मानते। ये व्यक्तियो की सामूहिकता अर्थात् समाज को अपने अध्ययन की इकाई मानते है। वृहत सिद्धान्त निर्माण की प्रक्रियायें है– संग्रहण की प्रक्रियायें, विभेदीकरण या स्तरीकरण की प्रक्रियायें तथा एकीकरण की प्रक्रियायें। वृहत सिद्धान्त के प्रमुख तत्व है– विशाल भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों की बड़ी संख्या

(जो अधिकांशत आमने–सामने की अन्तः क्रिया नहीं कर सकते) तथा समय की लम्बी अवधि। वृहत सिद्धान्त की प्रक्रियायें है–संग्रहण की प्रक्रियायें, विभेदीकरण या स्तरीकरण की प्रक्रियायें तथा एकीकरण की प्रक्रियायें।

सूक्ष्म व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की व्याख्या **डेविड हरग्रीव्स (ब्लैकलीज एण्ड हण्ट 1985) ने अपनी पुस्तक 'Interpersonal Relation and Education'** में अपने सिद्धान्त के केन्द्र में "द सेल्फ" और जो सिद्धान्त अपनाया "सांकेतिक अन्तः क्रियावाद" को रखा है। इस सिद्धान्त के अनुसार 'सेल्फ' वह नहीं है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं बल्कि 'सेल्फ' वह है जो हम दूसरों के साथ अन्तःक्रिया करके उत्पन्न करते हैं।

हरग्रीव्स एक ऐसे सुगम दृष्टिकोण को प्रदान करते हैं। जिससे अध्यापक और छात्र के बीच सम्बन्ध का बड़े रोचक तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। एक ऐसे व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को कक्षा व विद्यालय में विकसित करना चाहते हैं जिससे आपसी समझ विकसित हो।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षा एवं समाज सम्बन्धी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धान्तों में काफी अन्तर है, यहॉ प्रकार्यवादी एव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य मूख्यतः वृहत दृष्टिकोण वाले हैं जबकि व्याख्यात्मक सिद्धान्त सूक्ष्म दृष्टिकोण रखता है। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य का केन्द्र शिक्षा एंव समाजिक व्यवस्था के अन्य भागों (जैसे, आर्थिक जीवन में स्थिति सकारात्मक सम्बन्धों पर है। इसमें इस तथ्य पर जोर दिया जाता है कि शिक्षा किस प्रकार मूल्य एकता तथा सामाजिक एकता को स्थापित करने में सकारात्मक योगदान देती है।

वहीं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में यह समझा जाता है कि शिक्षा व्यवस्था मूलतः स्थापित आर्थिक व्यवस्था एवं सम्बन्धों का पुनरूत्पादन करती है। इसके द्वारा स्थापित शोषणकारी एवं असमानतावादी (पूंजीवादी) व्यवस्था का पुनरूत्पादन किया जाता है। यह शासक वर्ग की विचारधारा को प्रसारित करती है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था के सिद्धान्त एवं कार्य प्रणाली इस प्रकार की हाती है जिससे कमजोर वर्गों

के छात्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता एवं वे अधिकतर फेल होकर पढ़ाई सक बाहर हो जाते हैं। परन्तु सम्पन्न वर्ग के छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन अधिकतर अच्छा होता है जिसका फायदा उन्हें समाज में अधिक प्रतिष्ठा, पद तथा धन आदि के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में असमानता का पुनरूत्पादन करती है और सम्पन्न वर्ग के हितों को बनाये रखती है।

व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी एवं प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य से भिन्न है इसमें विश्लेषण का केन्द्र संस्थात्मक होता है। यह शिक्षण संस्थान एवं कक्षा में शिक्षक एवं छात्रों के बीच होने वाले अन्तःक्रियाओं पर आधारित समझता है। अर्थात उपलब्धि या असफलता में उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति, समाज की आर्थिक व्यवस्था आदि के महत्व को नहीं माना जाता है।

उपरोक्त शिक्षाविदों एवं समाजशास्त्रीय द्वारा दी गयी शिक्षा के अर्थ एवं प्रकार्यों का जिस अर्थ को स्पष्ट करती है उसके अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक, तार्किक तथा अनुभव सिद्ध सभी प्रकार के विचारों का समावेश होता है तथा जिसका उद्देश्य व्यक्ति में उन गुणों का विकास करना है जिसके द्वारा वह अपने सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण से अनुकूलन करके व्यक्तित्व का विकास कर सकें।

बालिका शिक्षा

किसी भी देश को पूर्ण रुप से विकसित होने के लिए वहाँ की महिलाओं का शिक्षित होना जरुरी है। महिला शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, भारत को आर्थिक रुप से तथा सामाजिक रुप से विकसित बनाने में। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के पीछे शिक्षित महिला का अमूल्य योगदान होता है।

भारतीय समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महिला शिक्षा बेहद जरुरी है। महिला एवं पुरुष दोनों को ही एक सिक्के के दो पहलू है। जिस तरह से गाड़ी का सन्तुलन दोनों पहियों पर निर्भर होता है उसी प्रकार से समाज का विकास भी पुरुष और महिला के कन्धों पर आश्रित है। दोनों ही देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते है इसलिए दोनों को ही बराबर की शिक्षा

का हक मिलना जरुरी है। आज के समय में भारत में महिला साक्षरता के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है। पौराणिक काल से लेकर स्वतन्त्रता के बाद के समय तक महिला साक्षरता को लेकर किये गये प्रयासों में बहुत प्रगति हुई है। हलांकि कि अभी यह कार्य सन्तुष्टि के स्तर तक नहीं पहुँचा है, अभी भी इस विश्व में बाकी देशों से पिछड़ने के पीछे महिला साक्षरता की कमी का ही होना है।

बालिका एवं शिक्षा का सम्बन्ध

बालिकायें जो जीवनभर सामाजिक कुरीतियों, भेदभाव प्रताड़ना उत्पीड़न, कुपोषण और शोषण का शिकार होती रहती है, ऐसी बालिकाओं के लिए शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र बन सकता है जो न केवल उसे उसके नैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकार दिलाएगी बल्कि उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समाने एक सशक्त महिला के रुप में खड़ा करेगा। अतः बालिका के साथ शिक्षा के सम्बन्ध को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षित स्त्री का परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए बालिकाओं पर किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है। क्योंकि बालिकाएँ आगे चलकर माँ बनती हैं और माँ किसी भी परिवार की केन्द्रीय इकाई होती है यदि माँ को शिक्षा प्राप्त नहीं है और वह बचपन से ही कुपोषण व अज्ञानता की शिकार है तो वह एक स्वस्थ्य शिक्षित परिवार व उन्नत समाज को जन्म देने में विफल रहेगी। अतः बालिका के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है।

बालिका शिक्षा को आज राष्ट्रीय आवश्यकता समझकर जोर दिया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरुप बालिकाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। आज बालिकायें बालकों से किसी भी क्षेत्र में कम नही है। यह सब सरकार की सुनियोजित योजनाओं का फल है कि आज समाज में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण बदला है। समाज में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। क्योंकि समाज को उन्नति एवं प्रगतिशील बनाने के लिए पुरुषों के समान ही स्त्रियों का सहयोग भी अत्यधिक है। अतः महिलाओं में चेतना जाग्रत करने के लिए तथा

घर एवं समाज में अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है।

स्त्री शिक्षा का महत्व प्रतिपादित करते हुए **बाबा साहेब डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर** ने कहा था– ''यदि हम लड़कों के साथ–साथ लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान देने लग जाएँ, तो हम अतिशीघ्र प्रगति कर सकते है। शिक्षा किसी वर्ग की बपौती नहीं है। समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है। स्त्री शिक्षा पुरुष शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, चूंकि पूरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी है, उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। शिक्षा के सन्दर्भ में **डॉ0 अम्बेडकर** ने कहा था, 'शिक्षा से हम मानवीय अधिकार प्राप्त कर सकते है, अतः शिक्षा मानव की उन्नति का आधार है। शिक्षा वह रोशनी का दूध है, जिसे पीकर मनुष्य कहीं भी दहाड़ सकता है।'

डॉ0 अम्बेडकर ने मनुष्य की उन्नति के लिए तीन मंत्र दिया– 1. शिक्षित बनो 2. संघर्ष करो 3. संगठित रहो। मगर उन्होंने पहले मंत्र शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि शिक्षा के बिना दूसरे मंत्र सफल नही होते। अतः हजार मंत्रों में से पहला मंत्र शिक्षा है। शिक्षा एवं ज्ञान मनुष्य के जीवन का आधार है। शिक्षा के बारे में **स्वामी विवेकानन्द** ने कहा था – ''शिक्षा से हमारे चरित्र का निर्माण होता है, शिक्षा से हमारी विद्वता का निर्माण होता है और शिक्षा से हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।''

शिक्षा के सन्दर्भ में **अफ्रीका के प्रेसीडेंट नेल्सन मंडेला** ने कहा था – ''शिक्षा दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे सारी दुनिया बदली जा सकती हैं। **महात्मा गांधी** ने बालिका शिक्षा को बालक की शिक्षा के समान ही महत्व दिया। गांधी जी ने कहा था कि ''बच्चों की शिक्षा का प्रश्न तब तक हल नही किया जा सकता है, जब तक स्त्री शिक्षा को गम्भीरता से न लिया जाए।'' **स्वामी विवेकानन्द ने बालिका शिक्षा के सन्दर्भ में** कहा है कि ''एक पंख से पक्षी कभी उड़ नहीं सकता है। उसे उड़ने के लिए दोनों पंख आवश्यक है। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था केवल पुरुष शिक्षा से ही नहीं चल सकती है। अतः दोनों पुरुष – महिला को

शिक्षित होना आवश्यक है।'' बालिका शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए **प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु** ने कहा था कि ''एक बालक को शिक्षित करना केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करना है। जबकि एक बालिका को शिक्षित करना सम्पूर्ण परिवार को शिक्षित करना है।''

शिक्षा आयोग कोठरी कमीशन ने स्त्री शिक्षा के महत्व को बताया कि और कहा कि ''हमारे मानव साधनों के पूर्ण विकास, परिणामों की उन्नति और बाल्यकाल में अत्यधिक सरलता से प्रभावित होने वाले वर्षों में बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से कहीं अधिक है।''

विश्वविद्यालय आयोग ने भी स्त्री शिक्षा के महत्व को बताया है कि शिक्षित स्त्रियों के अभाव में शिक्षित व्यक्ति नही हो सकते हैं। इसलिए स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में शिक्षा को निश्चित रुप से अन्य पीढ़ी को हस्तांतरित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में भी स्त्री शिक्षा के बताते हुए कहा गया कि ''लड़कियों को केवल इस वजह से शिक्षित करना महत्वपूर्ण नही है कि उन्हें सामाजिक न्याय मिले सके, बल्कि इस कारण से महत्वपूर्ण है, कि लड़कियों समाज में बदलाव की गति प्रदान करती है।''

इस प्रकार शिक्षा एक अनमोल रत्न है, जो कि प्रत्येक स्त्री जाति के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तीकरण में सहायक सिद्ध होता है।

साहित्य समीक्षा

विगत दशकों में शिक्षा को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन प्रभाव में आयें हैं। प्रत्येक अध्ययन अनेक दृष्टिकोणों से किये गये हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अनुसन्धान पत्रों, लेखों, पुस्तकालय, इण्टरनेट व अन्य स्रोतों से साहित्य एकत्रित किया गया है।

तिवारी, डी0 (1964) ने प्राथमिक विद्यालय में छात्रा के नामांकन एवं ठहराव पर अध्ययन किया है इन्होंने इलाहाबाद जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन व

ठहराव का प्रमुख कारण अभिभावकों की गरीबी तथा उनकी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन है। प्राथमिक विद्यालयों में बैठने की उचित व्यवस्था का न होना तथा एकल विद्यालयों की बहुलता भी प्रमुख कारण पाये गये हैं।

दास, आर0 सी0 (1965) ने असम में प्राथमिक स्तर के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर अपव्यय तथा अवरोधन का अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय की दरे बहुत उच्च थीं, प्राथमिक स्तर पर लड़कों की तुलना में लड़कियों में अपव्यय की दर अधिक थी, मध्य स्तर की तुलना में प्राथमिक स्तर पर अपव्यय बहुत अधिक थी, प्राथमिक पर अपव्यय की दर 80. 56% और 86.31% के बीच थी।

कामलाम्बा जी (1969) ने केरल राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव में कमी के कारणों का अध्ययन किया और पाया कि शत–प्रतिशत नामांकन वाले राज्य में विभिन्न आधार–भूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद नामांकन शत–प्रतिशत है जबकि विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या कम थी तथा स्वच्छ पानी एवं बैठने की व्यवस्था असंतोषजनक थीं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ा होना अपव्यय व अवरोधक का प्रमुख कारण था।

श्रीवास्तव एस0 एवं गुप्ता, एस0पी0 (1980) ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 6–14 वर्ष के बालक–बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की कमी, अनुपस्थिति तथा विद्यालय के बीच में छोड़ने के कारण'' पर शोध कर निष्कर्ष प्राप्त किया कि ग्रामीण क्षेत्र में नामांकन शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम था। कम नामांकित छात्रों में से अधिकांश निम्न वर्ग के व्यक्तियों के प्राप्त थे। उनके अभिभावकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि ठीक न थी। जिसके कारण शिक्षा के महत्व को नकारते थे। कम नामांकन अनुपस्थिति व बीच में विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण समुदाय का सहयोग न मिलना बच्चों से सद्भावना न रखने वाले अध्यापक, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम तथा अभिभावक का शिक्षा के प्रति रूचि का अभाव था।

मंडल जी एल (1980) ने बिहार में सार्वभसैमिक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (1950–74) समस्याओं एवं उपायों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया

गया कि प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5) अर्थात 6 से 11 वर्ष के बच्चों के विद्यालय 96% बच्चों को उपलब्ध थे, विद्यालय जाने वाली जनसंख्या का तीन चौथई जो 11 से 14 वर्ष के बच्चे है, इनके लिए मिडिल स्कूल (कक्षा 6–8) पैदल सैर की दूरी के अन्तर्गत उपलब्ध थे, कक्षा एक में नामांकित प्रति 100 बच्चों में केवल 25 बच्चे कक्षा 5 में पहुॅचे और केवल 15 बच्चे कक्षा 8 में पहुॅचे।

शर्मा आर0 सी0 (1982) ने राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अपव्यय का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि बालकों की तुलना में बालिकाओं में अपव्यय का प्रतिशत अधिक था, अनुसूचित जाति की छात्राओं में अपव्यय की दर 72.30% थी और अन्य छात्राओं में 63.38% थी, अनुसूचित जनजाति के बालकों में यह दर इससे भी अधिक थी, 1979–80 में राजस्थान में 6–11 वर्ष के आयु वर्ग के मात्र 56.6% बच्चों का नामांकन हो सका, जबकि राष्ट्रीय औसत 81.9% बच्चों के नामांकन का था।

देवी, के0 जी0 (1983) ने मणिपुर के इम्फाल टाउन में (1963–1970) के मध्य प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय छोड़ देने की समस्या का अध्ययन किया। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ था कि समस्त प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दरों में कोई एकरुपता नहीं थी लड़कों की तुलना में विद्यालय छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या अधिक थी, अवरोधन तथा स्कूल छोड़ने करी समस्या के चार महत्वपूर्ण कारण थे– गरीबी, बार–बार होने वाला स्थानान्तरण, बार–बार अनुत्तीर्ण होना, अभिभावक की उदासीनता स्कूल छोड़ने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक और आर्थिकथे।

राज शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0 (1986) द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के स्कूल छोड़ने तथा अनुत्तीर्ण होने की समस्या का अध्ययन किया गया। यह अध्ययन राज्य के चार क्षेत्रों–मध्य जोन, पूर्वी जोन, दक्षिणी जोन और पश्चिमी जोन तक सीमित था। अध्ययन के जो परिणाम निकले उससे ज्ञात होता है कि कक्षा 6 से 8 तक 15% छात्र विद्यालय छोड़ देते है और 4% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते है, पिछड़े वर्गों से आने वाले छात्रों में विद्यालय छोड़ देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक थी, विद्यालय

छोड़ देने के प्रमुख कारण थे– माता–पिता की अशिक्षा, गरीबी, रुचि का अभाव, घर से विद्यालय की अधिक दूरी, विद्यालय का अनाकर्षक वातावरण, अध्यापकों की उदासीनता, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, विद्यालय में पानी और स्वच्छता जैसी भौतिक सुविधाओं का अभाव।

कुलकर्णी, वी0 एन0 (1986) सोलापुर (महाराष्ट्र) नगरपालिका क्षेत्र की विधि (फैक्ट्री) कामगार महिलाओं के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं का आलोचनातमक अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश विधि कामगार महिलायें अशिक्षित थी और उनकी आर्थिक दशा अत्यन्त दयनीय होने के कारण उनके बच्चे विद्यालय जाने के स्थान पर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमा रहे थे। ऐसे परिवारों की केवल 5% बालिकायें विद्यालय जा रही थी।

बोकिल, बी0 जी0 (1987) ने ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन कारकों का अध्ययन किया गया जो बालिकाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में बाधक है तथा प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को प्रभावित करते हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि निम्न सामाजिक–आर्थिक व शैक्षिक स्तर के परिवारों की बालिकायें विद्यालय से वांछित थी तथा जीविकोपार्जन के कार्यों में लगी थी, सामान्यतः 8 से 9 वर्ष की आयु में बालिकाओं ने विद्यालय छोड़ दिया, अपेक्षाकृत अच्छे सामाजिक–आर्थिक व शैक्षिक स्तर के परिवारों की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन अधिक था, बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक थे– घर से विद्यालय की दूरी, शारीरिक विकलांगता, स्थाई घरेलू कठिनाईयों और दिन भर शारीरिक श्रम करना।

रैना, बी0 एल0 (1988) ने जम्मु कश्मीर के गांवों में शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। उन्होने अपने अध्ययन में देखा कि बालिकाओं का नामांकन केवल 12% था, जबकि स्कूलि छोड़ने की दर 13% थी।

ठाकुर, टी0 व अन्य (1988) ने असम के 18 जिलों के 22 सब डिवीजनों में स्कूल छोड़ने की समस्या का अध्ययन किया। अपने अध्ययन में पाया कि कक्षा एक में स्कूल छोड़ने की दर सर्वोच्च थी, स्कूल छोड़ना, अवरोधन तथा नियमित उन्नति का

प्रतिशत लड़कों तथा लड़कियों में क्रमशः 16.96%, 15.0%, 39.74%, 54.87% तथा 43.3% व 30.12% था।

गुप्ता, जे0 के0 व अन्य (1989) ने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में अवरोधन तथा स्कूल छोड़ने की समस्या का अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि आन्ध्रा प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल व असम में स्कूल छोड़ने की दर 60% से भी अधिक थी।

बुच, एम0 बी0 तथा सुदामा, जी0 आर0 (1990) ने गुजरात के चयनित शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर का अध्ययन किया। इस अध्ययन के निष्कर्ष थे – बहुत बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय, स्थनाभाव, ध्वनि प्रदूषण, अस्वस्थ वातावरण व असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप आदि समस्याओं से पीड़ित है, इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों में भवन, पीने का पानी, प्रसाधन सुविधाओं, पुस्तकालयों व प्रयोगशालाओं का भी अभाव है।

भार्गव, एस0 एम0 (1990) ने भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात 40 वर्षों में प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि के अध्ययन में देखा गया कि शैक्षिक सुविधाओं 1957 में 59.75 थी जोकि 1986 में बढ़कर 80.35% हो गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएँ 1978 में 38.5% थी जो कि 1986 में 74.46% हो गयी, किन्तु फिर भी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा अभी तक दूर की कौड़ी है।

मोयम्मा, वी0 जी0 (1991) में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्राथमिक स्तर पर अपव्यय के कारणों का अध्ययन किया। इसमें शोधकर्ता ने 260 ड्रापआउट और 200 रिपोर्टर कक्षा में फेल हो जाने के बाद पुनः प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का अध्ययन किया। इस अध्याय में पाया गया कि अन्य समुदायों के विद्यार्थियों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन कम था तथा ड्रापआउट और रिपोर्टर प्रतिशत काफी उच्च था।

चवरस, डी0 एस0 (1991) ने अपने अध्ययन में पूना शहर के नगरपालिकाओं विद्यालयों में स्कूल छोड़ने की घटती हुई प्रवृत्ति की ओर संकेत किया जोकि कक्षा 1 में 32%, कक्षा 2 में 15%, कक्षा 3 में 12%, तथा कक्षा 4 में 8% थी।

गोविन्दा, आर0 व बर्गीस, एन0 वी0 (1991) ने अपने अध्ययन में पाया कि सुविधाओं की उपलब्धता, सीखने–सिखाने के वातावरण को उन्नत करने, शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा विद्यालयों के गुणात्मक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मिश्रा, ए0 (1992) ने उड़ीसा में स्वतन्त्रता के पश्चात् बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन किया। इस अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 1947 – 1965 के मध्य बालिका विद्यालयों में नियमित वृद्धि हुई किन्तु 1965–66 और 1977–88 को अवधि में इस वृद्धि में कमी आयी जिसके परिणामस्वरुप यह वृद्धि 1947 में 2.801% से घटकर 1977 में 0.607% हो गयी जबकि प्राथमिक विद्यालयों में स्थिर व नियमित वृद्धि हुई हैं।

शर्मा, एन (1992) ने चाय बागान श्रमिक समुदाय के बच्चों की समस्याओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष थे– कि भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता असंतोषजनक थी। 80% विद्यालयों के पास मात्र एक हॉल थ। जिसमें कक्षा–कक्षों का विभाजन नहीं था तथा 60% विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी जिनमें पर्याप्त संख्या में डेस्क व बेंच थी।

व्यास, जे0 सी0 व अन्य (1992) ने राजस्थान में 1992 में स्कूल छोड़ने की दर का अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि स्कूल छोड़ने की दर 44.66% थी जबकि लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर 53.67% थी, ग्रामीण व शहरी विद्यालयों की स्कूल छोड़ने की दर में सार्थक अन्तर (30.39%–42.98%) था, तथा लड़कियों व लड़कों की सकूल छोड़ने की दर में सार्थक अन्तर (52.24%–43.98%) था, घर से विद्यालय की दूरी का स्कूल छोड़ने से कोई संबंध नहीं था, शिक्षक–शिक्षार्थी

अनुपात का स्कूल छोड़ने की दर से सह–सम्बन्ध था, ढाँचागत सुविधाओं तथा स्कूल छोड़ने में सार्थक संबंध नहीं था।

शर्मा, ए0 (1992) ने उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा का अध्ययन किया। उन्होने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश शिक्षा केन्द्र 62% शिक्षार्थियों की दृष्टि से सुविधाजन स्थानों पर स्थित थे किन्तु इन केन्द्रों में भौतिक सुविधाऐं पूर्ण रुप से सन्तोषजनक नहीं थी। केवल 20% केन्द्रों में अच्छी भौतिक सुविधा थी। जबकि 50% केन्द्र पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री स्टेशनरी आदि की अनुपस्थिति में काम कर रहे थे। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिकांश ड्राप आउट छात्र पहले अथवा पहले व दूसरे वर्ष के थे।

राल्टे, एल0 (1992) ने स्वतन्त्रोत्तर काल में मिजोरम में प्राथमिक शिक्षा का विश्लेषण अध्ययन किया। अपने अध्ययन में पाया कि इस अवधि में मिजोरम में प्राथमिक शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी 1948 में 50% से बढ़कर 1979 में 93% हो गयी जबकि लड़कियों की शिक्षा में अपव्यय 36.8% था जो कि लड़कों की शिक्षा में अपव्यय (31.3%) से थोड़ा अधिक था। केवल 55% विद्यालय उचित रुप से कक्षाकक्षों में विभाजित थे तथा भण्डारगृह, छात्र विश्राम कक्ष व पुस्तकालय कक्ष आदि की सुविधायें लगभग अनुपस्थित थी।

कामब्ली, पी0 आर0 (1992) ने अनुसूचित जाति के प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। यह अध्ययन महाराष्ट्र के देवगढ़ तालुका के विशेष सन्दर्भ में किया गया है। इस अध्ययन में यह पाया गया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से लाभन्वित होकर पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बढ़ा है, साथ ही साथ स्कूल छोड़ने की दर घटा है।

एमबेस्ट एन0 के0 तथा रथ के0 वी0 (1995) ने अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन, रिटेंशन तथा उपलब्धि पर परिवार, समाज तथा विद्यालय से सम्बन्धित घटकों के प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होने पाया कि ये तीनों घटक विद्यार्थी के नामांकन, रिटेंशन तथा उपलब्धि को प्रभावित करते हैं।

त्रिपाठी, जी0एस0 (1996) ने 'बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा को अवरोधित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक' विषयक शोध पर अध्ययन करके पाया कि बालिकाओं के विद्यालय में अल्प नामांकन, उच्च अपव्यय व अवरोधक के पीछे प्रमुख कारण समुदाय का असहयोग है। अभिभावक बालिका शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण रखते हुए पाये गये तथा समुदाय ने भी अपने सदस्यों को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसके अतिरिक्त विद्यालय का दूर स्थिति होना अभिभावकों को संकुचित दृष्टि, महिला अध्यापकों की कमी तथा बालिकाओं हेतु प्राथमिक विद्यालयों में अल्प शौचालय का अभाव भी बालिका शिक्षा के प्रमुख अवरोध सिद्ध हुए है।

अतः देखा जाये तो बालिकाओं की शिक्षा के अवरोध में उपरोक्त कारण आज भी समाज में व्याप्त है। ग्रामीणों, समाजों में आज भी सामुदायिक सहभागिता, एवं माँ–बाप का संकुचित सोच ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा में अवरोधन का काम करते है।

सरोज के (1999) ने 'स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग द फीमेल स्कूल ड्राप आउट फिनोमिनन इन रूरल एरियाज' नामक शोध विषय पर एक वैयक्तिक अध्ययन किया। यह अध्ययन कर्नाटक के गंगा जिले पर आधारित है। इस अध्ययन में पाया कि बालिकाओं के स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारण थे स्कूल में महिला अध्यापकों की कमी, स्कूल का गाँव से दूर होना तथा शिक्षा एवं खेल से सम्बन्धित संसाधनों का अभाव होना रहा है।

श्रीवास्तव, गीता (1999) मलिन बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति एवं अवरोधों का अध्ययन किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सरकारी प्रयासों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। भवन फर्नीचर, शिक्षक, शिक्षिका आदि सभी दृष्टि से स्थिति शोचनीय है इसका मुख्य कारण सरकारी योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन न होना। मलिन बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा सुचारु रुप से प्रदान नहीं की जा पा रही है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र सबसे बड़ा अवरोध निर्धनता पाया गया।

बच्चों में प्रेरणा का अभाव तथा छोटी उम में धनार्जन के कार्यों में माता–पिता द्वारा कार्य में लगा देना, भी शिक्षा अवरोध का मुख्य कारण है।

बैनर्जी, रूकमनी (2000) ने दिल्ली और मुम्बई के प्राथमिक विद्यालया में किये गये अध्ययनों में पाया कि बहुत से बच्चों के स्कूल न जा पाने में उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बाधक बनती है, बजाय स्कूल की व्यवस्था तुलना में।

कौल, रेखा (2001) ने कर्नाटक के 93 प्राथमिक विद्यालय पर किये गये अध्ययनों में पाया कि प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल छोड़ने एवं नामांकन के पीछे प्रमुख कारण गरीबी है।

चाइल्ड राइट एण्ड यू और पश्चिम बंगाल शिक्षा नेटवर्क द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के मुताबिक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क मुफ्त शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद भी पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में इसका क्रियान्वन चुनौती बना हुआ है। नेटवर्क ने दो माह के सर्वेक्षण के बाद प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में कहा कि नौ जिलों में 2010 बच्चों ने शिक्षा पूरी करने के पहले ही स्कूल छोड़ दिया है।

यदपपनवर, ए0वी0 (2002) ने 'फैक्टर्स इनफ्लूसिंग ऐलीमेन्टरी स्कूल्स' नामक विषय पर एक वैयक्तिक अध्ययन किया। यह अध्ययन कर्नाटक के जिला रायछोर के ब्लाक डियोदुर्ग पर आधारित है। इस अध्ययन में पाया कि बच्चों के स्कूल छोड़ने का प्रमुख कारण गरीबी था। वहीं लड़कियों में स्कूल छोड़ने के पीछे कारण था। अभिभावक का लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा को कम महत्व देना इसके अलावा स्कूल में बुनियादी जरूरतों की सुविधा न होने की वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे।

ऐसे ही एक सर्वे में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर **गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठन 'प्रथम'** ने शिक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षारत बच्चों के अपूर्ण ज्ञान स्तर को उजागर किया है। वर्ष 2009 में देश के 575 जनपदों, 16000 से अधिक गाँवों के 3 लाख से अधिक परिवारों के 7 लाख से अधिक बच्चों पर कराए गये इस देश व्यापी सर्वेक्षण से पता चला है कि :–

1. वर्ष 2009 की ग्रामीण भारत में 6–14 वर्ष आयु वर्ग के 96 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी विद्यालय में शिक्षारत है।
2. लड़कों की तुलना में लड़कियों की नामांकन दर नीची है विशेष रूप से 11–14 वर्ष के आयु वर्ग में।
3. कक्षा–1 में अध्ययनरत 68.8 प्रतिशत बच्चे ही अक्षरों को 69.3 प्रतिशत बच्चे संख्याओं को पहचान पाते है।
4. कक्षा–5 में अध्ययनरत 40 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे कक्षा–2 स्तर की पुस्तक भी नहीं पढ़ पाते।
5. भारत के 75 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में पेयजल तथा 81.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा है।

उपर्युक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि केवल कानून बना देने मात्र से प्रारम्भिक शिक्षा की दशा नहीं बदली जा सकती है। जब तक इस कानून को लागू करने में आने वाली समस्याओं का समाधान न किया जाये।

प्लान इण्डिया न्यू दिल्ली (2009) द्वारा भारत के चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, और दिल्ली में Participatiory Approach to Iidentity Reasons for Exclusion Among out of School Children विषयक शोध पर अध्ययन करके पाया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो बच्चे स्कूल से बाहर थे उसके पीछे निम्न कारण थे जैसे– टीचर एवं समुदाय के सहयोग का अभाव, बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार न होना, सही भाषा का प्रयोग न करना, शारीरिक दण्ड देना, स्कूल का दूर होना, मनोरंजन के साधनों की सुविधा न होना, काम का दबाव होना आदि वही लड़कियों के लिए घर में काम करना एवं छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने का काम करवाना तथा लड़कों से खेती का काम करवाना आदि कारण बच्चों का स्कूल से बाहर होना प्रमुख कारण था। वहीं दिल्ली और उत्तराखण्ड में ज्यादातर बच्चे रेगुलर स्कूल जाते थे जिसके पीछे प्रमुख वजह थी परिवार का सहयोग और जो स्कूल से बाहर थे उसके पीछे कारण था परिवार का सहयोग न होना तथा स्कूल में सीखने का अच्छे वातावरण का न होना प्रमुख कारण था।

इस प्रकार उपर्युक्त शिक्षा से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद प्राथमिक विद्यालय में अल्प नामांकन अपव्यय व अवरोधक की समस्या बनी हुई है। जिसे नियन्त्रण करके ही शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सके।

अध्ययन समस्या

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर ठोस कदम उठाये गये थे तथा संविधान में अनुच्छेद 45 में निर्दिष्ट किया गया था कि राज्य 10 वर्षों के भीतर सभी 6–14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 1951 से हमारे देश में विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से शुरू किये गये। जिसमें बालक/बालिकाओं की शिक्षा पर समान बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न परियोजनाओं के चलाये जाने के क्रम में नई शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्तर का अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के उपाय पर बल दिया। अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये। वर्तमान में अपव्यय अवरोधन को रोकने एवं शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने, गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे–जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1996, सर्वशिक्षा अभियान 2002, मिड डे मिल योजना 1995, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय 2007 आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे है, परन्तु अभी भी बालिकाओं को शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है।

भारत में सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी आज बालिकाओं की शिक्षा की समस्या विकाराल रूप धारण किये हुए है। बालिकाओं का जीवन आज भी अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह समस्या और भी विकट रूप से व्याप्त है। देश में करोड़ों बालिकायें गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित है तथा स्कूल ड्रापआउट की समस्या अभी भी बनी हुयी है। जो देश एवं समाज के लिए चिन्ता का विषय है। शिक्षा का

अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद क्या ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हो पा रहा है? इस अधिनियम के द्वारा क्या बालिकाओं की शैक्षिक समस्यायें दूर हो पा रही है? यह अधिनियम जैसा कि समाज में बराबरी और विकास लाने की भावना से ही शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है पर क्या यह अधिनियम बालिकाओं को बराबरी एवं विकास की दृष्टि से समानता लाने में योगदान दे पा रहा है? आदि का पता लगाना ही प्रस्तुत शोध अध्ययन की समस्या है।

उद्देश्य

1. भारत वर्ष में विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)।
3. ग्रामीण बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति पर इसका प्रभाव का अध्ययन करना।

उपकल्पना

1. अभिभावकों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करती है।
2. ग्रामीण बालिकाओं में स्कूल छोड़ने (Drop-Out) की समस्या बनी हुई है।
3. ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
4. अभिभावकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा अन्य शैक्षिक योजनाओं की जानकारी की कमी होती है।
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है।

अध्ययन प्रद्धति

अध्ययन प्रारूप– प्रस्तुत शोध अध्यन शोध प्रबन्ध में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रारूप का प्रयोग किया गया है। जिसके द्वारा अध्ययन शोध के विषय शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति से सम्बन्धित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत अध्ययन शोध में अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा यहाँ भी शिक्षा का स्तर निम्न है। इस जनपद में पुरूष साक्षरता दर 72.49 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 54.10 प्रतिशत है। बाराबंकी जनपद में 17 विकास खण्डों की संख्या है। इस जनपद की जनसंख्या जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 89.85 प्रतिशत है तथा नगरीय क्षेत्रों में 10.05 प्रतिशत है। महिला साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में 50.92 प्रतिशत है तथा नगरीय क्षेत्र में 64.56 प्रतिशत है।

विकास खण्ड का चयन– प्रस्तुत अध्ययन शोध में अध्ययन क्षेत्र के रूप में बाराबंकी जिले के सिद्धौर विकास खण्ड का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। इस विकास खण्ड को चयन करने के निम्न आधार है।

1. यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है।
2. यह क्षेत्र आर्थिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है।
3. इस क्षेत्र में अधिकांश लोग कृषि तथा मजदूरी कार्यों में संलग्न रहते है जिसकी वजह से यहाँ शिक्षा का स्तर निम्न है।

अध्ययन निदर्शन के चयन की पद्धति– प्रस्तुत अध्ययन शोध प्रबन्ध में निदर्शन के रूप में सिद्धौर ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले प्राइमरी स्कूलों में से दस मिश्रित स्कूलों का चयन किया गया है। जिसमें से सात प्राथमिक स्तर के परिषदीय विद्यालय तथा दो प्राईवेट विद्यालय एवं एक कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का

चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। अन्य सभी स्कूलों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र के विद्यालय तथा विद्यार्थियों की संख्या

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	विद्यार्थियों की संख्या	चयनित विद्यार्थियों की संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय लोधपुरवा, सिद्धौर बाराबंकी	130	24
2	प्राथमिक विद्यालय बाकरगंज, सिद्धौर बाराबंकी	148	33
3	प्राथमिक विद्यालय जमलापुर, सिद्धौर बाराबंकी	119	33
4	प्राथमिक विद्यालय न्योछना, सिद्धौर बाराबंकी	139	33
5	पूर्व माध्यमिक विद्यालय न्योछना, सिद्धौर बाराबंकी	157	33
6	पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंगवाई पठनान्, सिद्धौर बाराबंकी	109	30
7	पूर्व माध्यमिक विद्यालय अन्दका, सिद्धौर बाराबंकी	65	24
8	बी0 एम0 बी0 वी0 हाईस्कूल सिद्धौर बाराबंकी (प्राथमिक स्तर)	143	30
9	बी0 एम0 बी0 वी0 हाईस्कूल सिद्धौर बाराबंकी (उच्च प्राथमिक स्तर)	103	30
10	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कैसरगंज, सिद्धौर बाराबंकी	100	30
कुल		**1213**	**300**

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

निदर्शन का आकार– अध्ययन के निदर्श के रूप में 300 ग्रामीण बालिकाओं का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया। 120 बालिकायें अनुसूचित जाति, 120 बालिकायें पिछड़े वर्ग की, 30 बालिकायें सामान्य वर्ग की तथा 30 बालिकायें अल्पसंख्यक वर्ग की हैं। जो केवल मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं। अध्ययन हेतु चयनित 10 स्कूल में से प्रत्येक स्कूल से 12 बालिकायें अनुसूचित जाति की, 12 बालिकायें पिछड़े वर्ग की, 3 बालिकायें सामान्य वर्ग की तथा 3 बालिकायें अल्पसंख्यक वर्ग की हैं। परन्तु 300 की संख्या पूरा करने के लिए जिन परिषदीय विद्यालय में सामान्य वर्ग की बालिकायें नहीं थी, उनकी जगह अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को दत्तरदाता के रूप में शामिल हैं। चयनित बालिकाओं के साथ

अभिभावक भी उत्तरदाता के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा स्कूल के हेड मास्टर तथा शिक्षक (महिला एवं पुरूष दोनों) भी उत्तरदाता के रूप में शामिल हैं।

अध्ययन के उपकरण– प्रस्तुत अध्ययन शोध में अध्ययन के उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तरदाताओं के सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि की स्थिति, स्कूल में नामांकन की स्थिति एवं स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, शैक्षणिक समस्या तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता सम्बन्धी सूचनाओं को प्राप्त किया जायेगा। यह सभी सूचनायें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किये गयें हैं। इसके अलावा अवलोकन एवं सामूहिक परिचर्चा का भी प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का संकलन– प्रस्तुत अध्ययन शोध मे प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन एवं सामूहिक परिचर्चा के माध्यम से किया गया है। तथा द्वितीयक तथ्यों का संकलन शोध पत्र, पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों, जनगणना रिपोर्टों, इन्टरनेट, सर्वशिक्षा अभियान द्वारा वार्षिक कार्य योजना (Annual Work Plan and Budget) पर प्रकाशित रिपोर्ट, डायस डेटा (Dise Data) आदि के माध्यम से किया गया है।

अध्ययन का महत्व

विभिन्न शोध पत्रों, लेखों आदि में छपे मुद्दों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि शिक्षा की अनेक येाजनाओं के बाद भी प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, और ये आज भी प्रासंगिक है इसलिए ऐसे में आवश्यक है कि बालिकाओं की शैक्षिक संबंधी समस्याओं की पुर्नपरीक्षा की जाय और उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाय। इसलिए प्रस्तुत शोध शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षिणिक स्थिति की समस्या को लेकर अध्ययन करना आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

अध्याय योजना

1. परिचय
2. भारत वर्ष में शिक्षा आयोग एवं कार्यक्रम
3. बाराबंकी जनपद का सामाजिक तथा शैक्षणिक स्वरूप
4. ग्रामीण बालिकाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि
5. ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति
6. शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति पर इसका प्रभाव
7. निष्कर्ष

अध्याय– 2

भारत वर्ष में शिक्षा आयोग एवं कार्यक्रम

भारत अति प्राचीन काल से गौरवशाली संस्कृत के लिए प्रसिद्ध हैं। शिक्षा को अच्छी तरह से संरक्षित करने में भारत प्राचीन शिक्षा प्रणाली मुख्य रुप से समाज के उच्च वर्ग से संबन्धित लोगों के हितो में कार्य किया साथ ही सामाजिक बहुलता और सांस्कृतिक विविधिता के क्षेत्र का सम्मान भी किया। प्रमुख रुप से गुरु घर आश्रम और बौद्ध बिहार शिक्षा का केन्द्र रहे। औपनिवेशिक शासन के आने से मध्युगीन काल की पारम्परिक शिक्षा धीरे–धीरे खत्म हो गई। उस समय भारत की शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। भारत में 1910 में पहली बार अलग से शिक्षा विभाग खोला गया। शिक्षा का एक मंत्रालय 29 अगस्त 1947 को स्थापित हुआ था। शिक्षा का वर्तमान विभाग मानव संस्थान मंत्रालय के चार घटक विभाग 26 सितम्बर 1985 को बनाया गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुआ इस काल में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा की संकल्पना अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा में गुणात्मक सुधार आदि बातों की तरफ ध्यान दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की तीव्र आलोचना की गई तथा उसे भारत की नवीन परिस्थितियों के अनुरुप ढ़ालने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके उपरान्त भारत में भारत सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न आयेागों, समितियों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का गठन किया गया। उन सभी आयोगों, समितियों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रस्तुत अध्याय में विश्लेषण किया गया है।

स्वतन्त्रता उपरान्त भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया।

1. **शिक्षा आयोग या कठोरी आयोग (1964–66)**:–डॉक्टर डी0 एस0 कोठारी की अध्यक्षता में जुलाई, 1964 ई0 में कोठारी आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रुपरेखा, नीतियों की रुपरेखा बनाने का सुझाव दिया गया। शिक्षा में विकास के लिए 1948 ई0 में राधाकृष्णनन् आयोग व 1952 ई0 में

मुदालियर आयोग की स्थापना की गई। इन आयोगों की संस्तुतियाँ आंशिक रूप से क्रियान्वित की जा सकी जिससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार कम हुआ और खामियाँ अधिक आ गई। इसलिए इन अवगुणों को दूर करने के लिए 1964 ई0 में एक अन्य शिक्षा आयेाग की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी थे और इन्हीं के नाम पर इसे "कोठारी आयोग" के नाम से जाना गया। इस आयोग की नियुक्ति 4 जुलाई, 1964 को की गई तथा गाँधी जयन्ती के दिन यह क्रियाशील हुआ।

आयोग का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था जिसके कारण शिक्षा के विविध स्तरों व उनके सभी पहलुओं की जाँच हेतु 12 कार्य दल और 7 कार्य समूह गठित किए गए जिन्होंने 21 माह तक अखिल भारतीय स्तर पर समस्त विधियों से शिक्षा के विविध स्तरों और उनके समस्त पहलुओं से सुचनाएँ व तथ्य संकलित किए। इनके आधार पर आयेाग ने अपना प्रतिवेदन कुल 692 पृष्ठों में तैयार किया और इस प्रतिवेदन को तीन भागों में विभाजित किया गया। जिसमें निम्नलिखित पहलुओं का समावेश है –

1. विद्यालयी शिक्षा, प्रशासन एवं निरीक्षण
2. उच्च शिक्षा–प्रवेश और कार्यक्रम
3. विश्वविद्यालय संप्रभुता
4. कृषि–शिक्षा
5. व्यावायिक, औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा
6. विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान
7. प्रौढ़ शिक्षा
8. शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन एवं
9. शिक्षा की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है।
10. शिक्षा और राष्ट्रीय आदर्श
11. शिक्षा प्रणाली, संरचना एवं स्तर
12. अध्यापक का स्तर
13. अध्यापक शिक्षण

14. नामांकन एवं जन शक्ति
15. शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों की समानता
16. स्कूल की शिक्षा समसयाओं के प्रसार
17. शिक्षण विधि, निर्देशन तथा मूल्यांकन

इस आयोग के प्रतिवेदन ने शिक्षा के क्षेत्र में नए मोड़ उपस्थित किए। इसमें त्रिभाषा सूत्र को लेकर अत्यधिक चर्चा हुई हैं।

आयोग की नियुक्ति के प्रयोजन– भारत सरकार ने अपने 14 जुलाई सन् 1964 के प्रस्ताव में आयोग की नियुक्ति के प्रयोजनों को निम्नांकित शब्दों में प्रकाशित किया गया।

1. स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय में ही भारत–सरकार ने अपने देश की लोकप्रिय परम्पराओं तथा आधारभूत मान्याताओं और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा–प्रणाली के विकास के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया हैं इस दिशा में कुछ कार्य भी किया गया है, पर सामान्यतः समय की मांगों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास नही हुआ है। शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब भी 'विचार तथा कार्य' में महान् अन्तर विद्यमान है।
2. स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही देश की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को स्वीकार किया गया है। शिक्षा ही सच्चे लोकतन्त्रीय समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को सम्भव बना सकती है। शिक्षा ही व्यक्ति को श्रेष्ठता तथा पूर्णता की अनन्त खोज हेतु प्रेरणा दे सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब यह अनिवार्य समझा जाने लगा है कि शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए, जिसके परिणामस्वरुप कम से कम सम्भव समय में एक ऐसी ससन्तुलित तथा सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सके, जो राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदान दे।

3. स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही भारत ने राष्ट्रीय विकास के नवयुग में प्रवेश किया है। इस युग में भारत के लक्ष्य है– न केवल शासन, बल्कि जीवन के ढंग में भी धर्म–निरपेक्ष लोकतन्त्र की स्थापना, जनता की निर्धनता की समाप्ति, कृषि का आधुनिकीकरण तथा उद्योगों का शीघ्र विकास करके, सब व्यक्तियों के रहन–सहन के स्तर का उन्नयन, आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग और परम्परागत आध्यातिमक मूल्यों से उनका समन्वयः समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करने, धन का उचित वितरण और सब व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार तथा सांस्कृतिक प्रगति हेतु अवसरों की समानता।

   इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षा को सर्वाधिक शक्तिशाली साधन माना जाने लगा हैं। लेकिन शिक्षा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में तभी मदद दे सकती है, जब उसके परम्परागत स्वरुप में आमूल बदलाव कर दिया जाए और उसमें आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए।

4. स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही सब स्तरों पर शिक्षा का असाधारण विस्तार हुआ है। लेकिन, इस विस्तार के बावजूद शिक्षा के अनेक अंगों के सम्बन्ध में व्यापक असन्तोष है। उदारह के रूप में–14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों हेतु निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। जनसाधरण की निरक्षरता का समाधान नहीं किया गया है। माध्यमिक स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तरों का पर्याप्त उन्नयन नही किया गया है। माध्यमिक तथा उचच शिक्षा में पाठ्यक्रमों का विभिन्नीकरण की योजना को पूर्ण नहीं किया गया है। जिसके परिणास्वरुप एक ओर शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी पहले से अधिक हो गई है और दूसरी ओर अनेक उद्योगों तथा व्यवसायों हेतु प्रशिक्षित व्यक्तियों का अत्यधिक अभाव है। शिक्षकों के वेतनों तथा कार्य की दशाओं में वांछनीय बदलाव नही किए गए हैं। शिक्षा की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर अब भी तीव्र विवाद चल रहा है।

संक्षेप में, जिस गति से शिक्षा की संख्यात्मक प्रगति हुई है, उस गति से गुणात्मक उन्नति हेतु निर्धारित की जाने वाली नीतियों और निश्चित किए जाने वाले कार्यक्रमों को सन्तोषजनक रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है।

5. स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही भारत सरकार का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा–राष्ट्रीय प्रगति तथा कल्याण का आधार है। सरकार का यह भी दृढ़ विश्वास है कि देश तथा जनता का जितना हित शिक्षा से हो सकता है, उतना किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकता है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिक के सब साधनों का प्रयोग करने का और इन पर अधिक से अधिक धन व्यय करने का निश्चय कर लिया है। पर यह तभी किया जा सकता है, जब शिक्षा का आधार उत्तम तथा प्रगतिशील हो। सरकार ने शिक्षा को इस आधार पर प्रतिष्ठित करने का दृढ़ संकल्प किया है।
6. भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए, शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जांच की जानी जरुरी है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के सब अंग एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव भी डालते हैं। उत्तम माध्यमिक विद्यालयों के बिना शक्तिशाली तथा प्रगतिशील विश्वविद्यालय नहीं हो सकते हैं और माध्यमिक विद्यालय तभी उत्तम हो सकते हैं, जब प्राथमिक विद्यालय कुशलतापूर्वक कार्य करें।

अतएवः जरुरी है कि शिक्षा के विभिन्न अंगों तथा स्तरों की अलग – अलग जाँच न करके, शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। उक्त प्रस्ताव के अन्त में लिखा गया है – "पिछले समय में अनेक आयोगों तथा समितियों ने शिक्षा के समितियों क्षेत्रों तथा विशिष्ट अंगों का सर्वेक्षण किया है। इसके विपरीत, अब सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जाएगा।"

आयोग के मुख्य सुझााव– भातरीय शिक्षा का गम्भीर अध्ययन करने के उपरांत आयोग ने निम्नलिखित बिन्दुओं के संदर्भ में अपने सुझााव दिये –

1. शिक्षा तथा राष्ट्रीय लक्ष्य

2. शिक्षा की संरचना तथा स्तर
3. अध्यापक की स्थिति
4. अध्यापक शिक्षा
5. छात्र संख्या तथा जनबल
6. शैक्षिक अवसरों की समानता
7. विद्यालय शिक्षा का विस्तार
8. विद्यालय पाठ्यक्रम
9. शिक्षण विधियाँ, निर्देशन तथा मूल्यांकन
10. उच्च शिक्षा
11. स्त्री शिक्षा
12. वयस्क शिक्षा
13. विज्ञान की शिक्षा
14. कृषि की शिक्षा
15. व्यावसायिक प्राविधिक तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा

स्वायत्तता हेतु सुझाव–

- कोठरी कमीशन के अनुसार स्वायत्तता हेतु आवश्यक है।
- विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, महाविद्यालयों एवं शिक्षकों तथा छात्रों को स्वायत्ता मिलनी चाहिए।
- विश्वविद्यालय को प्रकाशन एवं आर्थिक संस्थानों से स्वायत्ताता मिलनी चाहिए।
- राजनीति एवं बाजार के दबाव से भी शिक्षा मुक्त होनी चाहिए।
- सरकार द्वारा आवश्यक आर्थिक सहयोग अवश्य हो (कुछ लोगों का मानना है इसके कारण भी विश्वविद्यालय पर सरकार का दबाव रहता है) ओडिट सरकार के द्वारा न होकर समाज के द्वारा हो। इस हेतु सरकार नियम भी इस दृष्टिकोण से बनाये।

- विश्वविद्यालय की स्वायत्ताता के साथ–2 जवाबदेही भी सुनिश्चित हो एवं कार्य प्रणाली में पारदर्शिता भी रहे जिससे उनकी स्वायत्ताता बनी रहें एवं सही दिशा में विकास हो तथा विश्वविद्यालय शैक्षिक ऊचाइयाँ को प्राप्त कर सके।

प्रशासन सम्बन्धी सुझाव – आयोग के प्रशासन सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं–

1. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए।
2. शिक्ष प्रशासकों और शिक्षकों के बीच स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाए।
3. शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय मान जाए और उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार 'नेशनल एजूकेशन एक्ट' और प्रान्तीय सरकारें 'स्टेट एजूकेशन एक्ट' बनाएं।
4. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी, गैर सरकारी, भारतीय शिक्षा सेवा और विश्वविद्यालयों में से योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाए।
5. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के सांख्यिकीय विभाग को सुदृढ़ किया जाए।
6. 'भारतीय शिक्षा सेवा' में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का पर्याप्त अनुभव हों।
7. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को और अधिक अधिकार दिए जाएं।

वित्त सम्बन्धी सुझाव– आयोग के वित्त समबन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. सरकार अपने केन्द्रीय बजट में शिक्षा हेतु कम से कम 6 प्रतिशत का प्रावधान करें।
2. राज्य सरकारें भी अपने बजटों में शिक्षा हेतु और अधिक धनराशि आवंटित करें।
3. राज्यों में स्थानीय संस्थाओं (ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं) को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का वित्तीय भार सौंपा जाए।
4. व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए।

5. शिक्षा के लिए आय के स्रोत बढ़ाने के उपायों की खोज की जाए, इस क्षेत्र में अनुसंधान किए जाएं।

नियोजन सम्बन्धी सुझाव – आयोग के नियोजन सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. शैक्षिक नियोजन केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर अलग–अलग किया जाए।
2. विद्यालयों शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें मिलकर करें और उच्च शिक्षा का नियोजन प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारें मिलकर करें।
3. शैक्षिक नियोजन वर्तमान और भविष्य की मांगों के आधार पर किया जाए, राष्ट्रीय प्रान्तीय और उसके उपरांत स्थानीय आधार पर प्राथमिकताओं का वर्गीकरण किया जाए और उनके आधार पर सभी कार्यक्रम नियोजित किए जाएं।
4. शैक्षिक नियोजन इस तरह किया जाए कि 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों हेतु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सकें, माध्यमिक शिक्षा 70 प्रतिशत बच्चों हेतु पूर्ण शिक्षा हो सकें और शेष 30 प्रतिशत मेधावी छात्र–छात्राएं उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें।
5. शैक्षिक नियेाजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कुल शिक्षा बजट राशि का 2/3 सामान्य शिक्षा पर व्यय हो और 1/3 उच्च शिक्षा पर व्यय हो।
6. शैक्षिक नियेाजन में अपव्यय तथा अवरोधन को रेाकने हेतु विशेष प्रावधान किया जाए।
7. शैक्षिक नियोजन में शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ उसमें गुणात्मक सुधार हेतु व्यवस्था की जाएं।

शिक्षा की संरचना सम्बन्धी सुझाव– आयोग के शिक्षा की संरचना सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. सामान्य शिक्षा की कुल अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए।

2. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि सामान्य वर्ग की 2 वर्ष और व्यावसायिक वर्ग की 1 से 3 वर्ष होनी चाहिए।
3. विद्यालय संकुलों का यथा शीघ्र निर्माण किया जाए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके निकटवर्ती सभी प्राथमिक स्कूल हों।
4. प्रथम सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा समाप्त करने पर होनी चाहिए।
5. सामान्य शिक्षा आरम्भ करने से पूर्व छात्रों को 1 से 3 वर्ष तक की पूर्व विद्यालय अथवा पूर्व–प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए।
6. प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष की होनी चाहिए और इसको निम्नलिखित दो भागों में किया जाना चाहिए – (1) 4 अथवा 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और (2) 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा।
7. निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 अथवा 3 वर्ष की होनी चाहिए।
8. निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अग्रांकित दो प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए – (1) 2 अथवा 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा, और (2) 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा।
9. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 अथवा 3 वर्ष की होनी चाहिये।
10. प्रथम सार्वजनिक बाह्य परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा के पश्चात् होनी चाहिए।
11. कक्षा 1 में प्रवेश करने की आयु साधारणतः 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
12. 9वीं कक्षा से पृथक विद्यालय स्थापित किए जाने की प्रचलित विधि का अन्त कर देना चाहिए।
13. 10वीं कक्षा तक छात्रों को किसी विषय में विशिष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
14. माध्यमिक विद्यालय केवल अग्रांकित दो प्रकार के होने चाहिए–(1) हाईस्कूल और (2) हायर सेकेण्डरी स्कूल। हाईस्कूलों में शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में यह अवधि 12 वर्ष की हेानी चाहिए।

शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य या कार्य सम्बन्धी सुझाव–

आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार माना है। उसने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य, लक्ष्य या कार्य निश्चित किए और इन्हें पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी। आयोग ने इनमें से प्रत्येक की प्राप्ति हेतु अनेक अन्य कार्य भी निश्चित किए। जो निम्नलिखित हैं।

1. **शिक्षा व उत्पादन –** आयोग ने राष्ट्र के विकास हेतु शिक्षा को उत्पादनपूरक बनाने पर बल दिया और इसके लिए अधोलिखित सुझाव दिए –

(1) विज्ञान की शिक्षा को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिखा का अनिवार्य अंग बनाया जाए और इस का उपयेाग उत्पादन कार्यों में यिका जाए।

(2) कार्यानुभव को संपूर्ण विद्यालयी शिक्षा का अनिवार्य व विशिष्ट अंग बनाया जाए।

(3) माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यवसायपरक बनाया जाए।

(4) उच्च शिक्षा में कृषि विज्ञान और प्रावैधिकी तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए।

(5) विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में शोध कार्य को विकसित किया जाए और उत्पादन के कार्यों हेतु प्रयोग किया जाए।

2. **सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता–** आयेाग ने इस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए –

(1) सार्वजनिक शिक्षा हेतु सामान्य स्कूलों की स्थापना की जाए। इनमें राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, शिक्षा सबके लिए, समान रुप से और अच्छी शिक्षा आर्थिक आधार पर नहीं अपितु योग्यता के आधार पर सुलभ हो। यह प्रणाली 2 वर्ष में पूरी कर ली जाएं।

(2) शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा तथा राष्ट्र सेवा सभी छात्रों हेतु पूरी तरह अनिवार्य हों।

(3) सभी संघीय भाषाओं का विकास किया जाए और राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास हेतु विशेष प्रयास किए जाएं।

(4) विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयेाजन हो जिनसे बच्चों में सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता का विकास हो।

(5) सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का आयेाजन, अध्ययन के विषयों के साथ ही किया जाना चाहिए।

(6) प्रत्येक शिक्षा संस्था में सामाजिक तथा सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों को आरम्भ किया जाना चाहिए और प्रत्येक छात्र द्वारा इन कार्यक्रमों में उचित ढंग से भाग लिया जाना चाहिए।

(7) प्रत्येक जिले में 'श्रम तथा सामाजिक सेवा शिविरों' की नियमित रुप से व्यवस्था की जानी चाहिए और इनमें प्रत्येक छात्र की उपस्थित अनिवार्य होनी चाहिए।

(8) सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के विकास में मदद देने हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त 'भाषा– नीति' का निर्माण किया जाना चाहिए।

(9) मातृभाषा अर्थात् प्रादेशिक भाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। लेकिन, कुद समय के पश्चात् अंग्रेजी के सीान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

(10) अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रखना चाहिए। लेकिन, कुछ समय के पश्चात् अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

(11) जिन क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, उन क्षेत्रों में इन भाषाओं को यथाशीघ्र प्रशासन की भाषाओं के रुप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

(12) अंग्रेजी के शिक्षण तथा अध्ययन को विद्यालय स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(13) रुसी भाषा तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य भाषाओं के अध्ययन के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(14) विश्व की कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं की शिक्षा देने हेतु कुछ स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

(15) बी0 ए0 तथा एम0 ए0 के स्तरों पर छात्रों को दो भारतीय भाषाओं के अध्ययन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

(16) सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतन के विकास को विद्यालय–शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाना चाहिए।

(17) सभी पाठ्यक्रमों में नागरिकता, संविधान से सिद्धान्तों तथा लोकतन्त्रीय समाजवादी समाज के स्वरुप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए।

3. **शिक्षा द्वारा लोकतन्त्रीय मूल्यों का विकास–** आयोग की दृष्टि में शिक्षा लोकतन्त्र की रीढ़ है, शिक्षा के अभाव में लोकतन्त्र सफल नहीं हो सकता। उसने देश के नागरिकों में लोकतन्त्रीय मूल्यों के विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए–

(1) 6 से 14 वर्ष तक के बालकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य तथा निःशुल्क की जाए।

(2) सभी बच्चों को, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं।

(3) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का समुचित विकास किया जाए और इन स्तरों पर युवकों को कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए।

(4) विद्यालयों में वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनसे बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था पैदा हो और वे तदानुकूल व्यवहार करें।

(5.) प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

4. **शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण –** आयोग का राष्ट्र के आधुनिकीकरण से आशय विज्ञान तथा तकनीकी के प्रयोग से देश का आर्थिक विकास करने और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने से हैं। शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करने हेतु उसने अधोलिखित सुझाव दिए हैं –

(1) 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

(2) जनसाधारण यानी सामान्य व्यक्ति के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाया जाए।

(3) उच्च स्तर पर विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए और आधुनिकीकरण करने हेतु शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन बनाया जाए और आधुनिकीकरण की प्रगति तथा शैक्षिक प्रसार की गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जाए।

(4) छात्रों में स्वतन्त्र चिंतन, विचार और स्वतन्त्र निर्णय लेने की शक्ति व अध्ययन की भावना का विकास किया जाए।

5. **शिक्षा द्वारा सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास –** आयोग ने इन उद्देश्यों की प्रप्ति के लिए निमनलिखित सुझाव दिए –

(1) सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की अनिवार्य रुप से व्यवस्था की जाए। यह शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा आयेाग के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत दी जाए।

(2) प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जाए।

(3) माध्यमिक स्तर पर शिक्षक–शिक्षार्थी मूल्यों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करें और अपने लिए मूल्यों का चयन करें।

(4) विश्वविद्यालय स्तर पर मूल्यों का सुदृढ़ीकरण किया जाए और तुलनात्मक धर्म नामक विभाग का गठन किया जाए। जो यह खोज करें कि यहॉ पर उपरोक्त मूल्यों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उचित तथा प्रभावशाली है अथवा नहीं।

(5.) यह ध्यान देना चाहिए कि दोनों तरह के विद्यालयों में वहां का वातावरण सामाजिक, नैतिक तथा आध्यातिमक दृष्टि से मूल्य आधारित है अथवा नहीं और अगर वहां ऐसा वातावरण नही है तो उसके निर्माण का दायित्व वहां के शिक्षकों तथा सभी अधिकारियों के ऊपर डालना चाहिए ताकि इसके प्रति व जवाबदेह हो सकें।

विद्यालयी शिक्षा के बारे में सुझाव – भारतीय शिक्षा आयोग ने विद्यालयी शिक्षा के सन्दर्भ में जो सुझाव दिए उन्हें हम निम्नलिखित क्रम में समझ सकते हैं –

1. केन्द्र में 'राष्ट्रीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड' और 'भारतीय शिक्षा सेवा' का गठन किया जाएं।
2. प्रत्येक राज्य में 'राज्य विद्यालयी शिक्षा बोर्ड' और 'राज्य शिक्षा सेवा' का गठन किया जाएं।
3. देश में अनेक प्रकार के विद्यालय हैं– सरकारी, गैरसरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित, मदद प्राप्त, गैर मदद प्राप्त आदि। इनकी प्रबन्ध समितियां भिन्न–भिन्न प्रकार की हैं। 85–86 तक इन सबको समाप्त कर 'सामान्य विद्यालय प्रबन्ध पद्धति' का विकास किया जाए और इनकी प्रबन्ध समितियों में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो। जो विद्यालय प्रबन्ध समितियां विद्यालयों का उचित प्रबन्ध न कर सकें उन्हें भंग कर दिया जाए।
4. विद्यालयों के नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण मण्डलों में जिला विद्यालय निरीक्षण और उनके साथ योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों को रखा जाए।
5. प्रशासन से निरीक्षण कार्य को पृथक रखा जाए – जिले के विद्यालयों का प्रशासन कार्य जिला विद्यालय बोर्ड के हाथों में हो और उनके निरीक्षण का कार्य 'जिला शिक्षा अधिकारी' के हाथों में हो, लेकिन दोनों में सहयोग होना चाहिए।
6. प्रत्येक जिले में पूर्व–प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने हेतु एक केन्द्र की सृष्टि की जानी चाहिए। इस केन्द्र के मुख्य कार्य होने चाहिए–(1) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, (2) इन विद्यालयों में कार्य

करने वाले शिक्षकों के अध्यापक का निरीक्षण करना और इन शिक्षकों हेतु 'अभिनव पाठ्यक्रमों' का संचालन करना।

7. व्यक्तिगत प्रबन्धकों को उदार आर्थिक मदद देकर, पूर्व–प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना तथा संचालन करने हेतु प्रेरणा दी जानी चाहिए।
8. पूर्व–प्राथमिक शिक्षा में परीक्षण कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि इस शिक्षा के विस्तार हेतु कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सकें।
9. पूर्व–प्राथमिक विद्यालयों के कार्यक्रमों में ज्ञानेन्द्रियों शिक्षा के अलावा विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए।
10. शिशुओं के खेल–केन्द्रों' को प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

भाषाओं का अध्ययन संबंधी सुझाव– आयोग के भाषाओं कार अध्ययन संबंधी सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. निम्न प्राथमिक स्तर पर छात्रों को साधारणतः एक भाषा का अध्ययन करना चाहिए। यह भाषा–मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए।
2. उच्चतर प्राथमिक स्तर पर छात्रों को दी भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। ये भाषाएँ – मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा और उनके राज्य की राजभाषा यह सह–राजभाषा होनी चाहिए।
3. निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए। वे भाषाएँ–मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, राजभाषा अथवा सह–राजभाषा और एक आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए।
4. उच्च शिक्षा की संसीाओं के छात्रों हेतु किसी भी भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
5. हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु सम्पूर्ण देश के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रमों का आयेाजन किया जाना चाहिए, पर किसी को हिन्दी का अध्ययन करने हेतु विवश नही किया जाना चाहिए।
6. अंग्रेजी की शिक्षा 5वीं कक्षा से पहले आरम्भ नही होनी चाहिए।

7. संस्कृत अथवा अरबी के समान शास्त्रीय भाषाओं की शिक्षा 8वीं कक्षा से आरम्भ होनी चाहिए, पर इन भाषाओं को वैकल्पिक विषयों में स्थान दिया जाना चाहिए।
8. शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन हेतु उच्च शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

विद्यालयी शिक्षा की शिक्षण विधि सम्बन्धी सुझाव– आयेाग के विद्यालयी शिक्षा की शिक्षण विधि सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. शिक्षण विधियाँ लचीली होनी चाहिए, उनमें गतिशीलता होनी चाहिए और क्रिया प्रधान तथा रोचक होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को स्वयं कदम उठाने चाहिए।
2. शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन दिया जाए, इसके लिए प्रदर्शनों, परीक्षणों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएं।
3. शिक्षकों को उचित निर्देशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएं।
4. विद्यालयों को शिक्षण सम्बन्धी सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
5. शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण दिया जाए और वे इनका निर्माण विद्यालयों की कार्यशालाओं में करें।
6. आकाशवाणी के सहयोग से पाठों का प्रसारण किया जाए।
7. विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षा अधिकारियों का दायित्व है कि वह परीक्षण विधियों में सुधार करेन हेतु उचित वातावरण का निर्माण करें।
8. शिक्षार्थियों हेतु पाठों का प्रसारण विद्यालय समय में किया जाए, शिक्षकों हेतु विद्यालयी समय से पहले या बाद में यिका जाए।
9. माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा या राजभाषा) द्वारा दी जाए।

पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी सुझाव–आयोग के पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. पाठ्य पुस्तकें तैयार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. पाठ्य पुस्तकों का निर्माण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिए।
3. पाठ्य पुस्तकों के लेखन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभावान व्यक्तियों को पारिश्रमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, उनका परीक्षण और मूल्यांकन राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व होना चाहिए।
5. शिक्षा मंत्रालय, पाठ्य पुस्तकों, विशेषकर विज्ञान तथा तकनीकी की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए एक स्वायत्त संस्था का गठन करें।
6. प्रत्येक राज्य में पाठ्य निर्माण हेतु समितियों का निर्माण किया जाए।
7. शिक्षा विभाग को स्वयं पाठ्य पुस्तकों की ब्रिकी न करके, इस कार्य को विद्यालयों के सहकारी भण्डारों को सौंप देना चाहिए।
8. शिक्षा विभाग को आकाशवाणी से सम्पर्क स्थापित करके रेडियो द्वारा विभिन्न पाठों के शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

विद्यालयी शिक्षा में निर्देशन तथा परामर्श समबन्धी सुझाव– आयेाग के विद्यालयी शिक्षा में निर्देशन तथा परामर्श सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं–

1. छात्र–छात्राओं हेतु निर्देशन तथा परामर्श की व्यवस्था प्राथमिक स्तर से ही की जाए।
2. प्राथमिक विद्यालयों में निम्नतम कक्षा से निर्देशन दिए जाने का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए।
3. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण काल में निर्देशन सम्बन्धी सब बातों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए।

4. अध्यापकों को निर्देशन कार्य में मदद देने हेतु व्यावसायिक शिक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए।
5. आगे की शिक्षा के विषयों का चयन करने हेतु विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की मदद की जानी चाहिए।
6. माध्यमिक स्तर पर छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता के आधार पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन तथा परामर्श दिया जाए।
7. माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के द्वारा पिछड़े तथा प्रतिभावान छात्रों की पहचान हो जानी चाहिए।
8. प्रत्येक जिले में कम से कम एक विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श की विशेष व्यवस्था की जाए।
9. 10 विद्यालयों पर एक निर्देशन तथा परामर्श अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
10. मार्गदर्शन कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था राजकीय मार्गदर्शन ब्यूरो और प्रशिक्षण महाविद्यालयों में की जाए।

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार सम्बन्धी सुझाव – आयोग के प्राथमिक शिक्षा के प्रसार सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. सन् 1975–76 तक देश के सब बच्चों हेतु 5 वर्ष की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या बहुत अधिक तेजी से बएत्र रही है, उससे अधिक तेजी से प्राथमिक स्कूल खोले जाएँ और 85–86 तक 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिए।
3. इस स्तर पर अपव्यय और अवरोधन सर्वाधिक होता है उसे रोकने के उपाय किए जाएँ।

4. ऐसे बच्चे जो किसी कारण प्राथमिक शिक्षा के उपरांत कक्षा 7 पास करने के समय 14 वर्ष के न हों और आगे पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही किसी व्यावसायिक शिक्षा पर हस्तकार्य में निपुण किया जाए।
5. सभी बच्चों को एक किमी0 की दूरी के अन्दर प्राथमिक और 3 किमी की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए जाएँ।
6. जिन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त पूर्णकालीन उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ न हो उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
7. 11 से 14 वर्ष के उन सभी बच्चों हेतु जिन्होंने किसी कारण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नही की है। 1 वर्षीय साक्षरता कक्षाएँ चलाई जाएँ।
8. पिछड़ी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों हेतु प्राथमिक विद्यालय खोले जाएँ।
9. मन्द बुद्धि और विकलांग बच्चों हेतु अलग से स्कूल खोले जाएँ।

विद्यालयी शिक्षा के उन्नयन सम्बन्धी सुझाव– आयोग के विद्यालयी शिक्षा के उन्नयन सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक, सभी स्तरों की शिक्षा के उद्देश्य सुस्पष्ट किए जाएँ।
2. पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक, सभी स्तरों की शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार किया जाए और उनकी पाठ्यचर्या में आपस में सम्बन्ध स्थापित किया जाएं।
3. शिक्षण विधियों में सुधार किया जाएं, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए।
4. सभी स्तरों की पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया जाए।
5. विद्यालयी स्तर पर शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श की व्यवस्था की जाए।
6. मूल्यांकन पद्धति में सुधार किया जाए।
7. 'विद्यालय स्कूलों' का यथा शीघ्र निर्माण किया जाए। प्रत्येक विद्यालय स्कूल के माध्यमिक और सभी प्राथमिक स्कूलों को अपना स्तर उठाने हेतु प्रेरित किया जाए।

इस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों की समीक्षा की। प्राथमिक शिक्षा के बारे निम्न सुझाव दिये थे –

- 1975–76 तक 5 वर्ष की प्रभावपूर्ण शिक्षा की व्यवस्थ हर बालक के लिए होनी चाहिए। 1986 तक सात वर्ष की शिक्षा हर बच्चे के लिए लिए हो।
- हर राज्य को प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएँ बनानी चाहिए।
- प्राइमरी स्कूल हर बच्चे को एक मील से तीन मील के अन्दर ही मिलना चाहिए।
- पहली कक्षा में 5–7 वर्ष के बच्चे लिए जाएँ।
- कक्षा 1–7 तक अपव्यय बहुत कम हो ? 80% से अधिक सफलता हो।
- कक्षाओं में प्रगति की रफ्तार 80–100% तक हो। अकारण ही बालक को फेल न किया जाये।
- प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्थनीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनाया जाए। इस पाठ्यक्रम में भाषा, अंकगणित, सामाजिक विषय, सामान्य ज्ञान, स्थानीय उद्योग सम्बन्धी विषय रखें जाएँ।

2. **नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक नया आयाम है। इससे पूर्व भी शिक्षा को दिशा प्रदान करने के प्रयास किये जाते रहे हैं। 1979 ई0 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रुपरेखा तैयार की गई लेकिन वह पारित होकर सामने नहीं आ सकी, इससे पूर्व 1979 ई0 में शिक्षा नीति की अपनी उपलब्धियाँ रहीं लेकिन आशानुकूल विकास नही हो पाई तथा एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसलिए जनवरी 1985 ई0 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक नई नीति के निर्माण की घोषणा की। राष्ट्र की शिक्षा की वर्तमान अवस्था का विश्लेषण एवं समीक्षा की गई एवं शिक्षा

मंत्रालय ने एक दस्तावेज "शिक्षा की चुनौती" के नाम से अगस्त 1985 ई0 में प्रसारित किया गया। आगे इसमें पर्याप्त बहस होने के उपरांत आम सहमति दी गई तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा पारित संशोधित रुप रेखा मई 1986 ई0 में संसद में प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर लिया गया।

इस शिक्षा नीति से आधुनिकीकरण, कार्य कुशलता और नवाचार को शैक्षिक प्रबन्ध का आधार माना गया है। यह शिक्षा नीति समस्त राष्ट्र की आम सहमति से बनी जिसमें शिक्षा पर समग्र दृष्टि से विचार प्रस्तुत किया गया। इसके प्रारुप को निम्न चार भागों में बाँटा गया है –

1. शिक्षा के किताबी ढाँचे को बदलना।
2. सामाजिक दायित्व का भाव पैदा करना।
3. शिक्षा का इक्कीसवां सदी में पदार्पण तथा सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना।
4. शिक्षा में तकनीकी परक दृष्टिकोण अपनाना।

इसमें शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विशेष बल प्रदान किया गया है, जैसे – निरक्षरता उन्मूलन, प्रौढ़ शिक्षा प्रसार, सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायिकरण, दूरवर्ती शिक्षा ग्रहण, नैतिक उन्मुख एवं उच्चशिक्षा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुद महत्वपूर्ण अंश

1. अनुसूचित जनजाति को अन्य वर्गों के समक्ष लाया जाए।
2. अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।
3. समाज के अपवंचित वर्ग एवं विकलांग विशेष रुप से हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं।
4. पर्यावरण सजगता के सृजन की महती जरुरत है।
5. संचार माध्यम एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विशेष स्थान है।
6. सांस्कृतिक सम्भावनाओं की ओर ध्यान।
7. खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा से वंचित शिक्षा अधूरी है।

8. किसी भी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में उपलब्धि का आकलन उसका एक समेकित अंग है।
9. हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है – सभी हेतु शिक्षा शिक्षा वर्तमान और भविष्य दोनों के निर्माण हेतु एक अद्वितीय पूँजी निवेश है।
10. राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति 10, 2, 3 शिक्षा संरचना की सिफारिश करती है।
11. यह राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारुप पर आधारित होगी जिसमें एक बीज पाठ्यक्रम के साथ अन्य तत्व भी होगें जो लचीले होगें।
12. प्रत्येक स्तर हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर पर निर्धारण होगा।
13. शैक्षिक शोध तथा विकास एंव विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयत्न किये जाएगें।
14. विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों–असमानता निवारण, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण, प्रौढ़ साक्षरता, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शोध आदि के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराना पूरें राष्ट्र का दायित्व होगा।
15. सभी को सतत् शिक्षा की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मुक्त तथा शिक्षा के कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा।
16. पुरुषों के समान महिलाओं को भी शिक्षा की जरुरत है एवं इसे अर्जित करने का उन्हें अधिकार है। अतः महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शिक्षा के अभिकरण का उपयोग किया जाना चाहिए।
17. अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास में प्रमुख विचारणीय बात यह है कि उन्हें उद्यमी आयामों में एवं शिक्षा के सभी स्तरों में समान सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए।
18. सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन की योजना परीक्षा संचालन तन्त्र में सुधार पर ध्यान देना होगा।
19. प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित दो अन्तःसम्बन्धित और अन्तःपरा पक्षों पर बल होगा–(क) 14 वर्ष तक के बालकों का सार्वजनिक नामांकन एवं सार्वभौमिक स्थिरीकरण एवं (ख) शिक्षा की गुणवता में सुधार।

20. प्राथमिक विद्यालयों को जरुरी सुविधाएँ–कम से कम दो बड़े खिलौने, ब्लैकबोर्ड एवं अन्य साज उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक, जिनमें एक महिला होगी, का प्रावधान होगा।
21. माध्यमिक स्तर पर बालकों को मानवीय मूल्यों एवं भारत की मिली–जुली सांस्कृतिक विरासत का उपयुक्त पाठ्यक्रमों द्वारा परिचय दिया जाएगा। संस्थाओं के माध्यम से या माध्यमिक शिक्षा की नयी संरचना द्वारा इस स्तर पर 'व्यवसायीकरण' आर्थिक विकास हेतु बहुमूलय जनशक्ति तैयार करने का काम करेगा।
22. निःशुल्क आवासीय नवोदय विद्यालय भारत के विभिन्न भागों में खोले जायेंगे जो केन्द्रीय विद्यालय से पृथक होंगे।
23. शिक्षा में प्रबन्ध का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
24. शैक्षिक प्रबन्ध संरचना के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से भारतीय शिक्षा सेवा को प्रारम्भ किया जाएगा।
25. केन्द्र तथा राज्य के शैक्षिक प्रशासन में समन्वय स्थपित करने एवं इसे और सरल और प्रभावी बनाने हेतु राज्य शिक्षा सलाहाकार बोर्ड की स्थापना केन्द्र के समान्तर राज्य कर सकते हैं।
26. जनपद स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्ध तथा व्यवस्था के लिए जनपद शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाएगी।
27. विद्यालय संकुल के लचीले कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा।
28. समाज में अध्यापक का सर्वोपति महत्व है। इसके लिए अध्यापकों की सेवा–शर्ते और कार्यकारी परिस्थितियों में व्यापक सुधार किया जाएगा।
29. शैक्षिक प्रक्रिया में अध्यापक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस नीति के क्रियान्वयन के प्रथम चरण में अध्यापक शिक्षा के समग्र बदलाव औरसुधार पर ध्यान दिया जाएगा।
30. शिक्षा–जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है।
31. पूर्व–प्राथमिक शिक्षा का एक पूर्णरुपेण समेकित कार्यक्रम विकसित किया जाएगा।
32. निम्न माध्यमिक स्तर पर कार्यानुभव की योजना।

33. सुगठित, सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा सामान्यतया माध्यमिक स्तरोपरान्त एक पृथक धारा के रुप में होगी।
34. लचीले अनौपचारिक व्यावसायिक कार्यक्रमों को उपलब्ध कराया जाएगा।
35. भविष्य में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के सुदृढ़ीलकरण और श्रेष्ठता पर ध्यान दिया जाएगा न कि इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, अच्छे महाविद्यालयों को स्वयत्तता दी जाएगी एवं विश्वविद्यालयों की सम्बद्धता को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा।
36. शिक्षा के समान अवसरों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूर–अधिगम प्रणाली को नयी शिक्षा नीति में प्रश्रय दिया जाएगा।
37. सामान्य सेवाओं हेतु डिगी की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी।
38. ग्रामीण विश्वविद्यालयों के विकास एवं बेसिक शिक्षा को नयी शिक्षा नीति संपोषित करेगी।
39. व्यापक साक्षरता अभियान चलाया जाएगा।
40. गणित एवं विज्ञान शिक्षण, मूल्य शिक्षा, भाषा–शिक्षा एवं पुस्तकों के स्तर को सुधारने की बात की गई है।

इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रमुख रुप से निम्न बातों पर ध्यान दिया गया था

1. 6–14 वर्ष तक के समस्त बालकों को विद्यालय में नामांकित कराना तथा उनका विद्यालय में टिके रहना सुनिश्चित करना है।
2. शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाना। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयेाजन पर जोर दिया जाना।
3. प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा। इसके लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चालु किया जायेगा।
4. स्कूल छोड़ देने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल केन्द्रित तथा गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए।

3. **राममूर्ति समीक्षा समिति (1990)** राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के उपरांत 26 दिसमबर 1990 को आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति ने समता और सामाजिक न्याय, शैक्षिक प्रबन्ध का सभी स्तरों पर विकेन्द्रीकरण, सम्भागीत्व प्रधान शैक्षिक व्यवस्था की स्थापना, प्रबुद्ध व मानवीय समाज के निर्माण के लिए जरुरी मूल्यों का विकास एवं कार्यक्षमता का विकास पर अधिक ध्यान दिया। इस समिति की मुख्य संस्तुतियॉ निमनलिखित थीं –
   1. महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए अनेक सुझाव।
   2. त्रिभाषा सूत्र को जारी रखना।
   3. सांस्कृतिक शिक्षा व मूल्य शिक्षा का समावेश।
   4. परीक्षा सुधार, सेमेस्टर प्रणाली प्रारम्भ करना।
   5. अध्यापक शिक्षा के लिए उपयागी सुझाव।
   6. राज्यों में शिक्षा सलाहाकार सेवा।
   7. शिक्षा व्यय में वृद्धि।
   8. शोषण मुक्त सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की स्थापना।
   9. बालिका शिक्षा पर अनेक सुझाव, महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना।
   10. पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की शिक्षा हेतु अनेक सुझाव।
   11. सामान्य विद्यालय प्रणाली के लिए पड़ोस स्कूल पर विचार।
   12. वर्तमान नवोदय विद्यालयों का पुनर्गठन, नये नवोदय विद्यालय न खोले जाएँ।
   13. औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का समाकलन।
4. **जनार्दन समिति रिपोर्ट (1992)** आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट पर समीक्षा के लिए भारत सरकार ने जर्नादन रेड्डी समिति का गठन किया। इस समिति ने शिक्षा के लक्ष्यों में भी कुछ संशोधन के सुझाव दिये –
   1. साक्षरता अभियान, नवसाक्षरों पर ध्यान।
   2. माध्यमिक शिक्षा परिषदों को पुनर्गठित किया जाए।
   3. उच्च शिक्षा का नियोजित विकास।
   4. अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद में सुधार।
   5. उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन।

6. माध्यमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा का विस्तार।
7. अनुसूचित, जनजाति व अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान। अल्पसंख्यक आयोग का गठन।
8. विद्यालयी की गुणवता को उच्चीकृत करना।
9. नवोदय विद्यालय योजना को जारी रखना।
10. बच्चों के कल्याण की योजनाएँ जारी रखी जाएँ। आँगनबाड़ी का विस्तार हो।
11. आपरेशन ब्लैकबोर्ड, सार्वजनिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा को सुदृढ़ करना।

5. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 में 10+2+3 की राष्ट्रीय संरचना को अपनाने, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को लागू करने, शैक्षिक अवसरों की समानता व शैक्षिक गुणवत्ता की तुलनीयता और नवोदय विद्यालयों की स्थापना आदि पर विशेष बल दिया गया। इस शिक्षा नीति में इस बात पर भी बल दिया गया था कि प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद विभिन्न संकल्पों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 की सन् 1992 में समीक्षा की गयी और संशोधित नीति प्रारुप को संसद के दोनों सदनों में रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन करके संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम तैयार किया गया जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम–1992 के नाम से पुकार गया। भारत सरकार द्वारा सन् 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के विभिन्न खण्डों में निम्न संशोधन किये गए –

खण्ड तीन– राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली– इस खण्ड में सम्पूर्ण भारतवर्ष में +2 स्तर को विद्यालयी शिक्षा के अंग के रुप में स्वीकार कराने का संकल्प जोड़ा गया।

खण्ड चार–समानता के लिए शिक्षा–इस खण्ड में समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक बल दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को गरीबी निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ने की बात कही गयी। रोजगार केन्द्रित तथा आवश्यकता और रुचि आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण

कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। इसके साथ–साथ सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम की उपलब्धि पर बल दिया गया।

खण्ड पाँच–विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन–इस खण्ड के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक करके प्रत्येक विद्यालय में तीन बड़े कमरे और तीन शिक्षकों को उपलब्ध कराने पर बल दिया गया तथा शिक्षकों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक विस्तृत करने पर बल दिया गया। 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को सन्तोषजनक गुणवत्ता वाली निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाने पर बल दिया। स्कूल रहित क्षेत्रों के बच्चों और दिन में विद्यालय जाने में असमर्थ कामकाजी बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम ओर मुक्त प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। माध्यमिक शिक्षा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चों के विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यावसायिक धाराओं में नामांकन पर बल दिया गया तथा माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में संगणक साक्षरता की सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं के अध्ययन तथा अनुसंधान को सुधारने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त आयेाग स्थापित करने पर बल दिया गया।

खण्ड छह–तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा– इस खण्ड के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद् की सुदृढ़ता तथा इसके विकेन्द्रीकृत तरीके से राज्य सरकारों और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी संस्थाओं की अधिक सहभागिता पर बल दिया गया।

खण्ड आठ–शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण –इस खण्ड में शिक्षा के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को जनसंख्या नियन्त्रण की राष्ट्रीय व्यूहरचना के एक महत्वपूर्ण अंग के रुप में सम्मिलित करने पर बल दिया गया। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर ही शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा बढ़ती जनसंख्या के मकड़जाल के प्रति चेतना जगाने तथा युवाओं और प्रौढ़ों को परिवार नियेाजन के लिए प्रोत्साहित करने

पर बल दिया गया। परीक्षा संस्थाओं के दिशा–निर्देशों के रुप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारुप तैयार करने पर विशेष बल दिया जाता गया।

खण्ड दस–शिक्षा का प्रबन्ध शिक्षा का प्रबन्ध खण्ड में प्रशासनिक अधिकरण की तर्ज पर शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर की जाएगी।

उपर्युक्त वर्णित किए गए संशोधनों से स्पष्ट पता चलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई बहुत बड़ा संशोधन न करके कुछ संकल्पों को अधिक व्यापक किया गया तथा कुछ संकलपों के प्रति दृढ़ निश्चय को दोहराया गया है। उपरोक्त संशोधन को कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के नाम से सम्बन्धित किया गया। इस संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को 23 खण्डों में बाँटा गया है जो इस प्रकार हैं –

1. नारी समानता हेतु शिक्षा
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिदड़े वर्गों की शिक्षा
3. अल्पसंख्यकों की शिक्षा
4. विकलांगों की शिक्षा
5. प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा
6. पूर्ण बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा
7. प्रारम्भिक शिक्षा
8. माध्यमिक शिक्षा
9. नवोदय विद्यालय
10. व्यावसायिक शिक्षा
11. उच्च शिक्षा
12. मुक्त शिक्षा
13. उपाधि की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति नियेाजन
14. ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान
15. तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा
16. अनुसंधान एवं विकास
17. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

18. भाषाओं का विकास
19. जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीक
20. खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा
21. मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार
22. शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण
23. शिक्षा का प्रबन्ध

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसमें मुख्य संशोधन कर तीन पहलुओं पर बल दिया गया–

1. सार्वजनिक पहुॅच।
2. 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में बनाए रखना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार, ताकि सभी बच्चे आवश्यक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005)– ज्ञान को 21वीं शताब्दी का प्रमुख प्रेरक बल स्वीकार किया गया और वैश्विक स्तर पर एक प्रतियोगी खिलाड़ी के रुप में उभरने की भारत की क्षमता अधिकांशतः ज्ञान संसाधनों पर निर्भर करेगी। पीढ़ीगत बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा व्यवस्थागत बदलाव जरुरी है जो कि समूचे ज्ञान क्षेत्र को समस्याओं की ओर ध्यान दे सकें। इस विशालकाय प्रयास के लिए ज्ञान क्षेत्र के सुधार के निमित्त एक ऐसी कार्य योजना तैयार करनी हेागी जो कि इन बातों के प्रति केन्द्रित होः ज्ञान की सुलभता बढ़ाना, शिक्षा प्रणालियों और उनकी आपूर्ति में बुनियादी सुधार लाना, अनुसंधान, विकास और नवाचारी संरचनाओं को नया रुप देना और बेहतर सेवाएं उत्पन्न करने के लिए ज्ञान अनुप्रयोगों का लाभ उठाना।

इसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून, 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयेाग (एनकेसी) की स्थापना की थी, जिससे कि हमारे ज्ञान सम्बन्धी संस्थानों और आधारिक तंत्र के

सुधार के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जा सके जोकि भारत को, भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने में सघर्ष बना सके।

आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार है–

1. 21वीं श्ताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्सुकता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ को बढ़ाना।
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना।
3. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रबंध में सुधार लाना।
4. कृषि और उद्योग में ज्ञान प्रयोगों को बढ़ावा देना।
5. नागरिकों को एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाप्रदाता के रुप में सरकार के भीतर ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान को व्यापक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना।

2 अक्टूबर 2008 तक का तीन वर्ष का कार्यकाल था जिसे 31 मार्च, 2009 तक बढ़ा दिया गया था।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें–ज्ञान की सुलभता प्रदान करना व्यक्तियों और समूहों के अवसरों को बढ़ाने का सबसे अधिक बुनियादी तरीका है। इसलिए समाज में ज्ञान की सुलभता में जीवन का संचार करना और विस्तार करना जरूरी है। इस संदर्भ में एनकेसी ने शिक्षा का अधिकार, पुस्तकालयों, भाषा, अनुवाद, पोर्टल तथा ज्ञान नेटवर्कों जैसे क्षेत्रों में सिफारिशें की हैं।

1–शिक्षा का अधिकारः 86वें संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया है। तथापि, भारतीय बच्चों के लिए उत्तम स्तर की शिक्षा की सर्वसुलभता बढ़ाने की दृष्टि से एनेक्सी यह सिफारिश करता है कि शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करने के लिए एक केन्द्रीय कानून की जरूरत है। इसमें इस आशय का एक वित्तीय प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत शिक्षा के अधिकार की

पूर्ति के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों का बड़ा हिस्सा केन्द्रीय सरकार को जुटाना होगा। साथ ही इस कानून में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाने चाहिए और उसे प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकार की जिम्मेदारी अवश्य ही स्वीकार की जानी चाहिए और वह वादयोग्य होनी चाहिए।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना है कि देश के सब बच्चों को उत्तम किस्म की स्कूली शिक्षा प्रदान करना विकास का बुनियादी आधार और भारत को ज्ञानवान समाज बनाने की दिशा में किसी भी तरह की प्रगति के लिए न्यूनतम आवश्यक शर्त है। जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को शामिल किया जाए।

1. **केन्द्रीय कानून**—शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21ए में मौलिक अधिकार माना गया है। उसकी पुष्टि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून बनाना आवश्यक है। यह अधिकार इस बात का मोहताज नहीं है कि नागरिक किस राज्य में रहता है इसलिए राज्य सरकारों को अपने स्तर पर लागू करने के लिए जो मॉडल विधेयक भेजा गया है, वह भारत सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लायक पर्याप्त नहीं है। अतः पंचायती राज संशोधन अधिनियम की तरह एक केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत राज्यों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर शिक्षा अधिकार कानून बनाने अनिवार्य हों और इस काम की मूल वित्तीय ज़िम्मेदारी केन्द्र सरकार पर हो।
2. **वित्तीय संकल्प**—शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि में से अधिकतर राशि केन्द्र सरकार को देनी चाहिए। अतः केन्द्रीय अधिनियम में ऐसे वित्तीय प्रावधान करना अनिवार्य है, जिससे केन्द्र सरकार प्रारंभिक शिक्षा कोष में आने वाली रकम राज्य सरकारों के साथ बाँटे और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए ज़रूरी संसाधन प्रदान करे। अनुमान है कि सबके लिए प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए जो भी तरीका अपनाया जाए उसके आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के 0.8 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत होगी। किन्तु अपेक्षित वित्तीय संसाधन इन

अनुमानों से कम ही होंगे, क्योंकि अनेक राज्यों में पहले से ही सबके लिए यह सुविधा सुलभ है और अन्य राज्यों में सर्वशिक्षा अभियान के जरिए शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में काफी प्रगति हो चुकी है।

3. **समय सीमा**–राज्य स्तरीय अधिनियमों में समय–सीमा तय की जानी चाहिए, जिसके भीतर सभी बच्चों को समुचित स्तर की शिक्षा सुलभ कराने का लक्ष्य हासिल किया जाना है। यह समय सीमा 3 वर्ष होनी चाहिए। मॉडल विधेयक में इन प्रावधानों को अपनाने और लागू करने की कोई समय–सीमा तय नहीं की गई है।
4. **नियमों और मानकों का प्रावधान**–शिक्षा का न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए, जिनका पालन सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य हो। उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है, फिर भी बुनियादी ढाँचे, प्रति स्कूल और प्रति विद्यार्थी शिक्षकों की संख्या, पढ़ाने के तरीकों और दूसरी सुविधाओं आदि के बारे में कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होना चाहिए।
5. **शिक्षकों के लिए मापदंड**–शिक्षा का उत्तम स्तर सुनिश्चित करने में शिक्षकों की भूमिका प्रमुख है। इसलिए शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के लिए स्पष्ट, लेकिन लचीले नियम तय करना विशेष रूप से ज़रूरी है। शिक्षक की योग्यता और प्रशिक्षण के नियम तय करना आवश्यक है।
6. **वादयोग्यता**–शिक्षा के अधिकार सहित कोई भी अधिकार तभी सार्थक हो सकता है, जब न्याय व्यवस्था के माध्यम से उसे दिलाया जा सके। किन्तु राज्य सरकारों को भेजे गए मॉडल विधेयक में सारी ज़िम्मेदारी बच्चे के माता–पिता/अभिभावकों पर डाल दी गई है। विभिन्न स्तरों पर सरकार की ज़िम्मेदारी को पहचाना जाना चाहिए और उसे वादयोग्यता के क्षेत्र में लाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एनआरईजीए) अधिनियम का उदाहरण देखा जासकता है।
7. **शिकायत समाधान– तंत्र**न्याय दिलाने के लिए यह ज़रूरी है कि शिकायत समाधान का उचित तंत्र हो और अधिकार का सम्मान न किए जाने की

स्थिति में विद्यार्थियों या माता–पिता के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित की जाए।

8. **सर्वसुलभ स्कूली शिक्षा**–स्कूली शिक्षा सभी बच्चों को प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वंचित, भूमिहीन और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों तथा अपंगता या विशेष आवश्यकता वालेबच्चों को भी इसके दायरे में लाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि भिन्न–भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए सरकारी तंत्र के भीतर स्कूलों की किस्मों में कोई भेदभाव न किया जाए। यह भी स्पष्ट है कि सभी मामलों में स्कूल की व्यवस्था इतनी लचीली होनी चाहिए कि बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

2– भाषाः मौजूदा परिदृश्य में उच्चतर शिक्षा, रोजगार संभावनाओं और सामाजिक अवसरों की सुलभता की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा की समझ और उसमें पारंगत होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। एनकेसी यह सिफारिश करता है कि एक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शिक्षा बच्चे की पहली भाषा (मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा) के साथ पहली कक्षा से ही शुरू कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा एनकेसी ने अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के शिक्षाशास्त्र में सुधार की आवश्यकता तथा परंपरागत शिक्षण विधि को संपूरित करने के लिए सभी उपलब्ध मीडिया के प्रयोग पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।

3– अनुवादः एक बहुभाषी देश में विभिन्न भाषायी समूहों को ज्ञान उपलब्ध कराने में अनुवाद को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। एनकेसी ने यह सिफारिश की है कि अनुवाद को एक उद्योग की तरह विकसित किया जाना चाहिए तथा समूचे देश के भीतर अनुवाद क्रियाकलापों पर बल देते हुए एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की स्थापना की जानी चाहिए।

4– पुस्तकालयः पुस्तकालय और सूचना सेवा (एलआईएस) क्षेत्र को चुस्त बनाने के लिए एनकेसी ने ये सिफारिशें की हैंः पुस्तकालयों की व्यापक गणना, पुस्तकालयों के प्रबंध का आधुनिकीकरण ताकि समुदाय की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके जिसमें एलआईएस के विकास में निजी–सरकारी भागीदारियों के माडल तथा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आईसीटी का लाभ उठाना शामिल है। इस क्षेत्र की

ओर सतत रूप से ध्यान देने के लिए एनकेसी ने पुस्तकालयों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की सिफारिश की है

5– राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्कः आज के युग में सफल अनुसंधान जीवंत परामर्श, डाटा तथा संसाधनों के आदान–प्रदान की अपेक्षा करता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एनकेसी ने एक ऐसे हाई–एंड राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की सिफारिश की है जोकि विभिन्न क्षेत्रों में तथा देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित हमारे ज्ञान संस्थानों को गीगाबाइट क्षमता से युक्त एक इलेक्ट्रोनिक डिजिटल ब्राडबैंड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ देगा।

6– पोर्टलः एनकेसी ने जल, ऊर्जा, पर्यावरण, अध्यापक, जैव विविधता, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, नागरिक अधिकार आदि जैसे कतिपय प्रमुख क्षेत्रों पर राष्ट्रीय वेब–आधारित पोर्टलों के सृजन की सिफारिश की है।

अवधारणाएं– ज्ञान की अवधारणाएं आयोजित की जाती हैं और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रसारित की जाती है। व्यक्ति के विकास तथा देश के समाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए शिक्षा एक प्रमुख समर्थनकारी तत्व है। इसलिए एनकेसी का कार्य शिक्षा क्षेत्र को चुस्त बनाने के प्रति केन्द्रित रहा है। एनकेसी की चिंता भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनेक पक्षों को लेकर है जिनमें ये शामिल हैंः स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर शिक्षा।

स्कूली शिक्षा– सभी के लिए उत्तम स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना एक ऐसी बुनियाद है जिस पर एक ज्ञानवान समाज की दिशा में कोई भी आगे उन्नति की जा सकती है। स्कूली शिक्षा के अत्यधिक महत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ने स्कूली शिक्षा के परिमाण, गुणवत्ता और सुलभता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देश भर में बहुविध हितधारकों को सहयोजित करते हुए अनेक कार्यशालाएं और परामर्श आयोजित किए।

एनकेसी यह स्वीकार करता है कि स्कूली शिक्षा की मूल जिम्मेदारी राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है और इसलिए किसी भी नीतिगत बदलाव में राज्यों की पूर्ण सहभागिता और सहयोजन होना जरूरी है। इस सबके बावजूद एनकेसी का यह मानना है कि स्कूली शिक्षा की प्रणालियों में सकारात्मक बदलावों के लिए केवल संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में ही नहीं बल्कि संगठनात्मक तथा अन्य

प्रकार के बदलावों को बढ़ावा देने के लिए भी केन्द्रीय सरकार और उसके साथ–साथ राज्य सरकारों की सक्रिय सहभागिता जरूरी होगी। हमारे पास स्कूली शिक्षा के विभिन्न पक्षों को समाहित करते हुए अनेक सुझाव और सिफारिशें हैं

1. वित्तीय प्रतिबद्धता से समर्थित शिक्षा के अधिकार के लिए केन्द्रीय कानून

2. निधियों के संवितरण में अधिक लचीलापन

3. विकेन्द्रीकरण तथा और अधिक स्थानीय स्वायत्तता

1. **कार्यात्मक साक्षरता का विस्तार**
2. **स्कूल आधारिक तंत्र के लिए आयोजन**
3. **थ्नजी स्कूलों के लिए समर्थनकारी तथा विनियामक तंत्र**
4. **स्कूली शिक्षा पर डाटाबेस**
5. **विभागों के बीच और अधिक समन्वय**
6. **गुणवत्ता मानीटरन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन**
7. **स्कूल निरीक्षण को चुस्त बनाना**
8. **अध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षण**
9. **पाठ्यचर्या और परीक्षा प्रणाली में सुधार**
10. **सूचना और संचार प्रौद्योगिक का प्रयोग**
11. **अंग्रेजी भाषा शिक्षण**
12. **शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के वास्ते हस्तक्षेपणीय उपाय**

स्कूली शिक्षा पर टिप्पणी– सभी के लिए उत्तम स्तर की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी इसका एक ऐसी नींव के रूप में अत्यधिक महत्व स्वीकार किया है जिस पर कोई भी आगे की उन्नति आधारित होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा के परिमाण, गुणवत्ता और सुलभता के मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए देश के चारों तरफ अनेक कार्यशालाएं आयोजित की हैं और परामर्श में बहुविध हितधारकों को जोड़ने का प्रयास किया है।

1. मात्रा और संसाधन–

1.1 प्रारंभिक और माध्यमिक–दोनों शिक्षाओं के लिए काफी संवर्द्धित सरकारी खर्च की जरूरत है

1.2 शहरी नियोजन और स्थानीय नियोजन में स्कूली शिक्षा के लिए भौतिक आवश्यकताएं, जिनमें खेल के मैदान तथा अन्य स्कूली सुविधाओं के लिए प्रावधान शामिल है, अवश्य स्पष्टतः समाहित की जानी चाहिए।

1.3 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) निधियों तथा स्कूली शिक्षा की अन्य केन्द्रीय स्कीमों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सरकार के संवितरण के मानदंड अत्यंत कठोर हैं और उन्हें अधिक नमनशील बनाए जाने की जरूरत है

1.4 नीचे स्कूल स्तर तक निधियों के संवितरण में अधिक नमनशीलता तथा निधियों के प्रयोग में स्थानीय स्तर के प्रबंध को अधिक मात्रा में स्वायत्तता होनी चाहिए।

1.5 निजी स्कूलों की मान्यता के लिए और साथ ही सरकार से स्व–वित्तपोषी स्कूलों को सहायता के संवितरण के लिए तथा अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने की स्कूल प्रबंधक वर्ग की क्षमता के लिए पारदर्शी, मानदंड–आधारित तथा सीधी–सादी क्रियाविधियाँ होनी चाहिए।

1.6 निरक्षरता एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इसलिए उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती और न उसको कम महत्व दिया जा सकता। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर व्यय घटाए जाने की बजाय बढ़ाया जाना चाहिए और उसे एक अलग फोकस प्रदान किया जाना चाहिए।

1.7 प्रारंभिक शैशवावस्था शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे अवश्य ही सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए।

1.8 स्कूली शिक्षा के संबंध में शुद्ध और सामयिक आंकड़ों के संग्रह और त्वरित प्रसार को एक प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए। स्कूलों और स्कूल–आयु के बच्चों के बारे में एक पूर्ण डाटा आधार का निर्माण किया जाना जरूरी है ताकि विभिन्न स्तरों पर स्कूली शिक्षा की वास्तविक कवरेज और गुणवत्ता की खोज रखी जा सके और उसे समयबद्ध तरीके से व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे डाटा संग्रह को उपयुक्त संस्थानगत तंत्रों सहित

स्कूली शिक्षा के लिए वित्त के आबंटन के वास्ते एक अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिए।

2 गुणवत्ता और प्रबंध–

2.1 संप्रति, कुछेक राज्यों में 'शिक्षा केन्द्रों' की समानांतर प्रणाली के फलस्वरूप स्कूली शिक्षा, यहाँ तक कि सरकार द्वारा संचालित संस्थान भी अत्यंत विखंडित है। सभी बच्चों को स्वीकार्य स्तर की स्कूली सुविधा सुलभ कराने के लिए इन अलग–अलग प्रणालियों को एकीकृत किया जाना चाहिए।

2.2 इसके साथ–साथ स्कूली शिक्षा की आयोजना को शिक्षा की पारस्थितिकी को –स्कूल प्रणालियों को कृषि–जलवायु तथा अन्य स्थानीय भिन्नताओं के निमित्त समायोजित किए जाने की जरूरत को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

2.3 स्कूल प्रबंध को, जहां तक संभव हो विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए।

2.4 स्कूली शिक्षा के प्रशासन में प्रबंध तंत्रों और सरकारी विभागों की बहुलता है। इस कारण भ्रांति, अनावश्यक दोहराव पैदा होता है तथा विभिन्न स्कूलों के बीच संभवतः असंगत कार्यनीतियां जन्म ले लेती हैं। स्कूलों के रोजमर्रा के प्रबंध से जुड़े मामलों में स्थानीय समुदाय को अपेक्षतया अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भी स्कूली शिक्षा

नीति को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों के बीच अपेक्षतया अधिक समन्वय होना चाहिए।

2.5 अधिगम उपलब्धियों के अर्थों में न्यूनतम मानकों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और निजी–दोनों तरह के स्कूलों की गुणवत्ता का मानीटरन करने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय की जरूरत है।

2.6 अधिकांश राज्यों में स्कूल निरीक्षण की प्रणाली को स्थानीय हितधारकों की अपेक्षतया बड़ी भूमिका सहित चुस्त बनाए जाने और उसमें नए प्राण फूंके जाने की जरूरत है।

2.7 एक व्यवसाय के रूप में स्कूल अध्यापन के सम्मान को बहाल किया जाना जरूरी है और इसके साथ–साथ स्कूल अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी प्रणालियां भी होनी चाहिए।

2.8 स्कूली अध्यापकों का प्रशिक्षण अत्यंत नाकाफी है और उसका प्रबंधन भी असंतोषपूर्ण है। सेवा–पूर्व प्रशिक्षण में सुधार लाए जाने और उसे विनियमित किए जाने की जरूरत है जबकि सेवाकालीन प्रशिक्षण संबंधी प्रणालियों का सभी राज्यों में विस्तार तथा प्रमुख सुधार किए जाने की जरूरत है।

2.9 स्कूलों के प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकसित और पोषित किया जाना महत्वपूर्ण है।

2.10 एक स्कूल द्वारा दूसरे स्कूल को परामर्श दिए जाने सहित स्कूलों के बीच और अधिक आदान–प्रदान की संभावना की छूट और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

2.11 पाठ्यचर्या सुधार लगभग सभी स्कूलों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। स्कूली शिक्षा को बच्चों के जीवन के लिए और अधिक प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। रट्टा लगाकर सीखने से हटकर अवधारणाएं समझने, उत्तम बोध और संचार कौशलों तथा यह सीखने की ओर बढ़ने की जरूरत है कि स्वतंत्र रूप से किस तरह ज्ञान तक पहुंचा जाए।

2.12 रटकर सीखने संबंधी दबाव को कम करना, सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से बोर्ड स्तर बल्कि उससे भी पहले परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन पर अपेक्षित है।

2.13 लागतों को घटाने, संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग को संभव बनाने, तथा छात्रों और अध्यापकों को व्यापक प्रभावन उपलब्ध कराने के लिए नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर आईसीटी लेकिन केवल इसे अकेले ही नहीं, का यथासंभव अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

2.14 विचारों, सूचना और अनुभवों के आदान–प्रदान के लिए अध्यापकों के वास्ते एक वेब–आधारित पोर्टल की आवश्यकता है।

3. सुलभता–

3.1 पिछ़डे क्षेत्रों, दूरदराज के स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में अधिक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यनीतियां अपेक्षित हैं।

3.2 अधिक नामांकन और बालिकाओं को स्कूल में बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपाय।

3.3 स्कूल के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र की विधियां तैयार करने में भाषा संबंधी मुद्दों पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

3.4 स्कूल में कक्षा 1 से प्रारंभ करते हुए प्रथम भाषा के साथ अंग्रेजी को पढ़ाया जाना शुरू किया जाना चाहिए।

3.5 मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के वास्ते सरकारी नीतियों को पुनःदिषा अनुकूलित किए जाने की आवश्यकता है।

3.6 अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की पहुंच के लिए अधिक लचीली और संवेदनशील स्कूली कार्यनीतियों की आवश्यकता है।

3.7 अपेक्षित लचीलेपन और भेदभाव से बचने के साथ अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा एक प्राथमिकता होनी चाहिए।

3.8 स्कूल के संबंध में निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मौसमी प्रवासियों के बच्चों को विशेष स्थितियों और प्रयासों की आवश्यकता होती है।

3.9 श्रमिक बच्चों के लिए प्रोत्साहनों और सेतु पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।

3.10 शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों तथा अध्यापकों की आवश्यकताओं को स्कूल शिक्षा संबंधी प्रावधानों में और व्यापक रूप से शामिल किया जाना होगा।

अन्य शैक्षिक प्रोग्राम–

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपबन्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाना है। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत सहायता के आधार पर आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना वर्ष 1987–88 से प्रारम्भ की गई है यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई

जाती है। इस योजना में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए कम से कम 3 बड़े कमरे तथा तीन शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान था और पठन–पाठन सामग्री की व्यवस्था भी करना था। 1992 में संशोधित शिक्षा नीति के अनुसार (1993–94) मे इस योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी जोड़ना था। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम जरुरी खिलौने खेल सामग्री ब्लैक बोर्ड, मानचित्र एवं अन्य अधिगम सामग्रियों उपलब्ध करायी जाने का प्रावधान है। इस योजना 2002–03 से सर्वशिक्षा अभियान में मिला दिया गया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उच्च प्रथम शिक्षा इसके दायरे से बाहर है। इसका क्रियान्वयन 1994 में हुआ। इसके तीन मुख्य उद्देश्य है –

- ड्रापआउट की दर 10% तक कम करना।
- जातीयता तथा लिंग भेद के आधार पर नामांकन, अधिगम, संप्राप्ति आदि के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को 5% कम करना।
- छात्रों के अधिगम स्तर की अभिवृद्धि करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य कार्य निम्न है।
- नये प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, कक्षा कक्षों का निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, शिशु–शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
- नये अध्यापकों की नियुक्ति करना, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं डायट को मजबूत करना, ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना करना, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि।
- शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु नवाचार के अपनाने पर जोर देना आदि।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना। परियोजना खर्च का 85% भारत सरकार तथा 15% सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन

किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार को बाहरी स्रोतों जैसे–यूनीसेफ, नीदरलैण्ड, IDA/EC/DFID आदि से सहायता प्राप्त है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना के 3 प्रमुख अंग है –

4. भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना।
5. गुणवत्ता का सुधार
6. प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच का विस्तार।

सर्व शिक्षा अभियान (2001)

भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणामस्वरुप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94 प्रतिशत ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 2 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 3 किमी0 की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध थीं। अनुसूचित जाति व जन जाति वर्गों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलो ंकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई हैं।

सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। सर्वशिक्षा अभियन, एक निश्चित समयावधि के भीतर सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 86वें संविधान द्वारा 6–14 आयु वर्ष वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रुप में, निःशुल्क और अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया है। यह अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान जीवन कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखता है। यह अभियान बालिका शिक्षा और जरुरतमंद बच्चों पर खास केन्द्रित है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी, वैकल्पिक विद्यालय, "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।
- सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें।
- संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।
- स्त्री–पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग–भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना।

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (2003)– यह कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम बालिका शिक्षा की बाधाओं की दूर करने के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. जो बालिकायें किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ रही है, उन्हें उनके निवास के निकट में स्थित विद्यालय में प्रवेश दिलाना।
2. ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करना जिनका नाम तो विद्यालय में दर्ज है, लेकिन नियमित रुप से स्कूल नहीं जाती है। ऐसी बालिकाओं के अभिभावकों को प्रेरित करना कि वे अपनी पाल्यों को नियमित रुप से पढ़ने के लिए भेजें।
3. जब बालिकाओं का मन पढ़ाई–लिखाई में नहीं लगता और वे विद्यालय आना बन्द कर देती है ऐसी बालिकाओं को चिन्हित करके उन पर विशेष ध्यान देना।
4. पाठ्यक्रम में लिंग संवेदी विषयों को शामिल किया गया आत्म रक्षा, जीवन कौशल, विविध अधिकार जैसे अतिरिक्त विषय पाठ्यक्रम में शामिल है।

5. यह कार्यक्रम महिलाओं एवं समुदाय के ग्राम स्तरीय समूहों के माध्यम से चलाया जा रहा है। वे समूह बालिकाओं के नामांकन उपस्थिति तथा शैक्षणिक उपलब्धियों का सतत रुप से अनुश्रवण और मूल्यांकन करते रहते है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना

शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में बालिकाओं को कम से कम 8वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी कराने के लिए दूसरी बड़ी पहल कस्तूरबा गांधी बलिका विद्यालय योजना है। यह योजना स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 1997 को प्रारम्भ की गई। 01 अप्रैल 2007 से यह योजना सर्वशिक्षा के एक अंग के रुप में चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत 75% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा 25% अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों तथा मुस्लिम समुदायों की छात्राओं हेतु उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु पिछड़े विकास खण्डों में ऐसे स्थानों पर आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जहाँ अधिवास छितरे हुए है और बालिकाओं को पढ़ने के लिए दूर के किसी विद्यालय में जाना पड़ता है जो उनके लिए सम्भव नहीं हो पाता है और वे पढ़ाई अधूरी छोड़कर घर बैठ जाती है। इस योजना के लक्षित समूह निम्नवत है–

4. नियमित रुप से विद्यालय न जाने वाली किशोरियॉ
5. दस वर्ष से अधिक आयु वाली बालिकाऐं जो प्राथमिक शिक्षा भी पूरी करने में असमर्थ हैं।
6. ऐसे छितरे अधिवासों जो प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के मानक पूरे नहीं करते तथा प्रवासी स्वरुप के समुदायों की बालिकायें।

मध्यान्ह भोजन योजना (1995)– बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने विद्यालय जाने वाले बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसे मध्यान्ह भोजन नाम दिया गया। यह योजना 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक विद्यालयों में लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों

को पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनके नामांकन तथा नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना था। प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र 3 किलो प्रति माह की दर से प्रत्येक छात्र को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था। परन्तु वर्तमान में प्रत्येक छात्र को दोपहर में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश में विशेष रुप से प्राथमिक शिक्षा को देश के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए गए हैं। भारतीय संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रुप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया। इसके बाद देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी सरकार के इसी प्रकार के इरादे को दोहराया गया। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना 1992 में भी देश के सभी 10 वर्ष तक के बच्चों को 21वीं शताब्दी में जाने से पूर्व शिक्षित किये जाने हेतु भरसक प्रयत्न करने की बात कही गयी है। बाद में वर्ष 1993 के **'उन्नीकृष्णन केस'** पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है और इसलिए इसे मूल अधिकार में सम्मिलित किए जाने हेतु सरकार को निर्देश भी जारी किए गये। इस सम्बन्ध में वर्ष 1997 में 83वॉ संविधान संशोधन बिल भी राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार और इसकी समुचित व्यवस्था करना सरकार का मौलिक दायित्व निर्धारित किया गया

भारत में शिक्षा समवर्ती सूची की विषय वस्तु है, जिसमें राज्य एवं केन्द्रीय सरकार दोनों ही अपनी नीतियॉ/विधियॉ निर्धारित कर सकते हैं। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होने के बाद यह कानून बन गया है जिसे क्रियान्वित करना राज्य का परम

दायित्व है। इससे पूर्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद–45 के अन्तर्गत के निर्धारित नीति–निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत संविधान के अध्याय 4 में शामिल था, जिसे राज्य को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किन्तु इसे अब अध्याय 3 के अनुच्छेद –21ए में शामिल कर इसे मूलभूत अधिकार के श्रेणी में ला दिया गया है, अब कोई भी 6–14 वर्ष की आयु का बालक शिक्षा को निःशुल्क प्राप्त करने के लिए राज्य को वैंधानिक रुप से बाध्य कर सकता है। यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के दिशा में राज्य द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कदम है, इसे समावेशी शिक्षा की ओर किये गए प्रयासों को बल मिलेगा, शिक्षा के परिधि में समाज के सभी वर्गो को लाने की मूल भावना को मूर्तरुप में दिया जा सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय व्यक्तित्व व वर्ग विषमताओं को समाप्त किया जा सकेगा। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता निम्न है –

अधिनियम का इतिहास

शिक्षा का अधिकार कानून का पूरा नाम **'दि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एण्ड कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट 2009** है, जिसे संक्षेप में आर0 टी0 ई0 कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार वर्तमान स्वरुप में आने से पूर्व अनेक समस्याओं, चुनौतियों एवं परिवर्तनों के दौर से गुजरा है। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश कालीन विधानसभा (इंपीरिकल असेंबली) में शिक्षा के अधिकार की बात कही थी और तब से लेकर आज तक इसे कानून का रुप देने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनेक परिवर्तन किए गए। करीब छः दशक के बाद के सफर के बाद केन्द्र सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर ऐतिहासिक फैसला लिया।

दिसम्बर 2002 में अनुच्छेद 21ए (भाग 3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया।

अक्टूबर 2003 में उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित कानून, मसलन बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा तैयार कर अक्टूबर 2003 में

इसे वेबसाइट पर डाला गया और आम लोगों से इस पर राय और सुझाव आमंत्रित किए गए।

2004 में मसौदे पर प्राप्त सुझावों के मद्देनजर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारुप तैयार कर वेबसाइट पर डाला गया।

जून 2005 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार पार्षद समिति ने शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारुप तैयार किया और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौपा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे नैक के पास भेजा, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं। नैक ने इस विधेयक को प्रधानमंत्री के ध्यानर्थ भेजा।

14 जुलाई 2006– सीएसीएल, एसएएफई, एनएएफआरई और केब ने आईएलपी तथा अन्य संगठनों को येाजना बनाने बैठक करने तथा संसद की कार्यवाही के प्रभाव पर विचाार करने व भावी रणनीति तक करने और जिला तथा ग्राम स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार के लिए आमंत्रित किया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अन्तर्गत रखे गये प्रावधान :–

1. 6–14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
2. बच्चों को शिक्षा देना माता–पिता का मौलिक कर्त्तव्य बना दिया गया है अतः अब अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को स्कूल भेजें।
3. कक्षा 1–5 तक बच्चों के लिए घर से 1 कि0मी0 की दूरी तथा कक्षा 6–8 तक बच्चों के लिए 2 कि0मी0 की दूरी के दायरे में ही स्कूल की व्यवस्था करानी होगी।
4. सभी निजी संस्थानों में कमजोर वर्ग के सभी बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित रखी जायेगी।
5. निजी स्कूलों में बच्चों से किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस नहीं ली जायेगी व बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर प्रतिबन्ध होगा।

6. बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुँचने से रोका जायेगा न ही स्कूल से निकाला जायेगा और न ही उनके लिए बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
7. प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे व अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
8. कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं करेगा।
9. प्रत्येक 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम दो प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। विकलांग मंद बुद्धि छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी।
10. वित्त आयोग द्वारा अधिनियम की क्रियान्वित के लिए राज्यों को 25000 हजार करोड़ रूपये देने का प्रावधान है।
11. शिक्षक द्वारा बालकों को किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
12. इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्ग के बालकों के साथ समान व्यवहार एवं सुविधायें उपलब्ध करवाने और बच्चों के साथ किसी प्रकार के पक्षपात पर प्रतिबन्ध का प्रावधान किया गया है।
13. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम बाल केन्द्रित व मैत्रीपूर्ण होगा।
14. इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों को बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए पुस्तकालय, कक्षायें, खेल का मैदान और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करानी होगीं।
15. शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार।

इस अधिनियम से देश के करीब उन करोड़ों बच्चों को दोबारा स्कूल ले जाया जा सकेगा जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) पारित किया जाना एक ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी प्रयास है। इस अधिनियम से शिक्षा की परिधि में समाज के सभी वर्गों को लाने की मूल भावना से मूर्त रूप दिया जा सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त क्षेत्रीय, व्यक्तित्व व वर्गकार, विषमताओं को भी समाप्त किया जा सकेगा।

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है दूसरे शब्दों में हम हम सकते हैं कि शिक्षा से समाज को सभ्य बनाया जा सकता है। शिक्षा समाज के विकास, आर्थिक उन्नति और सार्वभौमिक सम्मान के लिए एक आवश्यक अवयव है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार होना चाहिए कि उसे जीने के अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार भी हासिल हो। डॉ० अम्बेडकर ने भी शिक्षा को विकास एवं प्रगति का मापक कहा है। उनका कहना है कि शिक्षा से ही समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। 15 जनवरी 1949 को मनमाड शहर में अपने भाषण में कहा था कि "कोई भी समाज शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे जाता है, इस पर ही उस समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।" (वसंत मून,1991: डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर पृ०184)

यूनेस्को की शिक्षा के लिए वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2010 के अनुसार, लगभग 135 देशों ने अपने संविधान में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है तथा मुफ्त एवं भेदभाव–रहित शिक्षा सबको देने का प्रावधान किया है। भारत ने सन् 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य षिक्षा देने के लिए संविधान में प्रतिबद्धता का प्रावधान किया था। इसे अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। 12 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86 वाँ संशोधन किया गया और इसको संशोधित करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है (अनुच्छेद 21क)। (भारत का संविधान भाग 3, भारत का राजपत्र असाधरणए भाग II खण्ड 1)

भारत के इतिहास में 1 अप्रैल 2010 का दिन शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। इसी दिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार के रूप में पूरे देश में लागू किया गया। इसके पूर्व शिक्षा, राज्य एवं व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी नहीं था, किन्तु इस अधिनियम के पश्चात राज्य सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है एवं प्रत्येक नागरिकों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध है। अब यह केन्द्र तथा राज्यों के लिए कानूनी बाध्यता है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सभी को सुलभ हो सके। अर्थात सरकार प्रत्येक बच्चे की आठवीं कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाई के लिए

जिम्मेदार होगी, चाहे वह बालक हो या बालिका अथवा वह किसी भी वर्ग का हो। इस प्रकार इस कानून ने देश के बच्चों को मजबूत, साक्षर और अधिकार सम्पन्न बनाने का मार्ग प्रसस्त किया है।

लाभान्वित बच्चे

शिक्षा का अधिकार अधिनियम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम से सर्वाधिक लाभ उन बच्चों को मिलेगा, वे जो श्रमिकों के बच्चे हैं, बाल मजदूरों, प्रवासी बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर ऐसे बच्चों को–जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारकों की वजह से वंचित बच्चों की श्रेणी में शामिल हैं। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ ही यह उम्मीद भी है कि इससे विद्यालय छोड़ने तथा विद्यालय न जानेवाले बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से दी जा सकेगी।

अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था

इस अधिनियम में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है, जिससे ज्ञान, कौशल और आदर्श मूल्यों को सिखा कर उन्हें भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाया जा सके। यदि विचार किया जाए तो आज देश भर में स्कूल छोड़ने वाले बच्चो की संख्या लगभग 22 लाख हैं (नेशनल सर्वे ऑन इस्टिमेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, 2014 पृ० 90) इसके साथ ही वे बच्चे जिन्होंने कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देख पाये हैं उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सरकार के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। इसलिए इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी हितधारकों–माता–पिता, शिक्षकों, स्कूलों, गैर–सरकारी संगठनों और कुल मिलाकर समाज, राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार की ओर से एकजुट प्रयास का आह्वन किया गया है।

इस अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि पहुंच के भीतर वाला कोई भी निकटवर्ती स्कूल किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। इसमें यह भी प्रावधान शामिल है कि प्रत्येक 30 छात्र के लिए एक शिक्षक

के अनुपात को कायम रखते हुए पर्याप्त संख्या में सुयोग्य शिक्षक स्कूलों में मौजूद होने चाहिए। स्कूलों को पाँच वर्षों के भीतर अपने सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा। उन्हें तीन वर्षों के भीतर समुचित सुविधाएँ भी सुनिश्चित करनी होंगी, जिसमें खेल का मैदान, पुस्तकालय, पर्याप्त संख्या में अध्ययन कक्ष, शौचालय, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए निर्बाध पहुँच तथा पेयजल सुविधाएं शामिल हैं। स्कूल प्रबंधन समितियों के 75 प्रतिशत सदस्य छात्रों की कार्यप्रणाली और अनुदानों के इस्तेमाल की देखरेख करेंगे। स्कूल प्रबंधन समितियों अथवा स्थानीय अधिकारी स्कूल से वंचित बच्चों की पहचान करेंगे और उन्हें समुचित प्रशिक्षण के बाद उसकी उम्र के अनुसार समुचित कक्षाओं में प्रवेश दिलाएंगे। सम्मिलित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी स्कूल भी सबसे निचली कक्षा में समाज के गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करेंगे। इसे साकार करना एक बड़ी चुनौती है। सर्व शिक्षा अभियान की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 76.6 प्रतिशत बच्चे स्कूलों से वंचित हैं (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग, पृ० 25) जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, स्कूलों में सुविधाओं का अभाव, अतिरिक्त स्कूलों की आवश्यकता और धन की कमी होना अन्य बड़ी चुनौतियां हैं।

मौजूदा स्थिति में लगभग 49 प्रतिशत स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं हैं (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग, पृ० 36)। देश के केवल 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़) में 7.7 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं (एजुकेशन फॉर ऑल टुवर्ड्स क्वालिटी वीथ इक्विटी, पृ० 99)। देश के 12.9 लाख मान्यता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 7.72 लाख है, जो कुल शिक्षकों की संख्या का 40 प्रतिशत है। लगभग 53 प्रतिशत स्कूलों में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित छात्र–शिक्षक अनुपात 1:30 से अधिक है। इन आँकडों से प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य अभी भी अधूरा लग रहा है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान समस्याओं ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम बाधा बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्याय में उन सभी आयोगों, समितियों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया है जो स्वतन्त्रता उपरान्त बनाये गये। तथ्यों के विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि यदि स्वतन्त्रता पूर्व शिक्षा की संरचना की बात करें तो अलग–अलग काल खण्डों में शिक्षा की विभिन्न संरचनाओं में विभक्त है। प्राचीन काल में शिक्षा के स्तरों का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था परन्तु वहीं मध्यकाल मुं शिक्षा व्यवस्था दो स्तरों में विभाजित था।

1. प्रारम्भिक शिक्षा
2. उच्च शिक्षा।

वहीं ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था को 3 स्तरों में विभाजित किया गया

1. प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक शिक्षा
3. उच्च शिक्षा

इसी प्रकार स्वतन्त्रता के बाद समय–समय पर विभिन्न शिक्षा स्तरों को विभक्त किया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) ने 5+7+3 शिक्षा स्तर की संस्तुति की। बाद में विभिन्न समितियों ने अलग–अलग प्रान्तों में विभिन्न शिक्षा स्तरों जैसे– 8+3+3, 8+4+3, 5+7+3, 8+4+2 आदि की संस्तुति की। कोठारी आयोग ने इन विषमताओं को समाप्त किया और राष्ट्रीय स्तर पर 10+2+3 शिक्षा स्तर की संस्तुत की जो कि वर्तमान में मान्य है। इसमें 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा, 2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में प्राथमिक स्तर के सभी स्तरों पक्षों पर कार्य करने के दिशा निर्देश निर्धारित किया गया। जिसमें अनुच्छेद 45 के लक्ष्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने के लिए योजना बनाई गई साथ ही बीच पढ़ाई छोडने वाले बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये। इसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नाति, 1986 ने शिक्षा के विभिन्न पक्षों, जैसे– निरक्षरता उन्मूलन, प्रौढ़ शिक्षा प्रसार, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण, दूरवर्ती शिक्षा ग्रहण, नैतिक उन्मुख एवं उच्च शिक्षा पर बल दिया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह

भी कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात नीति के सन्दर्भ में किये गये कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा उसमें उचित परिवर्तन किये जायेंगें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा 1990–92 में की गई। इस समीक्षा में राममूर्ति समीक्षा समिति (1990) तथा जनार्दन शिक्षा समिति (1992) ने अपनी संस्तुतियाँ दी। इसके अर्न्तगत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य संशोधन कर मुख्य तीन पहलुओं पर बल दिया।

1. सार्वजनिक पहुँच।
2. 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में बनाये रखना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार किये जाए।

शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है कि विषमताओं को दूर किया जाए तथा अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर दिया जाए। महिलाओं में साक्षरता प्रसार के तथा उन रूकावटों को दूर करने को निके कारण लडकियाँ प्राथमिकता दी जायेगी। नई शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों तथा जनजातिओं में शिक्षा के विकास के लिए कई विशेष प्रावधान किया गया जो प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा स्तर तक संबंधित है। इस प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा समानता के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार पुस्तकालयों, भाषा अनुवाद पोर्टल तथा ज्ञान नेटवर्कों जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया। स्कूली शिक्षा की प्रणालियो में सकारात्मक बदलावो के लिए केवल संसाधन का उपलब्ध होना ही काफी नहीं बल्कि संगठनात्मक तथा अन्य प्रकार के बदलाव लाने के लिए केन्द्रीय सरकार और उसके साथ साथ राज्य सरकारो की सक्रिय सहभागिता जरूरी है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अन्य शैक्षिक प्रोगाम भी चल रहे है। जैसे आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत लक्ष्य रखा गया है देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाना है। 2002–03 से यह योजना सर्वशिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 86वें संविधान द्वारा 6–14 आयु वर्ष वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में

निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य बना दिया गया। इसके अन्तर्गत जीवन कौशल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था है तथा इसमें बालिका शिक्षा एवं जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिय गया है। इस प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा से वंचित बालिकाओं हेतु जो कि कक्षा 6 से 8 वी0 तक शिक्षा पूरी कर सकें चलाया गया। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना चलाई गई थी और वर्तमान में भी चल रहे है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में वृद्धि लाना और साथ–साथ उनके नामांकन तथा नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहन करना था। वर्तमान समय में प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में बच्चों को दोपहर में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में 86 वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6–14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। जो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में लागू है।

इस प्रकार तथ्यों के विश्लेषण के अधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा है। प्राचीन काल तथा मध्य काल तक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर धार्मिक संस्थाओं पर आधारित था और यह शिक्षा निःशुल्क तथा सबके लिए खुली हुई थी । ब्रिटिश काल में शिक्षा माननीय विकास जैसे मूल लक्ष्य से भटक कर कुटिल नितियों से प्रभावित रही। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत 10 वर्षों के अन्दर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई परन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है जिसमें 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवायर्य शिक्षा अपलब्ध कराने का प्रावधान हैं इस प्रकार भारत में स्वितन्त्रता से पूर्व तथा स्वतन्त्रता के बाद से शिक्षा में सुधार लाने के लिए आयोगों, समितियों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों तथा शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था में आशातीत सुधार नहीं हो पा रहा हैं। यह प्रावधान लागू होने के बाद लाखों बच्चों शिक्षा से वंचित है।

अध्याय– 3

बाराबंकी जनपद का सामाजिक तथा शैक्षणिक स्वरूप

उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार बीस करोड़ है तथा जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। यहाँ कुल जनसंख्या का 22.28% नगरों में निवास करती है तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुल जनसंख्या 77.27% निवास करती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 69.72% आबादी ही साक्षर है, जबकि भारत में यह 74.09 हैं। स्त्री साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 59.26% है जबकि भारत में 65.46 है। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि प्रदेश की जनसंख्या का स्वरुप ऐसा है जिससे पिछड़ेपन का स्पष्ट आभास होता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर को देखें तो पता चलता है कि 2001–2011 के दौरान 20.09% की वृद्धि हुई। दर असल प्रदेश में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर की वजह उच जन्म दर और मृत्यु दर है। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्मदर 29.1 प्रति एक हजार व्यक्ति है। 2010–11 के लिए अनुमानित जीवन प्रत्याशा महिलाओं के लिए 61.5 वर्ष और पुरुषों के लिए 62.3 वर्ष है, जो भारत के औसत से कम है। इस प्रकार जनसंख्या के मामले में तमाम प्रयासों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन व्यापक रुप से उजागर होता है।

बाराबंकी

बाराबंकी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन के चार जिलों में से एक है। यह घाघरा और गोमती नदी की समानांतर धाराओं से घिरा हुआ है। यह जिला पूर्वांचल के प्रवेशद्वार के तौर पर भी जाना जाता है। प्राचीन काल में यहॉ कई संतों और सन्यासियों ने तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम इस जगह की खोज 1000 ईस्वी में की गई थी। बाद में बाराबंकी पर मुस्लिम शासकों ने हुकूमत की और कुछ साल बाद यह 12 हिस्सों में बंट गया, जिससे इसका नाम बाराबंकी पड़ा। एक और कथा के अनुसार बाराबंकी शब्द की व्यत्पत्ति **'बन'** यानी जंगल शब्द से हुई है, जो कि बारह हिस्सों में बंटा हुआ था। बाराबंकी में देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ एक उभयलिंगी वृक्ष पारिजात पाया जाता है, जो अपने प्रकार का अकेला वृक्ष है। बाराबंकी का घंटाघर जहाँ शहर के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है, वहीं मंदिर शहर के पुराने स्थलों में से एक है। बाराबंकी

जिले में कई प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के शहर व गाँव है। इन्ही में से एक है **सतरिख,** जो कि राजपरिवार के प्रमुख गुरु का घर है। **देवा** जो **हाजी वारिस अलीशाह** के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, वही **बदोसराय** एक प्रमुख तीर्थ केन्द्र है। इसके अलावा **किंतूर** का भी विशेष ऐतिहासिक महत्व है। महाभारत के अनुसार यह पांडव की माँकुन्ती का जन्म स्थान है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्रमुख शहर और लोकसभा क्षेत्र है सिल्दौर तथा कुंतेश्वर के प्राचीन मंदिरों के लिए बाराबंकी जिला उल्लेखनीय है। इस स्थान का प्राचीन नाम **'जसनौल'** कहा जाता है। इसे 10वीं शदी में **'जस'** नामक भर राजपूत ने बसाया था। बाराबंकी को **'नवाबगंज'** के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण स्थल है। इस जगह पर कई राजाओं ने लम्बे समय तक शासन किया था। बाराबंकी जहाँ एक ओर पारिजात के वृक्षों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर यह **महादेवा मंदिर, देवा शरीफ की मस्जिद, सिद्वेश्वर मंदिर, त्रिलोकपुर तीर्थ, कोटवाधाम मंदिर और सतरिख** के लिए भी विशेष रुप से जाना जाता है।

भौगोलिक स्थिति

लखनऊ के पूर्व से 29 किमी0 की दूरी पर स्थित बाराबंकी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। यह जिला उत्तर में घाघरा नदी, पूर्व में फैजाबाद जिला, दक्षिण में सुल्तानपुर, रायबरेली और लखनऊ से घिरा हुआ है। बाराबंकी जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2011 में 3891.5 वर्ग किमी0 है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अवध क्षेत्र में स्थित है। इसके उत्तर में सीतापुर, उत्तरी–पूर्वी सीमा पर बहराइच और गोंडा जिले की सीमाएँ मिलती है। यह 4402 वर्ग स्क्वायर किमी0 क्षेत्र में है। बाराबंकी में कुल सब डिवीजन की संख्या 07 है, तहसीलों की संख्या 06 है तथा विकास खण्डों की संख्या 15 है। टाउन 15 है।

2011 की जनगणना के अनुसार बाराबंकी जिले की कुल **जनसंख्या 32 लाख** है, तथा **जनसंख्या घनत्व 837 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0** है। यहाँ कुल जनसंख्या का 10.1% नगरों में निवास करता है तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुल जनसंख्या 89.9% निवास करती है। इसी प्रकार बाराबंकी जनपद में 2011 की जनगणना के अनुसार

बाराबंकी जनपद में 51.90 आबादी ही साक्षर है। जबकि उत्तर प्रदेश में यह 69. 72% है। स्त्री साक्षरता दर बाराबंकी में 43.89% है जबकि उत्तर प्रदेश में 59.26% है। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि जिले की जनसंख्या का स्वरुप ऐसा है जिससे पिछड़ेपन का स्पष्ट आभास होता है। बाराबंकी जिले में जनसंख्या वृद्धि दर को देखें तो पता चलता है कि 2001–2011 के दौरान 21.86% की बृद्धि हुई है। **लिंग के अनुसार जनसंख्या का विभाजन** सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, 1,707,073 पुरुष तथा 1,553625 स्त्रियाँ है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की जनसंख्या 89. 8% है तथा नगरीय क्षेत्र में 10.2% है। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की जनसंख्या 89. 9% तथा नगरीय क्षेत्र में 10.1% है।

लिंगानुपात सन् 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 910 है। जनगणना 2011 के अनुसार **0–6 साल के बच्चों की कुल संख्या 504372 है**, वही उत्तर प्रदेश में 29728235 हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कुल **शिशु लिंगानुपात 930 है।** वही उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 899 है। जनगणना 2011 के अनुसार बाराबंकी जनपद में कुल **अनुसूचित जाति की जनसंख्या 865** है तथा 39.39% है। वहीं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या 21.15% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाराबंकी जनपद में कुल **अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.61 है** तथा प्रतिशत 0.02% है। वहीं उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0.06% है। **बाराबंकी जनपद में 2011 के अनुसार धर्मानुसार जनसंख्या** हिन्दू 77.51% मुस्लिम 22.04% अन्य 0.55% है। तथा बोली जाने वाली भाषा **हिन्दी** एवं **उर्दू** हैं। यहाँ सकल नामांकन दर 2009–10 में प्राथमिक स्तर पर (GER) में 102.2 प्रतिशत है तथा 2010 से 2011 में 98. 8 प्रतिशत है तथा (NER) 2009–10 में 93.9 प्रतिशत है तथा 2010–11 में 90.7 प्रतिशत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन दर (GER) 2009–10 में 55.7 प्रतिशत है तथा 2010–11 में 54.3 प्रतिशत है। वहीं (NER) 2009–10 में 43.7 प्रतिशत था 2010–11 में 42.6 प्रतिशत था। बाराबंकी जनपद में कुल गांव की संख्या (2011) के अनुसार 1839 है। शौक्षणिक संस्थान की संख्या प्राथमिक स्तर पर 2171 विद्यालय है। तथा 84646 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। माध्यमिक विद्यालय

189 तथा महाविद्यालय 19 है। स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय 3 तथा एक विश्वविद्यालय है। 234 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यहां पर 3 हैं तथा एक पॉलीटेक्निक, 1 शिक्षक संस्थान एवं 6 इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्कूल छोड़ने की स्थिति प्राथमिक स्तर पर (2011–12) में कक्षा 1 में 2.9 प्रतिशत कक्षा 2 में 4 प्रतिशत, कक्षा 3 में 4.6 प्रतिशत, कक्षा 4 में 5.5 प्रतिशत, तथा कक्षा 5 में 35.5 प्रतिशत है। कुल प्राथमिक स्तर पर 9.7 प्रतिशत है उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की स्थिति (2011–12) के अनुसार कक्षा 6 में 5.7 प्रतिशत कक्षा 7 में 3.6 प्रतिशत है।

तालिका 3.1 : बाराबंकी जिले का जनसांख्कीय विवरण

क्र0 सं0	भौगोलिक विशेषताऐं	
1	भौगोलिक क्षेत्र	3891.5 वर्ग कि0 मी0
2	कुल जनसंख्या	326069 लाख
3	जनसंख्या घनत्व	837 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
4	पुरुष जनसंख्या	1707073
5	महिला जनसंख्या	1553625
6	0–6 साल के बच्चों की जनसंख्या	504372
7	शिशु लिंगानुपात	930
8	अनुसूचित जाति जनसंख्या	865 तथा प्रतिशत 39.39
9	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	0.6 तथा प्रतिशत 0.02
10	हिन्दू	77.51 प्रतिशत
11	मुस्लिम	22.04 प्रतिशत
12	अन्य	0.55 प्रतिशत

स्रोतः भारत की जनगणना, 2011

शैक्षणिक स्थिति– बाराबंकी जनपद में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 2011–12 के अनुसार

तालिका– 3.2 कक्षा 1 से 8 तक नामांकित बच्चों की संख्या

कक्षा	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	84,504	87,215	78,657	79,402
2	79,970	79,153	80,312	79,314
3	80,761	74,541	73,778	80,213
4	71,271	70,694	66,936	72,907
5	65,368	63,691	63,591	65,408
6	41,966	44,220	42,527	48,455
7	38,707	39,346	39,282	47,221
8	33017	37,331	35,170	44,073
कुल प्राथमिक	381874	375194	363379	377244
कुल उच्च प्राथमिक	113,690	120,897	116,979	139,749

स्रोतः जिला प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड 2011–12

तालिका 3.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के नामांकित बच्चों की संख्या (2011–12)

नामांकन (%में)	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
एस0 सी0 नामांकन	34.8	31.0
एस0 सी0 बालिका	49.8	5.17
एस0 टी0 नामांकन	0.491	0.668
एस0 टी0 बालिका नामांकन	47.4	54.9
ओ0 बी0 सी0 नामांकन	49.6	52.6
ओ0 बी0 सी बालिका नामांकन	49.6	52.2
मुस्लिम नामांकन	16.9	15.1
मुस्लिम बालिका नामांकन	48.9	53.7

स्रोतः जिला प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड 2011–12

तालिका 3.4 विभाजित श्रमिकों की संख्या (मुख्य एवं हाशिये वाले)

विभाजित श्रमिकों की संख्या (मुख्य एवं हाशिये वाले)		संख्या
किसान	**कुल**	**38.44**
	पुरुष	42.03
	स्त्री	28.71
कृषि श्रमिक	**कुल**	35.38
	पुरुष	31.97
	स्त्री	44.60
औद्योगिक श्रमिक	**कुल**	6.47
	पुरुष	5.37
	स्त्री	9.46
अन्य श्रमिक	**कुल**	19.71
	पुरुष	20.63
	स्त्री	17.23

स्रोतः जिला सांख्यकीय बाराबंकी (2012–13)

सिद्धौर विकासखण्ड

प्रस्तुत अध्ययन में बाराबंकी जनपद में स्थित सिद्धौर विकासखण्ड को चुना गया है। यह विकास खण्ड बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत आता है। यह विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। इस विकास खण्ड की कुल जनसंख्या 215765 लाख है, जिनमें पुरुषों की संख्या 113375 लाख तथा स्त्रियों की संख्या 10,2390 लाख है। यहॉ के जनसंख्या धनत्व 2011 के अनुसार 830 व्यक्ति वर्ग किमी0 है। इस विकासखण्ड में कुल गाँवों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार 168 है तथा गैर आबादी गाँवों की संख्या 1 है। अतः कुल 169 गाँव है। इसका क्षेत्रफल 259.90 वर्ग किमी है। इस विकास खण्ड में अनुसूचित जाति की कुल संख्या 80781 है। जिनमें पुरुष 42445 है तथा स्त्री 3836 है। अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 24 है। जिनमें पुरुष 12 तथा स्त्री 12 है।

तालिका 3.5 सिद्धौर विकासखण्ड का जनसांख्कीय विवरण

जनगणना	भौगोलिक विषेषताऐं	
2011	भौगोलिक क्षेत्र	259.90 वर्ग कि0 मी0
2011	कुल जनसंख्या	215765 लाख
2011	जनसंख्या घनत्व	830 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0
2011	पुरुष जनसंख्या	113375
2011	महिला जनसंख्या	102390
2011	अनुसूचित जाति जनसंख्या	80781
2011	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	24

स्रोतः भारत की जनगणना, 2011

तालिका 3.6 सिद्धौर विकासखण्ड में शैक्षिक संस्थान

क्र0 सं0	शैक्षिक संस्थान	संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	167
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	65
3	माध्यमिक विद्यालय	12
4	उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय	3
5	माध्यमिक बालिका विद्यालय	2

स्रोतः जिला सांख्यकीय बाराबंकी (2012–13)

तालिका 3.6 के अनुसार शैक्षणिक स्थिति को देखा जाए तो इस विकास खण्ड में विद्यालयों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण शैक्षणिक स्तर पर यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इस विकास खण्ड में 167 प्राथमिक विद्यालय, 65 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 12 माध्यमिक विद्यालय, 3 उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय 2, माध्यमिक स्तर बालिका विद्यालय तथा एक भी बड़ा महाविद्यालय नहीं है। इस विकास खण्ड में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहने के कारण तथा आय के साधनों

का समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोग पढने के पैसा नहीं जुटा पाते है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह कृषि तथा मजदूरी पर अधिक जोर देते हैं। अतः यहाँ अशिक्षा ज्यादा है। यहाँ की साक्षरता दर 59.8% है।

साक्षरता दर

2011 की जनगणना के अनुसार सिद्धौर विकासखण्ड में 44.32 आबादी ही साक्षर है। स्त्री साक्षरता दर 56.58% तथा पुरुष साक्षरता दर 30.31% जो तालिका **3.7** में स्पष्ट रूप से दर्शायाा गया है।

तालिका 3.7 सिद्धौर विकासखण्ड में साक्षरता दर

साक्षरता	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला
साक्षर व्यक्तियों की संख्या	63869	43482	20387
साक्षरता दर	44.32%	56.58%	30.31%

स्रोतः जिला सांख्यकीय बाराबंकी (2012–13)

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्याय में बाराबंकी जिले एवं इसके अर्न्तगत आने वाले सिद्धौर विकास खण्ड का सामाजिक तथा शैक्षणिक सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बाराबंकी जिले की कुल जनसंख्या 32 लाख है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 10.1 प्रतिशत नगरों में निवास तथा 89.9 प्रतिशत कुल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासी करती हैं। जनसंख्या है तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.16 प्रतिशत है। यहाँ पर लिंगानुपात 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 910 है। तथा शिशुलिंगानुपात 930 है। धर्मानुसार यहां पर जनसंख्या हिन्दू 77.51 प्रतिशत, मुस्लिम 22.04 प्रतिशत तथा 0. 55 प्रतिशत अन्य जातियां निवास करती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि बाराबंकी जनपद में सर्वाधिक हिन्दू धर्म के अनुयायी निवास करते है। इस जनपद में हिन्दी एवं उर्दू भाषा बोली जाती है बाराबंकी जनपद में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 51.90 प्रतिशत हैं। जिसमें 59.20 प्रतिशत पुरूष तथा 43.89 प्रतिशत

महिला साक्षर है। अतः यह कहा जा सकता है। पुरूषों की शिक्षा की अपेक्षा महिला शिक्षा का स्तर निम्न है। प्राथमिक स्तर पर यहां पर बच्चों के नामांकन स्थिति को देखे तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर दोनों ही स्तरों पर नामाकंन स्थिति में वृद्धि हुई है। तथा स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार हुआ है। यहां पर प्राथमिक विद्यालय की संख्या 2171 है तथा उच्चप्राथमिक विद्यालय 846 है। इसी प्रकार 189 मध्यमिक विद्यालय 19 विश्वविद्यालय है। 3 स्नातक स्तर के महाविद्यालय है तथा विश्वविद्यालय हैं। 234 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र भी हैं। इस प्रकार यहां पर शैक्षिक संस्थानों की स्थिति अच्छी उपलब्धता है। चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थिति को देखें तो यहां परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र की संख्या सर्वाधिक है। जिकी संख्या 372 है। उसके बाद सर्वाधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा है जिसकी संख्या 74 है। बाकी अन्य की भी सुविधा इस जनपद में उपलब्ध है। अतः तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस जनपद में चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थिति अच्छी हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या (2002) के अनुसार यहां पर कुल 323.24 हजार है। जिसमें 3143.36 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में है तथा 8.88 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में है । यहां पर विभाजित श्रमिकों की संख्या देखे तो स्पष्ट होता है कि कुल किसान यहां पर 38. 44 प्रतिशत है, कृषि श्रमिक कुल 35.38 प्रतिशत है 6.47 प्रतिशत औद्योगिक श्रमिक है तथा 19.71 प्रतिशत अन्य श्रमिक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है। कि यहां पर निवास करने वाले लोग अधिकांश कृषि कार्यों में संलग्न रहते है।

इसी प्रकार बाराबंकी जनपद मं स्थिति सिद्धौर विकास खण्ड जो कि शोध अध्ययन का क्षेत्र है उसकी सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति को देखे तो तथ्यों कें विश्लेषण से स्पष्ट होता है जिसमें 113375 लाख पुरूष की संख्या एवं 102390 लाख स्त्रियां की संख्या है। विकास खण्ड में कुल 169 गांव है। यहां पर सर्वाधिक कुल अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निवास करते है जिनकी संख्या 80781 है। तथा अनुसूचित जनजाति 34 है। शैक्षणिक स्थिति को देखें तो यहां पर प्राथमिक स्तर कुल विद्यालयों की संख्या 167 है। तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या 65 है। माध्यमिक स्तर के विद्यालय 12 है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 एवं माध्यमिक

स्तर पर बालिका विद्यालय 2 है। तथा महाविद्यालय एक भी नहीं है। अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के संन्दर्भ में यह विकास खण्ड काफी अभी भी पिछडा है। और शिक्षा के सन्दर्भ में स्थिति निम्न है। यहां की साक्षरता दर कुल 44.32 प्रतिशत है जिसमें 55.58 पुरूष साक्षर है तथा 3031 प्रतिशत महिलायें साक्षर है अतः स्पष्ट है कि इस विकास खण्ड में महिला शिक्षा का स्तर निम्न है पुरूषों की अपेक्षा इस प्रकार उपरोक्त बाराबंकी जनपद की स्थिति देखें तो यह कहा जा सकता हैं। यहां पर हर प्रकार से स्थिति में सुधार हो रहा है। अर्थात विकास करने के लिए धीरे–धीरे ही सही पर विकास हो रहा है।

अध्याय– 4

ग्रामीण बालिकाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत अध्याय में चयनित बालिकाओं के परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत उनके परिवार की सामाजिक श्रेणी (जाति), उनकी उप जातियां, उनके धर्म, उनके परिवार का प्रकार, आवासीय घर का प्रकार, उनको प्राप्त होने वाले अनाज के लिए प्रयुक्त राशन कार्ड का प्रकार, माता–पिता की शैक्षिक स्थिति एवं उनका व्यवसाय और परिवार की मासिक आय का सामान्य एवं तुलनात्मक रूप से वर्णन किया गया है।

तालिका– 4.1 विद्यालयानुसार बालिकाओं के जाति का वर्गीकरण

क्र0 स0	बालिकाओं की जाति	विद्यालय का स्वारूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1.	सामान्य	12 (57.1%)	6 (28.6%)	3 (14.3%)	21 (100.0%)
2.	अन्य पिछडा वर्ग	84 (70.0%)	24 (20.0%)	12 (10.0%)	120 100.0%
3.	अनुसूचित जाति	84 (70.0%)	24 (20.0%)	12 (10.0%)	120 (100.0%)
4.	अल्पसंख्यक	30 (76.9%)	6 (15.4%)	3 (7.7%)	39 (100.0%)
	कुल	**210 (70.0%)**	**60 (20.0%)**	**30 (10.0%)**	**300 (100.0%)**

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 4.1 बालिकाओं की जाति के वर्गीकरण से सम्बन्धित है। तालिका के अनुसार कुल 21 सामान्य वर्ग की बालिकाओं में से 57.0प्रतिशत बालिकायें परिषदीय विद्यालय से सम्बन्धित है। 28.6 प्रतिशत बालिकायें प्राइवेट विद्यालय से है तथा 14. 3 प्रतिशत बालिका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से है। अन्य पिछड़े वर्ग की कुल 120 बालिकाओं में से 70.0 प्रतिशत बालिकायें परिषदीय विद्यालय से है। 20.0 प्रतिशत बालिकाये प्राइवेट विद्यालय से सम्बन्धित है तथा 10.0 प्रतिशत

बालिकायें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से है। अनुसूचित जाति की कुल 120 बालिकाओं मे से 70.0 प्रतिशत बालिकाये परिषदीय विद्यालय से है। 20.0 प्रतिशत बालिकाये प्राइवेट विद्यालय से तथा 10.0 प्रतिशत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से है। कुल 39 अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं में से 76.9 प्रतिशत बालिकाये परिषदीय विद्यालय से है। 15.4 प्रतिशत प्राइवेट विद्यालय से सम्बन्धित है तथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 7.7 प्रतिशत बालिकायें है। अतः तालिका से स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग की बालिकाओं का अन्य जातीय वर्ग की तुलना में परिषदीय विद्यालय में नामांकन बहुत कम है। जिससे यह भी ज्ञात होता है कि परिषदीय विद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं अधिक पढ़ती हैं।

बालिकाओं की उपजातियाँ

ग्रामीण भारत की विशेषता है कि एक ही गाँव में विभिन्न जातियाँ रहती है। कुछ सम्मिलित रूप से तो कुछ टोले के रूप में या मुख्य गाँव से बाहर रहती हैं। प्रायः स्कूल ऐसे स्थान पर है जहाँ छात्रों के आवगमन में असुविधा न हो। विद्यालय में विभिन्न जातियों के विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका– 4.2 सामान्य वर्ग से सम्बधित बालिकाओं की उपजातियाँ

सामान्य वर्ग की उपजातियाँ			
क्र० सं०	**उपजातियाँ**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	बनिया	8	38.1
2	दीक्षित	3	14.3
3	मिश्रा	2	9.5
4	तिवारी	1	4.8
5	कायस्थ	7	33.3
कुल		**21**	**100**

स्रोतः कार्य क्षेत्रः (2015–16)

तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि क्षेत्र कार्य के दौरान कुल 300 बालिका विद्यार्थियों में से 21 बालिकाएं सामान्य वर्ग से पायी गयीं। इन 21 सामान्य वर्ग की

बालिकाओं में से सबसे अधिक 38.1 प्रतिशत बनिया जाति से संबंधित है, 14.3 प्रतिशत दीक्षित (ब्राह्मण) जाति से संबंधित है, 9.5 प्रतिशत मिश्रा (ब्राह्मण) जाति से, 4.8 प्रतिशत तिवारी (ब्राह्मण) जाति से संबंधित है एवं कायस्थ जाति की बालिकाएं 33.3 प्रतिशत पायी गयीं। इस प्रकार सामान्य वर्ग की बालिकाओं में सबसे अधिक बनिया तत्पश्चात कायस्थ जाति की बालिकाएं अध्ययन में पाई गयी।

तालिका– 4.3 अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बधित बालिकाओं की उपजातियाँ

अन्य पिछड़े वर्ग की उपजातियाँ			
क्र० सं०	**उपजातियाँ**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
1	नाई	2	1.7
2	लोधी	32	26.7
3	अहीर	20	16.7
4	कुर्मी	51	42.5
6	लोहार	6	5.0
7	कुम्हार	9	7.5
कुल		**120**	**100**

स्रोतः कार्य क्षेत्र (2015–16)

तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग की भाँति अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या 120 है। इन कुल 120 बालिकाओं की विभिन्न उपजातियाँ हैं जो इस प्रकार हैं– नाई जाति की 1.7 प्रतिशत बालिकाएं, लोधी जाति की 26.7 प्रतिशत, अहिर 16.7 प्रतिशत कुर्मी 42.5 प्रतिशत लोहार 5.0 प्रतिशत एवं कुम्हार जाति की 7.5 प्रतिशत बालिकाएं पायी गयीं। यहां स्पष्ट रूप कहा जा सकता है कि अन्य पिछडे वर्ग की बालिकाओं में कुर्मी एवं लोधी जाति की बालिकाओं की मात्रा अधिक है एवं बढई तथा लोहार जाति की बालिकाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है।

तालिका– 4.4 अनुसूचित जाति से सम्बधित बालिकाओं की उपजातियाँ

अनुसूचित जाति की उपजातियाँ			
क्र० सं०	उपजातियाँ	आवृत्ति	प्रतिशत
1	धोबी	11	9.2
2	कोरी	29	24.2
3	पासी	37	30.8
4	चमार	43	35.8
	कुल	**120**	**100**

स्रोतः कार्य क्षेत्र (2015–16)

सामाजिक श्रेणी की यह तालिका 4.4 अनुसूचित जातियों से संबंधित है। कुल 300 बालिका विद्यार्थियों मे से 120 बालिकाएं अनुसूचित जातियों से संबंधित पायी गयी। इनमें से अलग–अलग उपजातियों से संबंधित बालिकाएं है। धोबी जाति से 9.2 प्रतिशत, कोरी जाति से 24.2 प्रतिशत, पासी जाति से 30.8 प्रतिशत एवं चमार जाति से 35.8 प्रतिशत बालिकाएं पायी गयीं। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की चमार जाति पासी एवं कोरी जाति की बालिकाएं अनुसूचित जाति की धोबी की तुलना में अधिक हैं। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि चमार जाति की बालिकाओं की संख्या अधिक है।

तालिका– 4.5 अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बधित बालिकाओं की उपजातियाँ

अल्पसंख्यक वर्ग की उपजातियाँ			
क्र० सं०	उपजातियाँ	आवृत्ति	प्रतिशत
1	जुलाहा	10	25.6
2	कसाई	6	15.4
3	हेला	5	12.8
4	फ़कीर	9	23.1
5	दर्जी	5	12.8
6	पठान	4	10.3
	कुल	**39**	**100**

स्रोतः कार्य क्षेत्र (2015–16)

तालिका 4.5 से स्पष्ट है कि अन्य सामाजिक श्रेणियों की तरह ही अल्पसंख्यक वर्ग की विभिन्न उपजाति की कुल बालिकाओं की संख्या 39 पायी गयी। इनमें से जुलाहा 25.6 प्रतिशत, कसाई 15.4 प्रतिशत, हेला 12.8 प्रतिशत, फकीर 23.1 प्रतिशत, दर्जी 12.8 प्रतिशत एवं पठान जाति की 10.3 प्रतिशत बालिकाएं सम्मिलित हैं। इनमें से जुलाहा एवं कसाई जाति की बालिकाओं की संख्या अन्य जातियों की तुलना में कम है।

बालिकाओं के धर्म का विवरण

तालिका– 4.6 बालिकाओं के धर्म का वर्गीकरण

क्र0 स0	बालिकाओं का धर्म	विद्यालय का स्वारूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यायलय	
1.	हिन्दू	180 (69.0%)	54 (20.7%)	27 (10.3%)	261 (100.0%)
2.	मुस्लिम	30 (76.9%)	6 (15.4%)	3 (7.7%)	39 (100.0%)
	कुल	210 (70.0%)	60 (20.0%)	30 (10.0%)	300 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 4.6 में बालिकाओं के धर्म का विवरण दिया गया है। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि हिन्दु धर्म से सम्बन्धित कुल बालिकाओं में से 69.0 प्रतिशत बालिकायें परिषदीय विद्यायल से सम्बन्धित है तथा 20.7 प्रतिशत बालिकायें प्राइवेट विद्यालय से है। 10.2 प्रतिशत बालिकायें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से है। इसी प्रकार कुल मुस्लिम बालिकाओं में से 76.9 प्रतिशत बालिकायें परिषदीय विद्यालय से है तथा 15.4 प्रतिशत प्राइवेट विद्यालय से एवं 7.7 प्रतिशत बालिकायें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से सम्बन्धित हैं। अतः तालिका 4.6 से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय में बालिकाओं के धर्म के आधार पर नामांकन की

स्थिति में मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित बालिकाओं की तुलना में हिन्दु धर्म से सम्बन्धित बालिकओं की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका– 4.7 बालिकाओं के परिवार के प्रकार का वर्गीकरण

क्र0 स0	परिवार का प्रकार	विद्यालय का प्रकार			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यायलय	
1.	संयुक्त	136 (70.8%)	24 (18.8%)	20 (10.4%)	192 (100.0%)
2.	एकांकी	74 (68.5%)	36 (22.2%)	10 (9.3%)	108 100.0%
	कुल	**210 (70.0%)**	**60 (20.0%)**	**30 (10.0%)**	**300 (100.0%)**
नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।					

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 4.7 से ज्ञात होता है कि परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत 70.8 प्रतिशत बालिकायें संयुक्त परिवार में रहती है। प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत 18.8 प्रतिशत बालिकायें संयुक्त परिवार से है तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें 10.4 प्रतिशत संयुक्त परिवार से है इसी प्रकार 68.5 प्रतिशत परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें एकांकी परिवार से है प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत तथा कस्तूरबा गांधी 22.2 प्रतिशत बालिकायें एकांकी परिवार से तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत 9.3 प्रतिशत बालिका एकांकी परिवार से सम्बन्धित है। अतः तालिका 4.7 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। कि संयुक्त परिवार में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती है। जबकि एकांकी परिवार में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई करती है।

बालिकाओं के मकान का प्रकार

प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की श्रेणी में आवास या घर महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए आवास आवश्यक है। आवास की स्थिति एवं उसके प्रकार या स्वरूप का अवलोकन कर उसके आर्थिक स्थिति का भी अन्दाजा लगाया जा सकता है। इन्हीं वजहों से अध्ययनरत बालिकाओं के आवास के विषय में जानने का प्रयास किया गया। घर पर पढ़ने के लिए भी बालिकाओं को एक सुरक्षित एवं एकान्त कमरे की आवश्यकता होती है। अतः अनुकूल आवासीय स्थिति में घर पर भी अध्ययन का कार्य हो सकता है। निम्नलिखित तालिका में बालिकाओं के घर के प्रकार के विषय में बाताया गया है–

तालिका–4.8 बालिकाओं के मकान का प्रकार

क्र0 स0	मकान का स्वरूप	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधायलय	
1.	कच्चा	48 (73.8%)	0 (0.0%)	17 (26.2%)	65 (100.0%)
2.	पक्का	8 (19.5%)	33 (80.5%)	0 (0.0%)	41 (100.0%)
3.	मिश्रित	154 (79.4%)	27 (13.9%)	13 (6.7%)	194 (100.0%)
कुल		**210 (70.0**	**60 (20.0%)**	**30 (10.0%)**	**300 (100.0%)**

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्य क्षेत्र (2015–16)

तालिका 4.8 से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकायें 73.8 प्रतिशत कच्चे मकानों में निवास करती है 19.5 प्रतिशत बालिकायें पक्के मकानों में निवास करती है। तथा 79.04 प्रतिशत बालिकाएं मिश्रित मकानों में निवास करती है। प्राइवेट विद्यालय में पढ़नें वाली बालिकायें 80.5 प्रतिशत पक्के

मकानों में निवास करती है। तथा 13.9 प्रतिशत मिश्रित मकानों में निवास करती है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली 26.2 प्रतिशत बालिकायें कच्चे मकानों में निवास करती है एवं 6.7 प्रतिशत बालिकायें मिश्रित माकानों में निवास करती है।

अतः तालिका 4.8 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मिश्रित मकानों में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक परिषदीय विद्यालय में पढ़ने जाती है। पक्के मकानों में निवास करने वाली बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाती है। तथा कच्चे मकानों में निवास करने वाली बालिकायें सर्वाधिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती है। अतः इससे स्पष्ट होता है। कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की सामाजिक स्थिति निम्न है।

बालिकाओं के पिता का शैक्षिक स्तर

ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका परिवार अर्थात माता–पिता या अभिभावक होते हैं। स्पष्ट है कि पिता या अभिभावक का शिक्षित एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता बालक या बालिका के लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए अनुकुल वातावरण तैयार करता है बालिकाओं के पिता/अभिभावक शैक्षिक स्तर निम्न लिखित तालिका 4.9 में स्पष्ट विवरण है।

तालिका 4.9 से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता सर्वाधिक 82.8 प्रतिशत निरक्षर है तथा सबसे कम 10.3 प्रतिशत पिता स्नातक स्तर तक शिक्षित है। प्राइवेट विद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाओं के पिता सबसे अधिक परास्नातक स्तर तक शिक्षित है जिनका प्रतिशत 100 प्रतिशत है। तथा सबसे कम 6.7 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाओं के पिता सर्वाधिक 16.3 प्रतिशत निरक्षर है एवं सबसे कम 4.7 प्रतिशत इण्टरमीडिएट तक शिक्षित है। अतः तालिका 4.9 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्यन करने वाली बालिकाओं के

पिता अधिक संख्या में निरक्षर है। तथा प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता अधिक संख्या में शिक्षित है। अतः इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षित पिता अपनी बालिकाओं को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। तथा निरक्षर पिता अपनी बालिकाओं को परिषदीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाते हैं।

तालिका– 4.9 बालिकाओं के पिता का शैक्षिक स्तर

क्र0 स0	पिता का शैक्षिक स्तर	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यायलय	
1	निरक्षर	82 (78.9%)	5 (4.8%)	17 (16.3%)	104 (100.0%)
2	प्राथमिक	25 (83.3%)	2 (6.7%)	3 (10.0%)	30 (100.0)%
3	उच्चप्राथमिक	31 (79.5%)	3 (7.7%)	5 (12.8%)	39 (100.0%)
4	हाईस्कूल	36 (81.8%)	5 (11.4%)	3 (6.8%)	44 (100.0%)
5	इण्टरमीडिएट	32 (74.4%)	9 (20.9%)	2 (4.7%)	43 (100.0%)
6	स्नातक	4 (19.1%)	17 (8.9%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
7	परास्नातक	0 (0.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
	कुल	**210 (70.0%)**	**60 (20.0%)**	**30 (10.0%)**	**300 (100.0%)**

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका– 4.10 बालिकाओं की माता का शैक्षिक स्तर

क्र0 स0	माता का शैक्षिक स्तर	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यायलय	
1	निरक्षर	158 (80.6%)	10 (5.1%)	28 (14.3%)	196 (100.0%)
2	प्राथमिक	29 (82.9%)	4 (11.4%)	2 (5.7%)	35 (100.0%)
3	उच्च प्राथमिक	15 (57.7%)	11 (42.3%)	0 (0.0%)	26 (100.0%)
4	हाईस्कूल	6 (40.0%)	9 (60.0%)	0 (0.0%)	15 (100.0%)
5	इण्टरमीडिएट	2 (9.5%)	19 (90.5%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
6	स्नातक	0 (0.0%)	6 (100.%)	0 (0.0%)	6 (100.0%)
7	परस्नातक	0 (0.0%)	1 (100.%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
	कुल	**210 (70.0%)**	**60 (20.0%)**	**30 (10.0%)**	**300 (100.0%)**

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 4.10 के आकड़ों से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाओं की माताएं सर्वाधिक 80.6 प्रतिशत निरक्षर है। प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं की माताएं सर्वाधिक 90.5 प्रतिशत इण्टर मीडिएट स्तर तक शिक्षित है। तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं की माताएं अधिक संख्या में निरक्षर है जिनका प्रतिशत 14. 3% है। अतः आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढने वाली वाली बालिकाओं की माताएँ सर्वाधिक निरक्षर तथा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की माताएँ शिक्षित है। अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालय एवं

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताओं की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताओं का शिक्षा का स्तर अच्छा है।

आर्थिक स्थिति

बालिकाओं के परिवार की आर्थिक श्रेणी

तालिका– 4.11 बालिकाओं के परिवार के आर्थिक श्रेणी का वार्गीकरण

क्र0 स0	परिवार की आर्थिक श्रेणी	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधायलय	
1.	ए0 पी0 एल0	0 (0.0%)	35 (100.%)	0 (0.0%)	35 (100.0%)
2.	बी0 पी0 एल0	162 (81.0%)	25 (12.5%)	13 (6.5%)	200 (100.0)%
3.	अन्त्योदय	48 (73.8%)	0 (0.0%)	17 (26.2%)	65 (100.0%)
	कुल	**210 (70.0)**	**60 (20.0%)**	**30 (10.0%)**	**300 (100.0%)**

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्य क्षेत्र (2015–16)

तालिका 4.11 के अनुसार स्पष्ट है कि प्राइवेट विद्यालय में पढने वाली बालिकायें ही ए0 पी0 एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आती है । जिनकी संख्या 35 तथा प्रतिशत 100 है। परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकायें सर्वाधिक बी0 पी0 एल0 श्रेणी के अर्न्तगत आती है तथा 12.5 प्रतिशत प्राइवेट विद्यालय में पढने वाली बालिकायें बी0 पी0 एल0 श्रेणी से सम्बन्धित है एंव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढने वाली 6.5 प्रतिशत बालिकायें बी0 पी0 एल0 श्रेणी से सम्बन्धित है इसी प्रकार अन्त्योदय कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली परिषदीय विद्यालय की बालिकायें 73.8 प्रतिशत हे तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका

विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायं 26.2 प्रतिशत अन्तोदय कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आती है। अतः तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बी0 पी0 एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली बालिकायें सर्वाधिक प्राइवेट विद्यालय में पढती है तथा बी0 पी0 एल0 कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली बालिकायें सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय में पढ़ती है एवं अन्त्योदय कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली सर्वाधिक बालिकायें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढती हैं। अतः यह कहा जा सकता है परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा आवासीय अतः बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें निम्न आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों से है। वहीं प्राइवेट विद्यालय की बालिकायें सर्वाधिक उच्च आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवारों से सम्बन्धित है।

बालिकाओं के पिता का व्यवसाय

भारत में परिवार का मुखिया प्रायः पुरुष ही होते हैं। परिवार के आर्थिक स्रोत के रूप में पुरुष ही कार्य करते हैं, इसका मुख्य कारण यह भी है कि भारतीय समाज पितृ सत्तात्मक समाज है। इसलिए इस अध्ययन में बालिकाओं के पिता का आर्थिक स्रोत अथवा आजीविका का साधन को जानने का प्रयास किया गया है जो निम्नलिखित तालिका 4.12 में स्पष्ट है–

तालिका 4.12 से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं के पिता सर्वाधिक 78 प्रतिशत मजदूरी का काम करते है। तथा प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता सबसे अधिक सरकारी नौकरी करते है जिनक प्रतिशत 100 प्रतिशत है एवं कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता भी सर्वाधिक 15.3 प्रतिशत मजदूरी का काम करते है। अतः तालिका 4.12 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय की बालिकायें एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकायें निम्न आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित है जबकि प्राइवेट विद्यालय की बालिकाये उच्च आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित है। इससे स्पष्ट होता है कि निम्न आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध

रखने वाले परिवारों की बालिकाये सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढाई करती है जबकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में अधिक पढ़ती है। अतः स्पष्ट है कि निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार की बालिकाओं के अभिभावक अपनी बालिकाओं को सबसे अधिक परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते है। जबकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवार की बालिकाओं के आभिभावक अपनी बालिकाओं को प्राइवेट विद्यालय में पढ़नें के लिए भेजते है।

तालिका– 4.12 बालिकाओं के पिता का व्यवसाय

क्र0 स0	पिता का व्यवसाय	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यायलय	
1	कृषि	51 (83.6%)	5 (8.2%)	5 (8.2%)	61 (100.0%)
2	मजदूरी	117 (78.0%)	10 (6.7%)	23 (15.3%)	150 (100.0%)
3	सरकारी नौकरी	0 (0.0%)	19 (100.0%)	0 (0.0%)	19 (100.0%)
4	प्राइवेट नौकरी	3 (15.0%)	17 (85.0%)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
5	व्यवसाय	2 (25.0%)	6 (75.0%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
6	अन्य	37 (88.1%)	3 (7.1%)	2 (4 .8%)	42 (100.0%)
कुल		**210 (70.0%)**	**60 (20.0%)**	**30 (10.0%)**	**300 (100.0%)**

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

बालिकाओं की माता का व्यवसाय

तथ्य संकलन के दौरान बालिकाओं के माताओं के संदर्भ में उनके व्यवसाय के विषय में जानकारी ली गयी तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की जो तस्वीर उभर कर सामने आयी उसे निम्नलिखित तालिका 4.13 में दर्शाया गया है।

तालिका– 4.13 बालिकाओं की माता का व्यवसाय

क्र0 स0	माता का व्यवसाय	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	ग्रहणी	168 (70.0%)	54 (22.5%)	18 (7.5%)	240 (100.0%)
2	कृषि	23 (65.7%)	3 (8.6%)	9 (25.7%)	35 (100.0%)
3	मजदूरी	19 (86.4%)	0 (0.0%)	3 (13.6%)	22 (100.0%)
4	सरकारी नौकरी	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
5	प्राइवेट नौकरी	0 (0.0%)	2 (100.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
6	व्यवसाय	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)
7	अन्य	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
कुल		**210 (70.0%)**	**60 (20.0%)**	**30 (10.0%)**	**300 (100.0%)**

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 4.13 के आंकडों से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं की माता 7 प्रतिशत ग्रहणी है। 69.7 प्रतिशत कृषि का काम करती है 86.4 प्रतिशत मजदूरी का काम करती है प्राइवेट विद्यालय की बालिकाओं की 22.5 प्रतिशत माता ग्रहणी हे 8.6 प्रतिशत कृषि का काम करती है। 100 प्रतिशत सरकारी नौकरी एंव

100 प्रतिशत प्राइवेट नौकरी करती है इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं की माता 7.5 प्रतिशत ग्रहणी है एवं 25.7 प्रतिशत कृषि का काम तथा 13.6 प्रतिशत मजदूरी का काम करती हैं। अतः तालिका 4.9 स्पष्ट होता है परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की माताएँ सबसे अधिक ग्रहणी हैं।

तालिका– 4.14 बालिकाओं के पिता की मासिक आय

क्र0 स0	पिता की मासिक आय	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विधालय	
1	3000–6000	54 (91.5%)	2 (3.4%)	3 (5.1%)	59 (100.0%)
2	6000–9000	151 (80.3%)	10 (5.3%)	27 14.4%)	188 (100.0%)
3	9000–12000	5 (62.5%)	3 (37.5%)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
4	12000–15000	0 (0.0%)	9 (100.0%)	0 (0.0%)	9 (100.0%)
5	15000–20000	0 (0.0%)	17 (100.0%)	0 (0.0%)	17 (100.0%)
6	20000 से ऊपर	0 (0.0%)	19 (100.0%)	0 (0 .0%)	19 (100.0%)
	कुल	210 (70.0%)	60 (20.0%)	30 (10.0%)	300 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 4.14 से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं के 80.0 प्रतिशत पिता की मासिक आय सर्वाधिक रू0 6000 से 9000 तक है। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के पिता की मासिक आय सर्वाधिक रू0 20,000 से ऊपर है जिनका प्रतिशत 100 तक है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन करने वाली 14.4 प्रतिशत बालिकाओं के

पिता की सर्वाधिक मासिक आय रू0 6000 से 9000 है। अतः तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता की मासिक आय सर्वाधिक रू 6000–9000 है। तथा प्राईवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता की मासिक आय सर्वाधिक रू 20,000 से ऊपर है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है अपेक्षा परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई करने वाली बालिकाओं से ।

निष्कर्ष

इस अध्याय में तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात् क्षेत्र में विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि के विषय में स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन में मुख्य रूप से हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म की अनुयायी बालिकाएं ही चयनित विद्यालय में अध्ययन कर रहीं हैं। अन्य धर्मों से सम्बधित कोई भी बालिका अध्ययन नहीं कर रही है। हिन्दू धर्म में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति की बालिकाएं हैं तथा मुस्लिम धर्म की बालिकाओं को अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। सामान्य वर्ग की बालिकाएं अल्प मात्रा में नामांकित हैं जिनकी संख्या मात्र 21 है, जो ब्राह्मण, बनिया एवं कायस्थ जातियों में विभक्त हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं का नामांकन बहुतायत मात्रा में है जिनकी संख्या 120 है। अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों में नाई, लोधी, अहीर, कुर्मी, लोहार, एवं कुम्हार आदि जातियों की बालिकाएं सम्मिलित हैं। इनमें से प्रमुख रूप से कुर्मी एवं लोधी जाति की बालिकाओं की संख्या अधिक है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की बालिकाओं की संख्या भी अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या के बराबर 120 है। अनुसूचित जाति में सम्मिलित बालिकाएँ हैं जो धोबी, कोरी, पासी एवं चमार जाति से हैं। इनमें से सबसे अधिक चमार, पासी एवं कोरी जाति की बालिकाएँ हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 39 बालिकाएं पंजीकृत हैं जो तुलनात्मक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की संख्या में कम हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की जातियों में मुख्य रूप से जुलाहा, कसाई, हेला, फ़कीर, दर्ज़ी

एवं पठान जातियां हैं। विद्यालयानुसार सामान्य वर्ग की बालिकाओं का अन्य जातीय वर्ग की तुलना में परिषदीय विद्यालय में नामांकन बहुत कम है। जिससे यह भी ज्ञात होता है कि परिषदीय विद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं अधिक पढ़ती हैं।

परिवार के प्रकार के रूप में संयुक्त परिवार में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती है। जबकि एकांकी परिवार में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई करती है। मिश्रित मकानों में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक परिषदीय विद्यालय में पढ़ने जाती है। पक्के मकानों में निवास करने वाली बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाती है। तथा कच्चे मकानों में निवास करने वाली बालिकायें सर्वाधिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की सामाजिक स्थिति निम्न है। परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्यन करने वाली बालिकाओं के पिता अधिक संख्या में निरक्षर पाये गये। तथा प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता अधिक संख्या में शिक्षित पाये गये। परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताएँ सर्वाधिक निरक्षर तथा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की माताएँ शिक्षित पायी गई। अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताओं की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताओं का शिक्षा का स्तर अच्छा है। बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक कार्ड के सन्दर्भ में तथ्यों से यह उभर कर आया है कि अधिकतम बालिकाओं के परिवार के पास अन्त्योदय एवं बी. पी. एल. के ही कार्ड हैं बहुत ही कम मात्रा में ए. पी. एल. कार्डधारी हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति निम्न है। वहीं विद्यालयानुसार ए0 पी0 एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली बालिकायें सर्वाधिक

प्राइवेट विद्यालय में पढती है तथा बी0 पी0 एल0 कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली बालिकायें सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय में पढ़ती है एवं अन्त्योदय कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली सर्वाधिक बालिकायें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढती हैं। अतः यह कहा जा सकता है परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा आवासीय अतः बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें निम्न आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों से है। वहीं प्राइवेट विद्यालय की बालिकायें सर्वाधिक उच्च आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवारों से सम्बन्धित हैं।

परिषदीय विद्यालयों की बालिकाओं के पिता मुख्य रूप से कृषि एवं मजदूरी या अन्य आजीविका के साधन के रूप में ठेले–खोमचे लगाना, फेरी लगाना अथवा साईकिल रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं। तथा प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता सबसे अधिक सरकारी नौकरी करते हैं एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता सर्वाधिक मजदूरी का काम करते है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि निम्न आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले परिवारों की बालिकाये सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढाई करती है जबकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में अधिक पढ़ती है। बालिकाओं के माता के व्यवसाय के सन्दर्भ में यह पाया गया कि परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की माताएँ सबसे अधिक ग्रहणी हैं। बालिकाओं के पिता की मासिक आय के सन्दर्भ में पाया गया परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई करने वाली बालिकाओं के पिता की मासिक आय की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के पिता की मासिक आय की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अतः यह कह सकते हैं कि अध्ययन करने वाली अधिकतम बालिकाओं के परिवार निम्न आर्थिक श्रेणी में हैं। इस अध्ययन में पुष्टि होती है कि ग्रामीण भारत में अभी भी गरीबी है और गरीब परिवार के बच्चे गाँव के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते हैं।

अध्याय– 5

ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति

प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। इसी संदर्भ में विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सरकारी सुविधाओं जैसे– (मध्यान्ह भोजन, छात्रवृति, निःशुल्क पुस्तकें/स्कूल ड्रेस आदि की व्यवस्था) तथा बालिकाओं से शिक्षा सम्बन्धित व्यक्तिगत जानकारी जैसे–(नामांकन, प्रति दिन विद्यालय जाने की स्थिति, विद्यालय जाने के मुख्य कारण, पठन–पाठन की स्थिति) एवं विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे अध्यापकों की अध्ययन–आध्यापन की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 5.1 से स्पष्ट होता है कि शोध अध्ययन के अर्न्तगत आने वाले दसों विद्यालयों में चाहे परिषदीय विद्यालय हों या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हो सभी विद्यालयों के भवन पक्के बने हुए हैं। सभी परिषदीय विद्यालयों में से उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही यह व्यवस्था है जहाँ प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था है, परन्तु सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था नहीं पाई गई है। सभी परिषदीय विद्यालयों में से किसी भी परिषदीय विद्यालय में बिजली की व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है। अतः तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बिजली व्यवस्था के सन्र्दभ में परिषदीय विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है। अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में विद्यालयों में पानी पीने की व्यवस्था है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शौचालय व्यवस्था अच्छी है तथा शौचालय प्रयोग करने लायक है। परिषदीय विद्यालयों में केवल 1 विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था थोड़ी अच्छी पाई गई तथा बच्चे शौचालय का प्रयोग भी करते हैं। परन्तु अधिकांश परिषदीय विद्यालय ऐसे पाये गये जहाँ विद्यालय में शौचालय बने होने के बावजूद विद्यालय में बच्चें प्रयोग नहीं करते हैं।

चयनित विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाएँ

तालिका–5.1 चयनित विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ तथा पठन–पाठन सामग्री (सिद्धौर बाराबंकी)

क्रं0सं0	विद्यालय का नाम	विद्यार्थियों की संख्या	भवन का प्रकार	प्रत्येक कक्षा हेतु कमरों की संख्या	बिजली की व्यवस्था	पानी की व्यवस्था	शौचालय की व्यवस्था	चाहर दिवारी	खेलने हेतु मैदान की व्यवस्था	खेल सामग्री	पुस्तकालय	पठन–पाठन सामग्री
1	प्रा0 वि0 लोधपुरवा	130	पक्का	2	–	1	1	1	1	–	–	1
2	प्रा0 वि0 बाकरगंज	148	पक्का	2	–	1	–	–	1	–	–	1
3	प्रा0 वि0 जमलापुर	119	पक्का	2	–	1	1	1	1	–	–	1
4	प्रा0 वि0 न्योछना	139	पक्का	2	–	1	1	1	1	–	–	1
5	पूर्व मा0 वि0 न्योछना	157	पक्का	2	–	1	1	–	1	–	–	1
6	पूर्व मा0 वि0 गंगवाई पठनान	109	पक्का	3	–	–	–	1	–	–	–	1
7	पूर्व मा0वि0 अन्दका	65	पक्का	3	–	1	–	1	–	–	–	1
8	बी0एम0बी0वी0 हाई स्कूल(प्राथमिक स्तर)	143	पक्का	5	1	1	1	1	1	–	1	1
9	बी0एम0बी0वी0हाईस्कूल(उच्च प्राथमिक स्तर)	103	पक्का	3	1	1	1	1	1	–	1	1
10	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	100	पक्का	3	1	1	1	1	1	1	1	1
कुल		**1213**		**27**	**3**	**9**	**7**	**8**	**8**	**1**	**3**	**10**

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

उसकी वजह थी कि शौचालय साफ सुथरा नहीं था तथा जर्जर अवस्था में पाये गये। इन विद्यालयों में महिला अध्यापकों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था नही है जिसकी वजह से उन्हे भी परेशनियाँ उठानी पड़ती हैं। अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में चहार दिवारी बनी पाई गई है तथा प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी चहार दिवारी की व्यवस्था है।

परिषदीय विद्यालयों में बच्चे के लिए खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था अधिकतर विद्यालयों में हैं, परन्तु प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था नहीं है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था है। खेल सामग्री की व्यवस्था सभी परिषदीय विद्यालय एवं प्राईवेट विद्यालयों में नहीं है तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था नही पाई गई। परिषदीय विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, परन्तु प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था है। विद्यालय में पठन पाठन हेतु श्यामपटट चाकडेस्टर की व्यवस्था सभी विद्यालय चाहे परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्य़ालय सभी में व्यवस्था पायी गयी है। प्राईवेट विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु कमरों की व्यवस्था पाई गई। इसी प्रकार कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु कमरों की व्यवस्था पाई गई।

अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया

तालिका– 5.2 अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाने का तरीका

क्र0 सं0	अध्यापक का विद्यार्थियों को पढ़ाने का तरीका	विद्यालय का स्वरुप						कुल
		परिषदीय विद्यालय		प्राइवेट विद्यालय		कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय		
		हाँ	न्हीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
1	प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियो का एक साथ बैठाकर पढ़ाना	4	3	0	2	0	1	10
2	प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग– अलग पढाना	3	4	2	0	1	0	10
3	लेशन प्लान बनाकर पढाना	2	5	2	0	1	0	10

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.2 के आंकडों से स्पष्ट है कि सभी परिषदीय विद्यालय में से प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में अध्यापक प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को साथ बैठाकर छात्रों को पढ़ाते हैं तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग–अलग पढ़ाते हैं तथा प्राइवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रत्येक कक्षा कं विद्यार्थियों को अलग–अलग कमरों में पढाया जाता था। अतः तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढाने से बच्चों की शिक्षा स्तर पर बुरा प्रभाव पडता है। जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। परिषदीय विद्यालय में अध्यापक द्वारा बिना लेशन प्लान बनाये हुए ही बच्चों को पढ़ाते हुए अधिक पाये गये। वहीं प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चों को लेशन प्लान बनाकर पढ़ाया जाता है। अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है परिषदीय विद्यालय के अध्यापक का बच्चों को पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है।

तालिका– 5.3 विद्यालय में विषय के अतिरिक्त अन्य कुछ सिखायें जाने की स्थिति

क्र0 स0	अतिरिक्त सिखायें जाने वाली विद्याएँ	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	खेलकूल	30 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)
2	नृत्य	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (100.0%)
3	गायन/अन्ताक्षरी	60 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
4	उपरोक्त सभी	30 (25.0%)	60 (50.0%)	30 (25.0%)	120 (100.0%)
5	कुछ नहीं	90 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	90 (100.0%)
कुल		210 (70.0%)	60 (20.0%)	30 (10.0%)	300 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय की अधिकांश बालिकाओं के अनुसार उनके विद्यालय में पी0 टी0 के अलावा अन्य कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। प्राइवेट विद्यालय की बालिकाओं के अनुसार उनके विद्यालय में सभी कुछ सिखाया जाता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाल बालिकाओं का कहना है कि उनके विद्यालय में सभी कुछ सिखाया जाता है। अतः तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय में पीटी के अलावा अधिकांश बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनके विद्यालय में उक्त सुविधाओं का अभाव है। अतः यह कहा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालय की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बलिकाओं के बैद्धिक विकास एवं शारीरिक विकास पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है।

तालिका– 5.4 अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का वार्षिक लिखित परीक्षा लेने का तरीका

क्र0 सं0	अध्यापक द्वारा वार्षिक लिखित परीक्षा लेने का तरीका	विद्यालय का स्वरुप						कुल
		परिषदीय विद्यालय		प्राइवेट विद्यालय		कस्तूरबा गाधी आवासीय बालिका विद्यालय		
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	
1	श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखकर	0	7	0	2	0	1	10
2	प्रश्न पत्र छापकर	7	0	2	0	1	0	10

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.4 के आँकडों से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हो सभी विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र छापकर बच्चों की लिखित परीक्षा लिये जाने की व्यवस्था है।

तालिका– 5.5 विद्यालय में छात्रों हेतु बैठने की व्यवस्था

क्र0 सं0	बैठने की व्यवस्था	विद्यालय का स्वरुप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गाधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	मेज कुर्सी की व्यवस्था	1	2	1	4
2	टाट्पटटी की व्यवस्था	2	0	0	2
3	चटाई	4	0	0	4
कुल		7	2	1	10

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.5 से स्पष्ट होता है कि सभी परिषदीय विद्यालयों में बच्चे सर्वाधिक टाटपट्टी एवं चटाई पर बैठकर पढ़ाई करते हुए पाये गये। प्राईवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा विद्यालय में सभी बच्चे मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। अतः तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांशतः बच्चें जमीन पर बैठकर पढ़ाई करतें हैं।

तालिका– 5.6 अध्यापक की शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण

क्र0 सं0	अध्यापक की शैक्षिक योग्यता	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यायलय	
1.	इण्टर मीडिएट	3 (12.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (8.6%)
2.	स्नातक	13 (52.0%)	0 (0.0%)	2 (28.6%)	15 (42.8%)
3.	परास्नातक	9 (36.0%)	3 (100.0%)	5 (71.4%)	17 (48.6%)
कुल		25 (100.0%)	3 (100.0%)	7 (100.0%)	35 (100.0%)
नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।					

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.6 में अध्यापक की शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण दिया गया है। जिसमें कुल दस विद्यालयों में से 25 अध्यापक परिषदीय विद्यालय के है तथा 3 अध्यापक प्राइवेट विद्यालय के एवं 7 अध्यापक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका द्यिालय के है। अतः तालिका 5.17 से स्पष्ट है कि परिपदीय विद्यालय में 12 प्रतिशत अध्यापक इण्टरमीडिएट तक शिक्षित है तथा 52 प्रतिशत अध्यापक स्नातक स्तर तक शिक्षित है एवं 36 प्रतिशत अध्यापक परास्नातक स्तर तक शिक्षित है। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक 100 प्रतिशत है। गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक 51.4 प्रतिशत स्नातक स्तर तक शिक्षित है तथा 71.4 प्रतिशत अध्यापक परास्नातक स्तर तक शिक्षित है। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक सर्वाधिक स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त किये है। प्राइवेट विद्यालय में पढाने वाले अध्याापक सर्वाधिक परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त किये है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्याापक भी सबसे अधिक परास्नातक तक शिक्षित है। अतः स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों की तुलना में प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के अध्यापकों की शिक्षा का स्तर उच्च है।

तालिका– 5.7 अध्यापक की प्रशिक्षण योग्यता का वर्गीकरण

क्र0 सं0	अध्यापक की प्रशिक्षण योग्यता	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यायलय	
1	बी0 टी0 सी0	14 (56.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14 (40.0%)
2	बी0 एड0 / बी0 पी0 एड0	8 (32.0%)	1 (33.3%)	7 (100.0%)	16 (45.7%)
3	एम0 एड0	1 (4.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (2.9%)
4	अप्रशिक्षण	2 (8.0%)	2 (66.0%)	0 (0.0%)	4 (0.0%)
कुल		25 (100.0%)	3 (100.0%)	7 (100.0%)	35 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तलिका 5.7 में अध्यापक की प्रशिक्षण योग्यता का वर्गीकरण दिया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक सर्वाधिक बी0 टी0 सी0 का प्रशिक्षण लिया है। 32 प्रतिशत अध्यापक बी0 एड0 / बी0 पी0 एड0 का प्रशिक्षण लिया है। 7.0 प्रतिशत अध्यापक एम0 एड0 प्रशिक्षण है। तथा 8.0 प्रतिशत अध्यापक ने कोई भी शैक्षिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। अर्थात अप्रशिक्षण है। प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक 33.3 प्रतिशत अध्यापक बी0 एड0 / बी0 पी0 एड0 का प्रशिक्षण लिया है तथा 66.7 प्रतिशत अध्यापक अप्रशिक्षित है। अर्थात शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए नहीं है। कस्तूरबा गांधी में पढ़ाने वाले अध्यापक अधिकांशतः बी0 टी0 सी0 की शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त है। अतः तालिका विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय में सर्वाधिक बी0 टी0 सी0 शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक विद्यालय में पढाते हैं। प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक सर्वाधिक बिना किसी शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त किये विद्यालय में पढ़ा रहें हैं तथा बी0 एड0 / बी0 पी0 एड0 प्राप्त शैक्षिक प्रशिक्षण अध्यापक सर्वाधिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाते है।

तालिका– 5.8 अध्यापक के पद का स्वरूप

क्र0 सं0	अध्यापक के पद का स्वरूप	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	प्रधानाध्यापक	7 (28.0%)	1 (33.3%)	1 (14.3%)	9 (25.7%)
2	सहायक अध्यापक	2 (44.0%)	2 (66.7%)	6 (85.7%)	19 (54.3%)
3.	शिक्षामित्र	2 (8.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (5.7%)
4	अनुदेशक	5 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	5 (14.3%)
कुल		25 (100.0%)	3 (100.0%)	7 (100.0%)	35 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 5.8 से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय में 28.0 प्रतिशत अध्यापक प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त है। 44.0 प्रतिशत अध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में है। 8.0 प्रतिशत अध्यापक शिक्षामित्र के रूप में तथा 20.0 प्रतिशत अध्यापक अनुदेशक के रूप में है। प्राइवेट विद्यालय में 33.3 प्रतिशत अध्यापक प्रधानाध्यापक है तथा 66.7 प्रतिशत अध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 14.3 प्रतिशत अध्यापक प्रधानाध्यापक हैं । तथा 85.7 प्रतिशत अध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में है। अतः उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढाने वाले अध्यापक सर्वाधिक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त है।

तालिका– 5.9 विद्यालय में पुरूष एवं महिला अध्यापकों की संख्या

क्र0सं0	विद्यालय का स्वरूप	पुरूष	महिला	कुल
1.	परिषदीय विद्यालय	15	10	25
2.	प्राइवेट विद्यालय	4	4	8
3.	कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय	2	5	7
कुल		21	19	40
नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।				

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 5.9 में विद्यालय में पुरूष एवं महिला अध्यापकों की संख्या का विवरण दिया गया है। अतः तालिका से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यपकों की संख्या 25 है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या 8 तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 7 है।

तालिका 5.10 में विद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात की संख्या का विवरण दिया गया है। तालिका 5.10 के अनुसार स्पष्ट है कि पाँच विद्यालयों में छात्र–शिक्षक अनुपात शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिये। परन्तु तालिका से स्पष्ट होता है। अधिकांश विद्यालय छात्र–शिक्षक अनुपात को पूरा नहीं करते है। अतः उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या कम है।

तालिका– 5.10 विद्यालयानुसार छात्र–अध्यापक अनुपात की संख्या

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	छात्र– अध्यापक अनुपात
1	प्राथमिक विद्यालय लोधपुरवा, सिद्धौर बाराबंकी	130 / 2
2	प्राथमिक विद्यालय बाकरगंज, सिद्धौर बाराबंकी	148 / 3
3	प्राथमिक विद्यालय जमलापुर, सिद्धौर बाराबंकी	119 / 3
4	प्राथमिक विद्यालय न्योछना, सिद्धौर बाराबंकी	137 / 3
5	पूर्व माध्यमिक विद्यालय न्योछना, सिद्धौर बाराबंकी	157 / 4
6	पूर्व माध्यमिक विद्यालय गंगवाई पठनान्, सिद्धौर बाराबंकी	109 / 3
7	पूर्व माध्यमिक विद्यालय अन्दका, सिद्धौर बाराबंकी	65 / 2
8	बी0 एम0 बी0 वी0 हाईस्कूल सिद्धौर बाराबंकी (प्राथमिक स्तर)	143 / 3
9	बी0 एम0 बी0 वी0 हाईस्कूल सिद्धौर बाराबंकी (उच्च प्राथमिक स्तर)	103 / 5
10	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कैसरगंज, सिद्धौर बाराबंकी	100 / 7

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

सरकारी विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

तालिका– 5.11 विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था

क्र0 सं0	मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था	विद्यालय का स्वरुप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गाधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	हाँ	7	0	1	8
2	नहीं	0	2	0	2
कुल		7	2	1	10

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.11 के अनुसार स्पष्ट है कि सभी परिषदीय विद्यालय एंव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था है। जबकि प्राइवेट विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था नहीं है कि क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की योजना लागू नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि विश्लेषण से स्पष्ट है कि मध्यान्ह भेजन की व्यवस्था केवल परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका में अध्ययन करने वाले बच्चों को ही प्राप्त है।

तालिका– 5.12 विद्यालय में छात्रवृत्ति की व्यवस्था

क्र0 सं0	छात्रवृत्ति की व्यवस्था	विद्यालय का स्वरुप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गाधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	हाँ	7	0	1	8
2	नहीं	0	2	0	2
कुल		7	2	1	10

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.12 से स्पष्ट होता है कि सभी परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है जब कि प्राइवेट विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

तालिका– 5.13 विद्यालय में निः शुल्क पुस्तकें/स्कूल ड्रेस का मिलना

क्रं सं0	विद्यालय में निःशुल्क पुस्तकें/स्कूल ड्रेस का मलना	विद्यालय का स्वरुप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गाधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	हाँ	7	0	1	8
2	नहीं	0	2	0	2
कुल		7	2	1	10

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.13 से स्पष्ट है कि विद्यालय में मिलने वाले निःशुल्क पुस्तकें/स्कूल ड्रेस का लाभ परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय

बालिका में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मिलता है। परन्तु प्राइवेट विद्यालय में यह व्यवस्था नहीं है।

बालिकाओं से शिक्षा सम्बन्धित जानकारी

आदर्श रूप में विद्यालय का पर्यावरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी का पढ़ने में मन लागा रहे और रूचि पूर्ण विद्याध्ययन करें। इसी उद्देश्य से विद्यालयों को सुविधायें दी जा रही हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। तालिका़ 5.14 में प्रतिदिन विद्यालय जाने वाली बालिकाओं से सम्बधित आंकड़ों को दर्शाया गया है।

तालिका– 5.14 प्रतिदिन विद्यालय जाने वाली बालिकाओं की स्थिति

क्र. स.	प्रतिदिन स्कूल जाने वाली बालिकाये	विद्यालय का स्वरुप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	हाँ	107 (54.3%)	60 (30.5%)	30 (15.2%)	197 (100.0%)
2	नहीं	103 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	103 (100.0%)
3	कुल	210 (70.0%)	60 (20.0%)	30 (10.0%)	300 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.14 से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय में पढने वाली अधिकांशतः बालिकायें प्रतिदिन पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हैं। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली 30.5 प्रतिशत बालिकाएँ प्रतिदिन पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है । कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं पर यह प्रश्न लागू नहीं है क्योंकि ये बालिकायें विद्यालय में बने छात्रा आवास में ही रहकर पढ़ाई करती है इसलिए इस विद्यालय की सभी बालिकाओं को हाँ की श्रेणी में रखा गया है जिनका प्रतिशत 15.2 प्रतिशत है। इस प्रकार तालिका 5.14 के विश्लेषण से ज्ञात होता है

कि अधिकांशतः सभी विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रतिदिन विद्यालय जाने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक है।

तालिका– 5.15 प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाने का मुख्य कारण

क्र. स.	प्रतिदिन विद्यालय न जाने वाले बच्चे का मुख्य कारण	विद्यालय का स्वरुप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	पढाई में रुचि न होना	7 (100.%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
2	छोटे–भाई बहनो की देखभाल	50 (100.0%)	(5.3%)	0 (0.0%)	50 (100.0%)
3	आर्थिक कारण	25	0 (0.0)	0 (0.0)	25 (100.0)
4	अन्य कारण	21 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
5	प्रतिदिन विद्यालय जाने वाली बालिकायें	107 (54.13%)	60 (30.5%)	30 (15.2%)	197 (100.0%)
	कुल	210 (70.0%)	60 (20.0%)	30 (10.0%)	300 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.15 के आंकडों से स्पष्ट होता हे कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकांश बालिकायें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की वजह से प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती हैं। कुछ बालिकायें आर्थिक कारणों की वजह से नहीं जा पाती है। कुछ बालिकाओं अन्य कारणों की वजह से जैसे– (कृषि कार्य करना, पशुओं को चराने ले जाना, घरेलु कार्य मेहमानों का आना, परिवार में स्वास्थ्य समस्या आदि के होने की वजह से प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती हैं) है।अतः तालिका 5.15 से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय की बालिकायें जो प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती है वे बालिकायें सर्वाधिक पारिवारिक, आर्थिक कारणों की वजह से प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती है।

तालिका– 5.16 प्रतिदिन विद्यालय में मध्यान्ह मिलने वाले भोजन को पसन्द करना

क्र. स.	मध्यान्ह मिलने वाले भोजन को पसन्द करना	विद्यालय का स्वरुप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	हाँ	133 (88.7%)	0 (0.0%)	17 (11.3%)	150 (100.0%)
2	नहीं	77 (85.6%)	0 (0.0%)	13 (14.4%)	90 (100.0%)
3	प्राइवेट विद्यालय पर लागू नहीं	0 (0.0%)	60 (100.0%)	0 (0.0%)	60 (100.0%)
4	**कुल**	210 (70.0%)	60 (20.0%)	30 (10.0%)	300 (100.0%)
नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।					

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

तालिका 5.16 से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय की 88.7 प्रतिशत बालिकाओं को विद्यालय में मिल रहें मध्यान्ह भोजन को पसन्द करती है। वहीं 85.6 प्रतिशत बालिकायें विद्यालय में मिलने वाला मध्यान्ह भोजन को पसन्द नहीं करती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 11.3 प्रतिशत बालिकाओं की विद्यालय में मिलने वाले मघ्यान्ह भोजन को पसन्द करती है तथा 14.4 प्रतिशत बालिकायें मध्यान्ह भोजन को पसन्द नहीं करती है। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं पर यह प्रश्न लागू नहीं है। अतः उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकांश बालिकाओं को मध्यान्ह भोजन पसन्द आता है इसी प्रकार कस्तूराबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकायें भी अधिक संख्या में मध्यान्ह भोजन को पसन्द करती है। विद्यालय में मिलने वाले मध्यान्ह भोजन को न पसन्द करने के कारणों के सन्दर्भ में परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं से जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हे भोजन पसन्द भी आता है तब कुछ बालिकाओं ने कहा कि विद्यालय में मिलने वाले मध्यान्ह भोजन को वो पसन्द नही करते है पर फिर भी वे भोजन को खाती है।

बालिकाओं के पढ़ने की स्थिति

शोध अध्ययन के अर्न्तगत आने वाली 300 बालिकाओं का हिन्दी विषय एवं अंग्रेजी विषय की पाठ्य पुस्तकें को पढ़वाकर सम्बन्धित ज्ञान को अवलोकन एवं व्यवहारिक क्रिया द्वारा जानने का प्रयास किया गया है। इसके अर्न्तगत जिन बालिकाओं ने धारा प्रभाव अथवा बिना रूके अपने हिन्दी विषय एवं अंग्रजी विषय की पाठ्य पुस्तकें को पढ़ा उन्हें (हाँ) की श्रेणी में रखा गया और कम अथवा सही से न पढ़ पाने वाली बालिकाओं को (नहीं) की श्रेणी में रखा गया है।

तालिका– 5.17 बालिकाओं द्वारा हिन्दी विषय को पढ़ने की स्थिति

क्र0 सं0	विद्यालय का स्वरूप	हाँ	नहीं	कुल
1.	परिषदीय विद्यालय	88 (41.9%)	122 (58.1%)	210 (100.0%)
2.	प्राइवेट विद्यालय	49 (81.7%)	11 (18.3%)	60 (100.0%)
3.	कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय	24 (80.0%)	6 (20.0%)	30 (100.0%)
कुल		161 (53.7%)	139 (46.3%)	300 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 5.17 से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय की कुल बालिकाओं में से 41.9 प्रतिशत बालिकायें हिन्दी विषय को सही से पढ़ लेती हैं। परन्तु 58.1 प्रतिशत बालिकायें ऐसी है जो हिन्दी विषय को अच्छे से नहीं पढ़ पाती हैं प्राइवेट विद्यालय की कुल बालिकाओं में से 81.7 प्रतिशत बालिकायें हिन्दी विषय को पढ़ लेती है तथा 18.3 प्रतिशत बालिकायें हिन्दी विषय को नहीं पढ़ पाती है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कुल बालिकाओं में से 80.0 प्रतिशत बालिकायें हिन्दी विषय को पढ़ लेती हे वहीं 20.0 प्रतिशत ऐसी भी है जो हिन्दी विषय को नहीं पढ़ पाती हैं। अतः तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की अपेक्षा

परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं की हिन्दी विषय पढ़ने की स्थिति खराब हैं। अतः यह भी कहा जा सकता है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तुलना में परिषदीय विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता खराब हैं।

तालिका– 5.18 बालिकाओं द्वारा अंग्रेजी विषय को पढ़ने की स्थिति

क्र0 सं0	विद्यालय का स्वरूप	हाँ	नहीं	कुल
1.	परिषदीय विद्यालय	63 (30.0%)	147 (70.0%)	210 (100.0%)
2.	प्राइवेट विद्यालय	57 (95.0%)	3 (5.0%)	60 (100.0%)
3.	कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय	18 (60.0%)	12 (40.0%)	30 (100.0%)
कुल		138 (46.0%)	162 (54.0%)	300 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–2016)

प्रस्तुत तालिका 5.18 में बालिकाओं से अंग्रजी विषय को पढ़ने की स्थिति का विवरण दिया गया है। तालिका के आंकडों से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय की कुल बालिकाओं में से 30.0 प्रतिशत बालिकायें अंग्रजी विषय को पढ़ लेती है तथा 70.0 प्रतिशत बालिकायें अंग्रजी विषय को नहीं पढ़ नहीं पाती है। प्राइवेट बालिकायें अंग्रेजी विषय को पढ़ लेती हे वहीं 5.0 प्रतिशत बालिकायें नहीं पढ़ पाती है इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 60.0 प्रतिशत अंग्रेजी विषय पढ़ लेती है तथा 40.0 प्रतिशत बालिकायें अंग्रेजी विषय को नहीं पढ़ पाती हैं। अतः तालिका से स्पष्ट है कि अंग्रेजी विषय न पढ़ पाने वाली सर्वाधिक बालिकायें की संख्या परिषदीय विद्यालय से सम्बन्धित हैं। अतः प्राइवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तुलना में परिषदीय विद्यालय की बालिकायें अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक कमजोर है। अर्थात अंग्रेजी विषय की स्थिति अच्छी नहीं हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्याय में विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध अध्ययन के अर्न्तगत आने वाले दसों विद्यालयों में चाहे परिषदीय विद्यालय हों या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हो सभी विद्यालयों के भवन पक्के बने हुए हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था नहीं है। तथा अवलोकन में यह भी पाया गया कि कक्षा 1–5 तक परिषदीय विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था अलग अलग कमरों की व्यवस्था न होने पर एक ही कक्षा में अन्य कक्षा के विद्यार्थी को एक साथ बैठकर अध्यापक बच्चों को पढाते है। तथा कुछ विद्यालय में अवलोकन के माध्यम से यह पाया गया कि एक ही कक्षा में आधे बच्चे एक तरफ मुँह करके पढ़ाई कर रहे थे तथा आधे बच्चे को दूसरी तरफ मुंह करके बच्चों को पढाया जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योकि उन विद्यालय में अध्यापक कम थे। जो सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। प्राईवेट विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु कमरों की व्यवस्था पाई गई। इसी प्रकार कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु कमरों की व्यवस्था पाई गई। कुल सात परिषदीय विद्यालयों में से किसी भी परिषदीय विद्यालय में बिजली की व्यवस्था नहीं हैं। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय में बिजली की व्यवस्था हैं। अतः बिजली व्यवस्था के सन्र्दभ में परिषदीय विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई। कुल 7 परिषदीय विद्यालयों में से 6 विद्यालयों में पानी पीने की व्यवस्था थी तथा 1 विद्यालय मे अध्ययन करने वाले बच्चे पानी के लिए गांव में बने इण्डियामार्क नल का प्रयोग करते है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था हैं। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शौचालय व्यवस्था अच्छी थी तथा शौचालय प्रयोग करने लायक हैं। वहीं कुल 7 परिषदीय विद्यालयों में केवल 1 विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था अच्छी है तथा बच्चे शौचालय का प्रयोग भी करते हैं। परन्तु 6 परिषदीय विद्यालय ऐसे पाये गये जहाँ विद्यालय में शौचालय बने

होने के बावजूद विद्यालय में बच्चें प्रयोग नहीं करते है। उसकी वजह थी कि शौचालय साफ सुथरा नहीं था तथा कुछ की स्थिति अच्छी नही थी अर्थात जर्जर अवस्था में पाये गये। इन विद्यालयों में महिला अध्यापकों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें भी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। कुल 7 परिषदीय विद्यालयों में से 5 विद्यालय में चहार दिवारी बनी थी तथा 2 विद्यालय ऐसे थे जिसमें चहार दिवारी की व्यवस्था नहीं है परन्तु वहीं प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चहार दिवारी की व्यवस्था है।

अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में बच्चे के लिए खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था है। वहीं प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था नहीं है। तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था है। परिषदीय विद्यालय एवं प्राईवेट विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था सभी परिषदीय विद्यालय में नहीं है तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी खेल सामग्री की व्यवस्था पाई गई। परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय या फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका हो सभी विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में पठन पाठन हेतु श्यामपटट चाकडेस्टर की व्यवस्था सभी विद्यालय चाहे परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्य़ालय सभी में व्यवस्था है।

सभी परिषदीय विद्यालय एंव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था है। जबकि प्राइवेट विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था नही है कि क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की योजना लागू नहीं हैं। सभी परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है जब कि प्राइवेट विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में मिलने वाले निःशुल्क पुस्तकें/स्कूल ड्रेस का लाभ परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मिलता है। परन्तु प्राइवेट विद्यालय में यह व्यवस्था नहीं पाई गई है।

विद्यालयानुसार देखने से पता चलता है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रतिदिन विद्यालय जाने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक है। परिषदीय विद्यालय की बालिकायें जो प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती है उन बालिकाओं में सर्वाधिक बालिकायें अपने छोटे–भाई बहनों की देखभाल करने की वजह से प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती हैं।

विद्यालय में विषय के अतिरिक्त अन्य कुछ सिखायें जाने के सन्दर्भ में पाया गया परिषदीय विद्यालय में पीटी के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता है। जिससे अधिकांश बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं की हिन्दी विषय पढ़ने की स्थिति खराब पाई गई। अंग्रेजी विषय न पढ़ पाने वाली सर्वाधिक बालिकायें परिषदीय विद्यालय से सम्बन्धित हैं। अतः प्राइवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तुलना में परिषदीय विद्यालय की बालिकायें अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक कमजोर पाई गई। सभी परिषदीय विद्यालय में से प्राथमिक स्तर अणिकांश अध्यापक प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को साथ बैठाकर छात्रों को पढ़ाते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग–अलग पढ़ाते हैं। तथा प्राइवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग–अलग कमरों में पढ़ाया जाता है। परिषदीय विद्यालय में अधिकांश अध्यापक बिना लेशन प्लान बनाये हुए ही बच्चों को पढ़ाते हुए पाये गये हैं। वहीं प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चों को लेशन प्लान बनाकर पढ़ाते हैं। परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हो सभी विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र छापकर ही बच्चों की लिखित परीक्षा लिये जाने की व्यवस्था है। सभी परिषदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चे टाटपट्टी एवं चटाई पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। प्राईवेट विद्यालय में सभी बच्चे मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी सभी बालिकायें मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करती हैं।

परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों की तुलना में प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के अध्यापकों की शिक्षा का स्तर उच्च है। परिषदीय विद्यालय में सर्वाधिक बी0 टी0 सी0 शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक पाये गये। प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक सर्वाधिक बिना किसी शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त किये विद्यालय में पढ़ा रहें हैं तथा बी0 एड0/बी0 पी0 एड0 प्राप्त शैक्षिक प्रशिक्षण अध्यापक सर्वाधिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाते है। परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाले सर्वाधिक अध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त है। परिषदीय विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यपकों की संख्या 25 है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या 8 तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 7 पाई गई। अधिकांश विद्यालय छात्र–शिक्षक अनुपात को पूरा नहीं करते है। अतः तालिका विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् भी परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे को बेसिक सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं।

अध्याय– 6

शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति पर इसका प्रभाव

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् शिक्षा व्यवस्था में बहुत से सुधार किया गया है। यथा विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं, अध्यापकों की संख्या मे वृद्धि एवं शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों की भर्ती आदि। इस अधिनियम में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है, जिससे ज्ञान, कौशल और आदर्श मूल्यों को सिखा करके उन्हें भारत का प्रबुद्ध नागरिक बनाया जा सके। उपर्युक्त को प्रथमिकता के आधार पर लागू किया गया है किन्तु अभी भी बालिका शिक्षा में संतोष जनक परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही साथ धरातल स्तर पर विद्यालयों में व्यवहारिक समस्याओं एवं अव्यवस्था को देखा गया है। इन परिस्थितियों में सम्पूर्ण बालिका शिक्षा एवं शिक्षा की गुणवत्ता प्राप्त करना अभी भी एक चूनौतीपूर्ण है।

प्रस्तुत अध्याय में बालिकाओं के नामांकन, स्कूल छोड़ने की स्थिति, अध्यापकों का आर.टी.ई. के फलस्वरूप विद्यालय में आये बदलाव के बारे में अभिमत जानने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के सन्दर्भ में अभिभावकों, द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तथ्यों का विशलेषण किया गया है।

सरकार का यह प्रयास रहा है कि 6–18 वर्ष तक के सभी बच्चे विद्यालय पहुँचे। नई शिक्षा नीति (1986) संशोधित (1992) में एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अन्तर्गत यह प्रयास जारी है कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक रुप से पिछड़े वर्गों (अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यक) के बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाया जा सके। इसमें सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रमों जैसे सर्व–शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है जिससे कि नामांकन के बाद बच्चे विद्यालय में रुक सकें पढ़ सकें। **एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांन्स** के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010–11 में प्रत्येक 100 बालक पर प्राइमरी में 92 एवं उच्च प्राइमरी में 89 बालिकाओं की स्थिति थी। यह स्थिति वर्ष 2007–08 के लगभग बराबर ही हैं। **(एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांन्स 2013, पेज–27, पैरा–19)** 2016 के इसी रिपोर्ट में साक्षरता के मामले में जेन्डर गैप 19.6 **(एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांन्स 2016, पेज–ए–1, पैरा–4)**

प्रतिशत हैं। वर्ष 2016 की रिपोर्ट में प्राइमरी स्तर पर 2011–12 में बालिकाओं का विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत 5.34, 2012–13 में 4.66 एवं 2013–14 में 4.14% है। **(एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांन्स 2016, पेज–ए–3, पैरा–25)** इसी प्रकार उच्च प्राथमिक में बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत 2011–12 में 3.20%, 2012–13 में 4.01% तथा 2013–14 में 4.49% रहा है। **(एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांन्स 2016, पेज–36, पैरा–25)** रहा है। इन तथ्यों पर गौर किया जाये तो बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने में कमी अवश्य दिखाई दे रही है किन्तु विद्यालय छोड़ने का सिलसिला जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्षेत्र के चयनित विद्यालयों में दो सत्रों के नामांकन की स्थिति एवं स्कूल छाड़ने वाले विद्यार्थियों की स्थिति को जानने का प्रयास किया।

तालिका 6.1 लिंग आधार पर विद्यार्थियों की नामांकन संख्या

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय का स्वरूप	कुल विद्यार्थियों की संख्या सत्र (2014–15)			कुल विद्यार्थियों की संख्या सत्र (2015–16)		
			बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
1	प्राथमिक	परिषदी विद्यालय	238	283	521	228	308	536
		प्राइवेट विद्यालय	87	54	141	86	57	143
		योग	**325**	**337**	**662**	**314**	**365**	**679**
2	उच्च प्राथमिक	परिषदी विद्यालय	145	183	328	159	172	331
		प्राइवेट विद्यालय	62	43	105	60	43	103
		कस्तूरबा विद्यालय	00	71	71	00	100	100
	योग		**532**	**634**	**1166**	**533**	**590**	**1213**

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.1 के अतर्गत सिद्धौर ब्लाक से कुल 10 विद्यालयों में सत्र 2014–15 एवं सत्र 2015–16 में नामांकन की स्थिति दर्शायी गयी है। तुलना करने से स्पष्ट होता है कि कुल नामांकन में वृद्धि दर्ज की गयी है। सत्र 2014 में 1166 थी, वहीं सत्र 2015–16 में नामांकन में 1213 हो गयी। प्राथमिक स्तर पर सरकारी एवं प्राईवेट विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राईवेट विद्यालय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कस्तूरबा विद्यालय में भी नामांकन में वृद्धि हुई है। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर ही सरकारी विद्यालय में कई बालिकाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी हैं।

तालिका– 6.2 कक्षावार विद्यार्थियों की नामांकन संख्या

	कक्षा	कुल विद्यार्थी संख्या सत्र 2014–15			प्रतिशत		कुल विद्यार्थी संख्या सत्र 2015–16			प्रतिशत	
		बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं
	1	80	83	163	49.07	50.92	64	69	133	48.12	51.87
	2	70	68	138	50.72	49.27	77	64	141	54.60	45.40
	3	56	68	124	45.16	54.83	61	68	129	47.29	52.71
	4	55	57	112	49.10	50.89	51	70	121	42.15	57.85
	5	64	61	125	51.2	48.8	61	94	155	39.40	60.64
	6	74	101	175	42.28	57.71	72	88	160	45.00	55.00
	7	70	89	159	44.02	55.97	74	123	197	37.56	62.43
	8	63	107	170	37.05	62.94	73	104	177	37.05	52.79
कुल		532	634	1166	45.62	54.37	543	687	1213	44.87	56.77

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.2 से स्पष्ट है कि बालक एवं बालिकाओं के नामांकन कक्षावार उनकी संख्या एवं उनका प्रतिशत दर्शाया गया है। दोनों सत्रों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक कक्षाओं के नामांकन के योग का बालिकाओं का नामांकन प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 में 50.92% से बढ़कर 51.87% हो गया है एवं इसी प्रकार कक्षा 4 में 50.89 से बढ़कर 57.85% हो गया हैं। कक्षा 5 में भी 48.8 से बढ़कर 60.13% हो गया है। जबकि कक्षा 2 में 49.27 से घटकर 45.40% हुआ है एवं कक्षा 3 में यह 54.83% से घटकर 52.71% हुआ है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 7 में बालिकाओं का नामांकन 55.97 से बढ़कर 62.24% हुआ है जबकि कक्षा 6 एवं कक्षा 8 में कमी आयी है। कक्षा 6 में यह 57.71 से घटकर 55% हो गया है एवं कक्षा 8 में 62.94 से घटकर 58.75 हुआ है। तथ्यों के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में कुल नामांकन के आधार पर बालकों के अनुपात में बालिकाओं का नामांकन कक्षा 1, कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में बृद्धि दर्शाता है एवं कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में बालकों के अनुपात में बालिकाओं के नामांकन में कमी आयी है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर केवल कक्षा 7 में बढ़ोत्तरी है जबकि कक्षा 6 एवं कक्षा 8 में नामांकन में कमी आयी है।

तालिका– 6.3 विद्यालय स्वरूप अनुसार विद्यालय में विद्यार्थियों की नामांकन संख्या

क्र0 सं0	लिंग	कुल विद्यार्थी संख्या सत्र 2014–15			योग	कुल विद्यार्थी संख्या सत्र 2015–16			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राईवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय		सरकारी परिषदीय विद्यालय	निजी प्राईवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1.	बालक	383 (71.99%)	149 (28.01%)	0 (0.0%)	532 (100%)	387 (72.60%)	146 (27.40%)	0 (0.0%)	533 (100%)
2.	बालिकाएं	466 (73.50%)	97 (15.30%)	71 (11.20%)	634 (100%)	480 (70.58%)	100 (14.70%)	100 (14.70%)	680 (100%)
कुल		849 (72.81%)	246 (21.10%)	71 (6.09%)	1166 (100%)	867 (71.47%)	246 (20.28%)	100 (8.24%)	1213 (100%)

नोट : कोष्ठक में दिये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.3 में विद्यालय स्वरूप के आधार पर दोनों सत्रों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय के बालकों के नामांकन में 71.99 प्रतिशत से 72.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथा प्राईवेट विद्यालय में बालकों के नामांकन में कमी हुई है जो 28.01 प्रतिशत से 27. 40 प्रतिशत है। इसी प्रकार बालिकाओं के नामांकन की संख्या को देखें तो परिषदीय विद्यालय में 73.50 प्रतिशत से 70.58

प्रतिशत है। कुल संख्या के योग के आधार पर कहा जा सकता है कि बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई हैं। प्राईवेट विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन की संख्या को देखें तो 15.30 प्रतिशत से 14.52 प्रतिशत की कमी हुई है। जबकि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 11.20 प्रतिशत से बढकर 14.70 प्रतिशत हुआ है। अतः तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता हैं कि बालकों के नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि परिषदीय विद्यालय में हुई हैं। जबकि बालिकाओं का परिषदीय विद्यालय, प्राईवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सभी विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि हुई हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं के नामांकन में अधिक वृद्धि हुई हैं।

तालिका– 6.4 सामाजिक श्रेणी आधार पर विद्यार्थियों की नामांकन संख्या

विद्यार्थियों की सामाजिक श्रेणी	कुल विद्यार्थी संख्या सत्र (2014 – 15)			योग	कुल विद्यार्थी संख्या सत्र (2015 – 16)			योग
	परिषदीय विद्यालय	प्राईवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय		परिषदीय विद्यालय	प्राईवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	
सामान्य वर्ग	7	76	5	**88**	17	71	7	**95**
अन्य पिछड़ा वर्ग	190	72	18	**280**	226	73	17	**316**
अनुसूचित जाति	472	53	46	**571**	477	59	48	**584**
अल्प संख्यक वर्ग	180	45	2	**227**	147	43	28	**218**
कुल	**849**	**246**	**71**	**1166**	**867**	**246**	**100**	**1213**

स्रोतः कार्य क्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.4 में विद्यालयों के प्रकार के अनुसार विभिन्न सामाजिक श्रेणियों का नामांकन दोनों सत्रों (2014–15 एवं 2015–16) की तुलना की गयी है। तथ्यों से स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में सरकारी विद्यालय में 7 से 17 नामांकन एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 5 से 7 नामांकन हुआ है जो नामांकन में वृद्धि को दर्शाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सरकारी विद्यालय में नामांकन 190 से बढ़कर 226 हैं, निजी विद्यालय में 72 से बढ़कर 73 हैं जबकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 18 से घटकर 17 हुआ है। अनुसूचित जाति की श्रेणी में सरकारी

विद्यालयों में नामांकन 472 से बढ़कर 477 हुआ है, निजी विद्यालय में यह 53 से बढ़कर 59 हुआ हैं एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 46 से बढ़कर 48 हुआ है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में केवल कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 2 से बढ़कर 28 नामांकन दर्ज हुआ है जबकि सरकारी विद्यालयों में नामांकन में कमी आयी है जो 180 से घटकर 147 हुई है प्राईवेट विद्यालय में यह कमी 45 घटकर 43 हुई है। अतः तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता हैं कि सामान्य वर्ग की श्रेणी में सरकारी एवं कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है एवं प्राईवेट विद्यालय में नामांकन में कमी आई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कमी आयी है जो 18 से 17 हुई हैं एवं सरकारी तथा निजी विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति श्रेणी में सरकारी, प्राईवेट एवं कस्तूरबा विद्यालयों में बढ़ोत्तरी हुई है जबकि अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में मात्र कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन में वृद्धि हुई है एवं सरकारी तथा प्राईवेट विद्यालयों में नामांकन में कमी आयी है।

तालिका– 6.5 कक्षावार विद्यार्थियों की नामांकन एवं ड्राप आउट संख्या

क्र0 सं0	कक्षा	कुल विद्यार्थी संख्या सत्र (2014–15)	कुल विद्यार्थी संख्या सत्र (2015–16)	ड्राप आउट संख्या
1	1	163	133	30
2	2	138	141	–
3	3	124	129	–
4	4	112	121	–
5	5	125	155	–
6	6	175	160	15
7	7	159	197	–
8	8	170	177	–
योग		**1166**	**1213**	–

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.5 में दो सत्रों में हुए नामांकन एवं ड्राप आउट को कक्षावार दर्शाया गया है। कक्षा 1 एवं कक्षा 6 को छोड़ कर प्रत्येक कक्षाओं में वर्ष 2015–16 में वृद्धि हुई हैं जबकि कक्षा 1 में 30 विद्यार्थियों की संख्या घटी है एवं कक्षा 6 में 15 विद्यार्थियों का पिछले सत्र 2014–15 की तुलना में कम नामांकन है।

तालिका– 6.6 सामाजिक श्रेणी आधार पर विद्यार्थियों की नामांकन एवं ड्राप आउट संख्या

विद्यार्थियों की सामाजिक श्रेणी	कुल विद्यार्थी संख्या सत्र 2014–15	कुल विद्यार्थी संख्या सत्र 2015–16	ड्राप आउट संख्या
सामान्य वर्ग	88	95	–
अन्य पिछड़ा वर्ग	280	316	-
अनुसूचित जाति	571	584	–
अल्प संख्यक वर्ग	227	218	9
योग	1166	1213	–

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.6 में सामाजिक श्रेणी के अन्तर्गत दोनों सत्रों के नामांकन को एवं स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट हेाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़ कर अन्य सभी सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है। जबकि अल्पसंख्यक वर्ग में पिछले सत्र 2014–15 के मुकाबले वर्ष 2015–16 में 9 विद्यार्थियों में कमी आई हैं। अतः कह सकते हैं कि वर्ष 2015–16 में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में कमी हुई है।

तालिका– 6.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बालिका नामांकन स्थिति में सुधार के सन्दर्भ में अध्यापक का मत

क्र. सं.	अध्यापक के अनुसार बालिका नामांकन स्थिति	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यायलय	
1	हाँ	21 (84.0%)	3 (100.0%)	7 (100.0%)	31 (88.6%)
2	नहीं	4 (16.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (11.4%)
कुल		25 (100.0%)	3 (100.0%)	7 (100.0%)	35 (100.0%)
नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।					

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.7 से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय के 84 प्रतिशत अध्यापक का मानना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के आद नामांकन स्थिति में सुधार हुआ है। तथा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों का मानना है कि नामांकन स्थिति में सुधार हुआ है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के भी सभी अध्यापकों का भी मानना है कि उनके विद्यालय में नामाकंन स्थिति में सुधार हुआ है। अतः तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षा का अधिकर अधिनियम लागू होने के बाद सर्वाधिक नामाकंन स्थिति में सुधार हुआ है।

तालिका– 6.8 स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार के सन्दर्भ में अध्यापकों का मत

क्र. सं.	स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	हाँ	18 (72.0%)	3 (100.0%)	7 (100.0%)	28 (80.0%)
2	नहीं	7 (28.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7 (20.0%)
कुल		25 (100.0%)	3 (100.0%)	7 (100.0%)	35 (100.0%)
नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।					

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.8 के आंकडों से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ाने वाले 72 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं 28 प्रतिशत अध्यापक का मानना है कि स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार अपेक्षा नुसार नहीं हुआ है। प्राइवेट विद्यालय के सभी अधापक का मानना है कि बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार हो रहा है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के सभी अध्यापकों का भी मानना हे कि बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार हुआ है। अतः स्पष्ट है कि सभी विद्यालयों में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार हुआ है।

बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार होने की वजह जब अध्यापकों से पूछा गया तो अधिकांश अध्यापकों ने बताया कि बच्चों को निःशुल्क मिलने वाली सरकारी सुविधाएं और सामाजिक, आर्थिक कारणों की बजह से परिषदीय विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन अधिक है।

तालिका– 6.9 बालिकाओं की शैक्षिक अपलब्धि में सन्तोषजनक सुधार के सन्दर्भ में अध्यापकों का मत

क्र. सं.	स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	हाँ	4 (16.0%)	3 (100.0%)	7 (100.0%)	14 (40.0%)
2	नहीं	21 (84.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	21 (60.0%)
कुल		25 (100.0%)	3 (100.0%)	7 (100.0%)	35 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.9 के अनुसार परिषदीय विद्यालय में पढने वाली 84 प्रतिशत बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि सन्तोषजनक नहीं है। प्राइवेट विद्यालय में बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि अधिक अच्छी है तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि भी सन्तोषजनक है। अतः तालिका से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओ की शैक्षणिक उपलब्धि अच्छी नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट है प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति निम्न दर्जे की है।

तालिका– 6.10 बालिका शिक्षा में सुधार लाने हेतु सुझाव के सन्दर्भ में अध्यापक का मत

क्र. सं.	बलिका शिक्षा में सुधार लाने हेतु सुझाव	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय	
1	बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावक जागरूक हो	5 (62.5%)	2 (25.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
2	बालिका शिक्षा के महत्व को अभिभावक समझे	9 (75.0%)	1 (8.3%)	2 (16.7%)	12 (100.0%)
3	लड़कियों के लिए अलग से स्कीम बनाई जाए	2 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	2 (100.0%)
4	रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था हो	1 (25.0%)	0 (0.0%)	3 (75.0%)	4 (100.0%)
5	बालिकायें शिक्षा में रूचि लें	8 (88.9%)	0 (0.0%)	1 (11.1%)	9 (100.0%)
कुल		25 (71.4%)	3 (8.6%)	7 (20.0%)	35 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.10 के अनुसार 6.25 प्रतिशत परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों का कहना है कि बालिका शिक्षा में सुधार लाने के लिए अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूता लाना होगा। 75.0 प्रतिशत परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों का मानना है अभिभावक बालिका शिक्षा के महत्व को समझें तभी बालिका शिक्षा में सुधार हो सकता है। अधिकांश अध्यापकों का कहना है कि यदि बालिकओं के लिए सरकार द्वारा अलग से स्कीम बनाई जाए जिसका लाभ बालिकाओं को मिले जिससे की शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। 25.0 प्रतिशत अध्यापकों का कहना है कि रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बालिकायें आगे चलकर

आत्मनिर्भर बनने के योग्य हो सके और इससे बालिका शिक्षा में भी सुधार होगा। 88.9 प्रतिशत अध्यापक का यह सुझाव है कि बालिकायें शिक्षा में रूचि लें तो बालिका शिक्षा में सुधार होगा। प्राइवेट विद्यालय के 25 प्रतिशत अध्यापक का मानना है कि अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक हो तो बालिका शिक्षा में सुधार होगा। 8.3 प्रतिशत अध्यापक का मानना है कि बालिका शिक्षा में सुधार लाने के लिए अभिभावकों को बालिका शिक्षा के महत्व को समझना होगा। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के 12.5 प्रतिशत अध्यापक का कहना है। बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावक जागरूक हों। 16.7 प्रतिशत अध्यापकों का कहना है अभिभावक बालिका शिक्षा के महत्व को समझे। 75.0 प्रतिशत अध्यापक का मानना है कि रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तथा 11. 1 प्रतिशत अध्यापक का मानना है कि बालिकायें शिक्षा में रूचि लें। अतः तालिका से स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश अध्यापकों का मानना है कि यदि हमें बालिका शिक्षा में सुधार लाना है तो उसके लिए अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति रुचि लेनी चाहिए तथा उनके महत्व को समझना चाहिए। क्योंकि जब तक अभिभावक अपनी बालिकाओं की शिक्षा में रुचि नहीं लेगें या शिक्षा के प्रति जागगरुक नहीं होगें तब तक बालिका शिक्षा में सुधार नहीं लाया जा सकता है। अतः अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता लानी होगी तभी बालिका शिक्षा का सपना पूर्ण सकार होगा।

तालिका– 6.11 प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के उपाय के सन्दर्भ में अध्यापक का मत

क्र. सं.	प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के सन्दर्भ में अध्यापकों का मत	विद्यालय का स्वरूप			कुल
		परिषदीय विद्यालय	प्राइवेट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यायलय	
1	शिक्षा के प्रति अभिभावक रूचि लें	5 (55.6%)	2 (22.2%)	2 (22.2%)	9 (100.0%)
2	मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाकर	4 (66.7%)	0 (0.0%)	2 (33.3%)	6 (100.0)%
3	अभिभावक और अध्यापक के सहयोग द्वारा	2 (50.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	4 (100.0%)
4	विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती हो	7 (87.5%)	0 (0.0%)	1 (12.5%)	8 (100.0%)
5	समय–समय पर बच्चों का मूल्यांकन हो	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
6	बच्चों को फेल न करने की प्रक्रिया को हटाकर	3 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	3 (100.0%)
7	विद्यालय में पढ़ाई का अच्छा वातावरण हो	1 (50.0%)	0 (0.0%	1 (50.0%)	2 (100.0%)
8.	समुदायिक सहयोग से	1 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)
कुल		25 (71.4%)	3 (8.6%)	7 (20.0%)	35 (100.0%)

नोट : कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.11 के आँकडों से स्पष्ट होता है कि परिषदीय विद्यालय के 55.6 प्रतिशत अध्यापकों के अनुसार अभिभावक शिक्षा में रूचि लें तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सकता है। 66.7 प्रतिशत अध्यापकों का कहना है कि विद्यालयों में बेसिक सुविधाओं को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा को सुधारा जा सकता है। 50.0 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि अभिभावक एवं अध्यापकों के सहयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सुधारा जा सकता है। 87.5 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती की जाए ताकि शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। अधिकांश अध्यापकों का मानना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत बच्चों को फेल न किये जाने की प्रक्रिया को हटाकर प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सकता है। 50.0 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि विद्यालय में पढ़ाई का अच्छा वातावरण होना चाहिये तथा कुछ अध्यापक का यह भी सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सामुदायिक सहयोग होना चाहिये। प्राइवेट विद्यालय के 22.2 प्रतिशत अध्यापक का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए अभिभावक शिक्षा में रूचि लें। 25.0 प्रतिशत अध्यापक के अनुसार अभिभावक और अध्यापक के सहयोग द्वारा शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा सकता है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के 22.2 प्रतिशत अध्यापकों का कहना है कि अभिभावक शिक्षा में रूचि लें प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। 33.3 प्रतिशत अध्यापक का मानना है कि विद्यालय में बेसिक सुविधाओं को बढ़ाकर शिक्षा स्तर को सुधारा जा सकता है। 25. 0 प्रतिशत अध्यापक का कहना है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार लाने के लिए अभिभावक और अध्यापक का सहयोग हो। 50.0 प्रतिशत अध्यापकों का मानना है कि प्राथमिक शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए विद्यालय में पढ़ाई का वातावरण अच्छा होना चाहिये। अतः तालिका के विश्लेषण से स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती की जाए ताकि बच्चों की शिक्षा में सुधार लाया जा सके। प्राइवेट विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का मानना है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए अभिभावक को अपने बच्चों की शिक्षा में रूचि लेनी चाहिये। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका

विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का मानना है। अभिभावक शिक्षा में रूचि लें। तथा विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाए तो प्राथमिक शिक्षा स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

अभिभावकों का बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

तालिका– 6.12 अभिवावक का अपनी लड़की को शिक्षित करने का उद्देश्य

क्र० सं०	शिक्षा का उद्देश्य	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पढ़ाई के महत्व को समझते हैं	93	31.0
2	विवाह आसानी से होना	128	42.7
3	आत्मनिर्भर बनाने के लिए	44	14.7
4	उपरोक्त सभी	35	11.6
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.12 के अनुसार 31.0 प्रतिशत अभिभावक पढ़ाई के महत्व को समझते हैं, जिसके कारण वे अपनी लड़की को पढ़ाने चाहते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि ऐसे अभिभावक का कहना था कि वह अशिक्षित है जिसकी वजह से उन्हे कई कठिनाईयाँ का सामना करना पड़ता है तथा दूसरों पर कभी–2 निर्भर रहना पड़ता है जिसकी पीड़ा हम समझते हैं। इस लिए हम अपनो बच्चों को पढ़ना चाहते हैं। ताकि वे हमारे हमारी तरह अशिक्षित न रहे और परेशानियों से बच सकें। 42.7 प्रतिशत अभिभावक के अनुसार वे अपनी लड़कियों को वो इसलिए पढ़ाते हैं। ताकि उनका विवाह आसानी से हो सके। 14.7% अभिभावकों का मानना है कि उनकी लड़कियाँ पढ़ लिख लेगी तो आत्म निर्भर बन जायेंगी जो उसके भविष्य के लिए ठीक होगा। तथा 11.6 प्रतिशत ऐसे अभिभावक पाये गये जो उपरोक्त सभी महत्व को समझते हैं और सभी उद्देश्यों के लिए पढ़ाना चाहते हैं। अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है। कि ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति सोच

में परिवर्तन हो रहा है तथा अभिभावक पढ़ाई के महत्व को समझते हैं। परन्तु सर्वेक्षण आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में पाये जो केवल अपनी लड़कियों को इसलिए शिक्षित करना चाहते हैं जिससे कि उनका विवाह आसानी से हो सके। जो यह संकेत देती है आज भी अभिभावक की नजर मे सबसे पहले लड़कियों के लिए शादी ही प्राथमिकता में है बाकी सब बाद में। यहाँ शिक्षा के उद्देश्य को लेकर अभिभावकों का दृष्टिकोण अभी भी संकुचित बना हुआ है।

तालिका– 6.13 अपने लड़के/लड़की को शिक्षा में समान अवसर देना

क्र० सं०	जेण्डर के आधार पर समानता	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	104	34.7
2	नहीं	196	65.3
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.13 से ज्ञात होता है। कि 34.7 प्रतिशत ऐसे अभिभावक पाये गए जो कि अपने लड़का/लड़कियां में शिक्षा में समान अवसर देते है अर्थात बराबरी का दर्जा देते है। तथा 65.3 प्रतिशत अभिभावक अपने लड़का/लड़की को शिक्षा में समान अवसर नहीं देते हैं। अतः तालिका से स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि अभिभावकों में अभी भी जेण्डर भेद की भावना बनी हुई है।

तालिका– 6.14 लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के सन्दर्भ में मत

क्र० सं०	प्राथमिक शिक्षा दिलाने के सन्दर्भ में मत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	168	56.0
2	नहीं	132	44.0
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.14 से ज्ञात होता है कि 56.0 प्रतिशत अभिभावक लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना पर्याप्त मानते हैं। तथा 44.0 प्रतिशत अभिभावक का कहना है कि नहीं लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा के आगे भी पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकतम अभिभावक अपनी बालिकाओं को प्रथमिक स्तर तक शिक्षा दिलाना चाहतें हैं।

तालिका– 6.15 लड़की की इच्छानुसार पढ़ाने के सन्दर्भ में अभिभावक का मत

क्र० सं०	लड़की की इच्छानुसार पढ़ाने के सन्दर्भ में अभिभावक का मत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	120	40.0
2	नहीं	180	60.3
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.15 से स्पष्ट है कि 40.0 प्रतिशत अभिभावक के अनुसार वे अपनी लड़कियों को उनकी इच्छानुसार पढ़ायेगें। तथा 60.3 प्रतिशत अभिभावकों का कहना है किवे अपनी लड़कियों को उनकी इच्छानुसार नही पढ़ा पाएगें। अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में है जो कि मानते है कि अपनी लड़की को उनकी ईच्छानुसार पढ़ाने में असमर्थ है। क्षेत्र में तथ्य संकलन के समय स्पष्ट रूप से अलोकन से पता चला कि उनकी असमर्थता का सबसे प्रमुख कारण गरीबी है जिसकी वजह से असमर्थता जताते हैं।

अभिभावकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरुकता

तालिका– 6.16 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी

क्र० सं०	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	94	31.3
2	नहीं	206	68.7
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.16 के आँकड़ों से स्पष्ट है कि 31.3 प्रतिशत अभिभावक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जानकारी हैं। तथा 68.7 प्रतिशत अभिभावक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जानकारी नही है। अतः विश्लेषण के आधर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावको को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जानकारी का आभाव है सकारात्मक नही कहा जा सकता है अतः जरुरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति अभिभावकों में जागरुकता लाई जाए ताकि वे अपने बच्चों के मिले अधिकारों को जान सके और उसका पूरा लाभ उठा सकें।

तालिका– 6.17 शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस माध्यम से जानना

क्र० सं०	शिक्षा का अधिकार अधिनियम को माध्यम से जानना	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्कूल के अध्यापक द्वार	28	9.3
2	समाचार पत्रों द्वारा	14	4.7
3	टी0 वी0/रेडियो द्वारा	17	5.7
4	जागरुकता अभियान द्वारा	12	4.0
5	अन्य	23	7.6
6	लागू नहीं	206	68.7
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.17 से प्रतीत होता है कि 9.3 प्रतिशत आभिभावक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जानकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा है। 4.7 प्रतिशत अभिभावको को समाचारपत्रों द्वारा। 5.7 प्रतिशत अभिभावकों को टी0वी0/रेडियो द्वारा। 4.0 प्रतिशत अभिभावकों को जागरुकता अभियान द्वारा तथा 7.6 प्रतिशत अभिभावकों को अन्य माध्यमों से जेसे दूसरों के द्वारा, सामूहिक परिचर्या द्वारा, दोस्तों आदि के द्वारा है। अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा है।

जिससे यह स्पष्ट होता है अभिभावकों में जागरुकता लाने में यहां अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है।

तालिका– 6.18 प्राईवेट स्कूल में 25 प्रतिशत का आरक्षण मिलने के प्रति जानकारी

क्र० सं०	प्राईवेट स्कूल में 25 प्रतिशत का आरक्षण मिलने के प्रति जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	94	31.3
2	नहीं	206	68.7
	कुल	300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.18 से स्पष्ट है कि 31.3 प्रतिशत अभिभावक को ही यह जानकारी है कि प्राइवेट स्कूल में आर0 टी0 ई0 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत गरीब बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। वहीं 68.7 प्रतिशत ऐसे हैं अभिभावकों का कहना है कि वो 25 प्रतिशत आरक्षण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अतः तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आर0 टी0 ई0 के अन्तर्गत रखे गये प्रावधान में 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रति अधिकांश अभिभावकों में जागरुकता का अभाव है अर्थात उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है जिसकी वजह से वह इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए यह जरुरत है कि अभिभावकों में यह 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रति जागरुकता लाने की जरुरत है ताकि वे भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें।

तालिका– 6.19 प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पर कैपिटेशन फीस का लिया जाना

क्र० सं०	प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पर कैपिटेशन फीस का लिया जाना	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	46	15.3
2	नहीं	254	84.7
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.19 से स्पष्ट है कि 15.3 प्रतिशत अभिभावक अपनी बालिकाओं को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते है और उनसे कैपिटेशन फीस ली जाती है। 84.7 प्रतिशत ऐसे अभिभावक है जो अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय एवं प्राईवेट विद्यालय में पढ़ाते है, उनसे कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जाती है।

तालिका– 6.20 विद्यालय में सुविधा होने के प्रति जानकारी

क्र० सं०	विद्यालय मे सुविधा होने के प्रति जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	90	30.0
2	नहीं	210	70.0
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.20 से स्पष्ट होता है कि 30 प्रतिशत अभिभावक को ही यह जानकारी है कि जिस विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं वहॉ सभी प्रकार की सुविधायें लगभग उपलब्ध है या सन्तुष्टि के लायक है तथा 70.0 प्रतिशत अभिभावकों को यह जानकारी नहीं कि जिस विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ने जाते है वहॉ कौन–कौन सी सुविधायें हैं। अतः विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभिभावकों में इस जानकारी का बहुत अभाव है कि विद्यालय में सभी प्रकार सुविधा है या नहीं। ऐसे अभिभावक अधिकांश संख्या में सर्वेक्षण में पाये गये।

तालिका– 6.21 अभिभावक का विद्यालय में बुलाई गई मीटिंग में भाग लेना

क्र० सं०	विद्यालय में बुलाई गई मीटिंग में भाग लेना	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	141	47.0
2	नहीं	159	53.0
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.21 के अनुसार 47.0 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय में बुलाई गई मीटिंग में भाग लेने जाते हैं तथा 53.0 प्रतिशत ऐसे अभिभावक है जो मीटिंग में भाग नहीं लेते है। अतः विश्लेषण से स्पष्ट है कि ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में पाये गये जो विद्यालय में बुलाई गई अभिभावक मींटिग में भाग नहीं लेते हैं। उसके पीछे उनके अपने अन्य कार्य होते है जैसे कृषि कार्य करना, मजदूरी करना, समय न मिलना, रुचि न लेना आदि है जिसकी वजह से वह विद्यालय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में भाग नहीं ले पाते हैं।

तालिका– 6.22 बच्चों की शैक्षिक प्रगति को अध्यापक से जानना

क्र० सं०	बच्चों की शैक्षिक प्रगति को अध्यापक से जानना	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	49	16.3
2	नहीं	251	83.7
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.22 से स्पष्ट हेाता है कि 16.3 प्रतिशत ही अभिभावक अपेन बच्चों की शैक्षिक प्रगति को अध्यापक से मिलते हैं। वहीं 83.7 प्रतिशत अभिभावकों का मानना है कि वे अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानने के लिए अध्यापक से नहीं मिलते हैं। अतः तालिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरुकता का अभाव नजर आता है। अतः वे अपने बच्चों की शिक्षा में कम रुचि लेते है अर्थात् उनकी रुचि नहीं रहती कि उनके बच्चे क्या सीख रहे है, क्या पढ़ रहे है अर्थात उनकी शैक्षिक स्थिति कैसी है। वे अध्यापक पर निर्भर

रहते है। अपना सहयोग नहीं दे पाते हैं। जिसका असर बच्चों की शिक्षा स्तर पर पड़ता है।

तालिका– 6.23 विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में जानकारी

क्र० सं०	विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	65	21.7
2	नही	235	78.3
कुल		300	100.0

स्रोतः कार्यक्षेत्र (2015–16)

तालिका 6.23 से स्पष्ट होता है कि 21.7 प्रतिशत अभिभावकों को ही विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में जानकारी हैं। वहीं 78.3 प्रतिशत ऐसे अभिभावक है जो विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में जानते हैं। अतः तालिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकांश अभिभावक विद्यालय शिक्षा समिति से परिचित नहीं है।

निष्कर्ष

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सत्र 2014–15 में कुल नामांकन 1166 थी, वहीं सत्र 2015–16 में नामांकन 1213 नामांकन हो गयी। अर्थात कुल नामांकन में वृद्धि हुयी। प्राथमिक स्तर पर सरकारी एवं प्राईवेट विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राईवेट विद्यालय में कोई वृद्धि नही हुई है परन्तु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन में वृद्धि हुई है। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर ही सरकारी विद्यालय में कई बालिकाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी हैं। इन बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने के विषय में जब अध्यापकों से बात की गयी तो उनका मानना था कि बालिकाएं माता–पिता के साथ काम करने चली जाती हैं एवं कुछ अभिभावकों की रुचि बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक हैं जिसके कारण बालिकाओं ने विद्यालय छोड़ दिया। इनमें से एक बालिका का विवाह होने के कारण विद्यालय छोड़ दिया। अतः स्पष्ट है कि सरकार के प्रयास सराहनीय होने के बावजूद भी बालिकाओं ने अपनी

पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। सत्र 2014–15 एवं 2015–16 में कक्षावार बालक एवं बालिकाओं के नामांकन स्थिति दोनों सत्रों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में कुल नामांकन के आधार पर बालकों के अनुपात में बालिकाओं का नामांकन कक्षा 1, कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में बृद्धि दर्शाता है एवं कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में बालकों के अनुपात में बालिकाओं के नामांकन में कमी आयी है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर केवल कक्षा 7 में बढ़ोत्तरी है जबकि कक्षा 6 एवं कक्षा 8 में नामांकन में कमी आयी है। विद्यालय स्वरूप के आधार पर सत्र 2014–15 एवं 2015–16 में बालक एवं बालिकाओं का नामांकन दोनों सत्रों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि बालकों के नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि परिषदीय विद्यालय में हुई हैं। जबकि बालिकाओं का परिषदीय विद्यालय, प्राईवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सभी विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि हुई हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं के नामांकन में अधिक वृद्धि हुई हैं। सामाजिक श्रेणी आधार पर विद्यार्थियों की नामांकन स्थिति सत्र 2015–16 में सामान्यवर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में नामांकन में वृद्धि हुई है जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में कमी आयी हैं। केवल कस्तुरबा विद्यालय में अल्पसंख्यक बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई हैं। तालिका 6.5 में विद्यालयों के प्रकार के अनुसार विभिन्न सामाजिक श्रेणियों का नामांकन दोनों सत्रों (2014–15 एवं 2015–16) की तुलना की गयी है। तथ्यों से स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग की श्रेणी में सरकारी एवं कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है एवं निजी विद्यालय में नामांकन में कमी आई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कमी आयी है जो 18 से 17 हुई हैं एवं सरकारी तथा निजी विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति श्रेणी में सरकारी, निजी एवं कस्तूरबा विद्यालयों में बढ़ोत्तरी हुई है जबकि अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में मात्र कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन में वृद्धि हुई है एवं सरकारी तथा निजी विद्यालयों में नामांकन में कमी आयी है। दो सत्रों 2014–15 एवं 2015–16 में हुए नामांकन एवं ड्राप आउट को कक्षावार तुलना करने पर पाया गया कि कक्षा 1 एवं कक्षा 6 को छोड़ कर प्रत्येक कक्षाओं में वर्ष

2015–16 में वृद्धि हुई हैं जबकि कक्षा 1 में 30 विद्यार्थियों की संख्या घटी है एवं कक्षा 6 में 15 विद्यार्थियों का पिछले सत्र 2014–15 की तुलना में सत्र 2015–16 में नामांकन में कमी आयी है। दो सत्रों 2014–15 एवं 2015–16 में हुए बालकों एवं बालिकाओं के नामांकन एवं ड्राप आउट की तुलना कर पाया गया कि बालकों के मुकाबले बालिकाओं का नामांकन अधिक है। अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि कुल बालकों एवं बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई हैं तथा स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार हुआ है। सामाजिक श्रेणी के अन्तर्गत दोनों सत्रों 2014–15 एवं 2015–16 के नामांकन को एवं स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की तुलना करने से स्पष्ट हेाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़ कर अन्य सभी सामाजिक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है। जबकि अल्पसंख्यक वर्ग में पिछले सत्र 2014–15 के मुकाबले वर्ष 2015–16 में 7 विद्यार्थियों में कमी आई हैं। अतः कह सकते हैं कि वर्ष 2015–16 में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में कमी हुई है।

अध्यापकों के अनुसार परिषदीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षा का अधिकर अधिनियम लागू होने के बाद सर्वाधिक नामाकंन स्थिति में सुधार हुआ है। सभी विद्यालय में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार हुआ है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति निम्न दर्जे की है। परिषदीय एंव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाले बालिकाओं के अभिभावक विद्यालय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में सर्वाधिक अभिभावक भाग नहीं लेते हैं। अधिकांश अध्यापकों का मानना है कि यदि हमें बालिका शिक्षा में सुधार लाना है तो उसके लिए अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति रुचि लेनी चाहिए तथा उनके महत्व को समझना चाहिए। परिषदीय विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती की जाए। प्राइवेट विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का मानना है कि अभिभावक को अपने बच्चों की शिक्षा में रूचि लेनी चाहिये। तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के सर्वाधिक

अध्यापकों का मानना है। अभिभावक शिक्षा में रूचि लें। तथा विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के अन्तर्गत पाया गया कि अधिकांश अभिभावक अपनी लड़कियों को केवल इसलिए शिक्षित करना चाहते हैं जिससे कि उनका विवाह आसानी से हो सके। जो यह संकेत देती है आज भी अभिभावक की नजर मे सबसे पहले लड़कियों के लिए शादी ही प्राथमिकता में है बाकी सब बाद में। अपने लड़का/लड़कियों को शिक्षा में समान अवसर देने वाले अभिभावक अधिक संख्या में पाये गए है। ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में पाये गये जो लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना ही पर्याप्त मानते हैं। कुछ अभिभावक पाये गये जिनका कहना है कि लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा के आगे भी पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकतम अभिभावक अपनी बालिकाओं को प्रथमिक स्तर तक ही अध्ययन कराना चाहते हैं। अपनी लड़कियों को उनकी इच्छानुसार नहीं पढ़ापायेगें ऐसे अभिभावको की संख्या अधिक है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जानकारी के अन्तर्गत पाया गया अधिकांश अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी नहीं है। सर्वाधिक अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा है। जिससे यह स्पष्ट होता है अभिभावकों में जागरुकता लाने में यहाँ अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे अभिभावकों की संख्या अधिक पाये गये जिन्हें प्राईवेट विद्यालय में 25 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। विद्यालय में केपिटेशन फीस लिए जाने के सन्दर्भ में पाया गया है कि कुछ अभिभावक अपने बालिकाओं को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते है तो उनसे विद्यालय में केपिटेशन फीस ली जाती है, संख्या में अधिक पाये गये। अधिकांश अभिभावक को यह जानकारी नहीं है कि जिस विद्यालय में उनकी बालिकाएं पढ़ने जाती हैं वहाँ सभी प्रकार की सुविधायें लगभग उपलब्ध है या सन्तुष्टि के लायक है। विद्यालय में बुलाई गई अभिभावक मीटिंग में भाग लेने अधिकांश अभिभावक नहीं जाते हैं उसके पीछे उनके अपने अन्य कार्य होते है जैसे कृषि कार्य करना, मजदूरी करना, समय

न मिलना, रुचि न लेना आदि है जिसकी वजह से वह विद्यालय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में भाग नहीं ले पाते हैं। ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में पाये गये जो अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानने के लिए अध्यापक से नहीं मिलते हैं। ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में है जो विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में नहीं जानते हैं।

अध्याय– 7

निष्कर्ष

देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् ही प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर ठोस कदम उठाये गये थे तथा संविधान में अनुच्छेद 45 में निर्दिष्ट किया गया था कि राज्य 10 वर्षों के भीतर सभी 6–14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 1951 से हमारे देश में विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से शुरू किये गये। जिसमें बालक/बालिकाओं की शिक्षा पर समान बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के क्रम में नई शिक्षा नीति (1986) में प्राथमिक स्तर का अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के उपाय पर बल दिया। अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये तथा वर्तमान में अपव्यय अवरोधन के निदान एवं शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे–जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1996), सर्वशिक्षा अभियान (2001), मिड डे मिल योजना (1995), कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (2004) आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे है, परन्तु अभी भी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है।

महिलाओं की साक्षरता दर पुरूषों की अपेक्षा कम है। देश में करोड़ों बालिकाओं का नामांकन नहीं है। नामांकित बालिकाओं में स्कूल ड्रापआउट की समस्या अभी भी बनी हुयी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अन्तर्गत शिक्षा 6–14 वर्ष के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया गया है किन्तु शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति में अपेक्षित सुधार हो नहीं पा रहा है। इस अधिनियम के द्वारा क्या बालिकाओं की शैक्षिक समस्यायें दूर हो पा रही है? क्या यह अधिनियम बालिकाओं को नामांकन में बराबरी लाने में योगदान दे पा रहा है? इस प्रकार के मुल समस्याओं का पता लगाना ही प्रस्तुत शोध अध्ययन की समस्या है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थितिः बाराबंकी जनपद का समाजशास्त्रीय अध्ययन पर केंद्रित है। इस अध्ययन में दिये गये शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं ग्रामीण बालिकाओं की

शैक्षणिक स्थिति सम्बंधी विवरण विशेषकर महत्वपूर्ण हैं। इस शोध अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र के रूप में बाराबंकी जिले के सिद्धौर विकास खण्ड का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। शोध प्रबन्ध में अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रारूप का प्रयोग किया गया है। आँकडे एकत्र करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। शोध प्रबन्ध में निदर्शन के द्वारा सिद्धौर ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले प्राइमरी स्कूलों में से दस मिश्रित स्कूलों का चयन किया गया है। जिसमें से सात प्राथमिक स्तर के परिषदीय विद्यालय तथा दो प्राईवेट विद्यालय एवं एक कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में से कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से किया गया है। अन्य सभी स्कूलों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। अध्ययन के निदर्श के रूप में 300 बालिकाओं को शामिल किया गया हैं। इनके अलावा बालिकाओं के अभिभावक तथा स्कूल के सभी अध्यापक (पुरूष एवं महिला) भी शामिल हैं। इस शोध अध्ययन में उत्तर दाता के रूप में शामिल बालिकाओं, अभिभावकों एवं अध्यापकों द्वारा प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण करने से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ।

बालिकाओं के परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। इससे स्पष्ट है कि चयनित विद्यालय में मुख्य रूप से हिन्दू एवं मुस्लिम धर्म की अनुयायी बालिकाएं विद्यालय में अध्ययन कर रहीं हैं। अन्य धर्मों से सम्बधित कोई भी बालिका अध्ययन नहीं कर रही है। सामान्य वर्ग की बालिकाएं अल्प मात्रा में नामांकित हैं जिनकी संख्या मात्र 21 है, जो ब्राह्मण, बनिया एवं कायस्थ जातियों में विभक्त हैं। अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं का नामांकन अधिक संख्या में है जिनकी संख्या 120 है। अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों में नाई, लोधी, अहीर, कुर्मी, लोहार, एवं कुम्हार आदि जातियों की बालिकाएं सम्मिलित हैं। इनमें से प्रमुख रूप से कुर्मी एवं लोधी जाति की बालिकाओं की संख्या अधिक है। अनुसूचित जाति की बालिकाओं की संख्या भी अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की संख्या के बराबर 120 है। अनुसूचित जाति में सम्मिलित बालिकाएँ हैं जो धोबी, कोरी, पासी एवं चमार जाति से हैं। इनमें से सबसे अधिक चमार, पासी एवं कोरी जाति की

बालिकाएँ हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 39 बालिकाएं पंजीकृत हैं जो तुलनात्मक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की संख्या में कम हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की जातियों में मुख्य रूप से जुलाहा, कसाई, हेला, फ़कीर, दर्ज़ी एवं पठान जातियां हैं। विद्यालयानुसार सामान्य वर्ग की बालिकाओं का अन्य जातीय वर्ग की तुलना में परिषदीय विद्यालय में नामांकन बहुत कम है। जिससे यह भी ज्ञात होता है कि परिषदीय विद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएं अधिक पढ़ती हैं।

परिवार के प्रकार के रूप में संयुक्त परिवार में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती हैं। तथा एकांकी परिवार में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ती हैं। मकान स्वरूप आधार पर परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली सर्वाधिक बालिकायें मिश्रित मकानों में रहती हैं। तथा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली सर्वाधिक बालिकायें पक्के मकानों में निवास करती हैं। तथा कच्चे मकानों में निवास करने वाली सर्वाधिक बालिकायें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती है। परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाओं के पिता अधिक संख्या में निरक्षर पाये गये हैं। तथा प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता अधिक संख्या में शिक्षित पाये गये हैं। परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढने वाली वाली बालिकाओं की माताएँ सर्वाधिक निरक्षर तथा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की माताएँ शिक्षित पायी गई हैं। अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताओं की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय में पढने वाली बालिकाओं की माताओं का शिक्षा का स्तर अच्छा है।

बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक कार्ड के सन्दर्भ में तथ्यों से यह उभर कर आया है कि अधिकतम बालिकाओं के परिवार के पास अन्त्योदय एवं बी. पी. एल. के ही कार्ड हैं बहुत ही कम मात्रा में ए. पी. एल. कार्डधारी हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि बालिकाओं के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति निम्न है। वहीं

विद्यालयानुसार ए0 पी0 एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली बालिकायें सर्वाधिक प्राइवेट विद्यालय में पढती है तथा बी0 पी0 एल0 कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली बालिकायें सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय में पढ़ती है एवं अन्त्योदय कार्ड श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली सर्वाधिक बालिकायें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें निम्न आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों से है। वहीं प्राइवेट विद्यालय की बालिकायें सर्वाधिक उच्च आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवारों से सम्बन्धित हैं।

अभिभावकों के व्यवसाय विश्लेषण से पता चलता है कि परिषदीय विद्यालयों की बालिकाओं के पिता मुख्य रूप से कृषि एवं मजदूरी या अन्य आजीविका के साधन के रूप में ठेले–खोमचे लगाना, फेरी लगाना अथवा रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं, तथा प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता सबसे अधिक सरकारी नौकरी करते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के पिता सर्वाधिक मजदूरी का काम करते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि निम्न आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले परिवारों की बालिकाये सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढाई करती है जबकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में अधिक पढ़ती है। बालिकाओं के माता के व्यवसाय के सन्दर्भ में यह पाया गया कि परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की माताएँ सबसे अधिक गृहणी हैं। बालिकाओं के पिता की मासिक आय के सन्दर्भ में पाया गया परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई करने वाली बालिकाओं के पिता की मासिक आय की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के पिता की मासिक आय की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अतः यह कह सकते हैं कि अध्ययन करने वाली अधिकतम बालिकाओं के परिवार निम्न आर्थिक

श्रेणी में हैं। इस अध्ययन में पुष्टि होती है कि गरीब परिवार के बच्चे गाँव के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ते हैं।

शोध अध्ययन के अर्न्तगत आने वाले दसों विद्यालयों में चाहे परिषदीय विद्यालय हों या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हो सभी विद्यालयों के भवन पक्के बने हुए हैं। कुल सात परिषदीय विद्यालयों में से किसी भी परिषदीय विद्यालय में बिजली की व्यवस्था हैं। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है। अतः बिजली व्यवस्था के सन्र्दभ में परिषदीय विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं पाई गई है। ज्यादातर परिषदीय विद्यालयों में पानी पीने की व्यवस्था पाई गई। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शौचालय व्यवस्था अच्छी थी तथा शौचालय प्रयोग करने लायक थे। सभी परिषदीय विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था थी किन्तु केवल 1 विद्यालय में शौचालय प्रयोग करने लायक था शौचालय बने होने के बावजूद विद्यालय में बच्चें प्रयोग नहीं करते पाये गये क्योंकि शौचालय जर्जर थे एवं साफ सुथरा नहीं थे। इन विद्यालयों में महिला अध्यापकों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें भी परेशानियाँ उठानी पड़ती थीं। अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में चहार दिवारी बनी है तथा कुछ विद्यालय ऐसे थे जिसमें चहार दिवारी की व्यवस्था नहीं थी परन्तु वहीं प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चहार दिवारी की व्यवस्था थी। ज्यादातर परिषदीय विद्यालयो में बच्चे के लिए खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था पाई गई। वहीं प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था नहीं पाई गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था पाई गई। परिषदीय विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था सभी परिषदीय विद्यालय में नहीं है एवं प्राइवेट विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था नहीं है तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में खेल सामग्री की व्यवस्था नहीं पाई गई।

परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय या फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका हो सभी विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकालय की

व्यवस्था नहीं पाई गई है। विद्यालय में पठन पाठन हेतु श्यामपट्ट चाकडेस्टर की व्यवस्था सभी विद्यालय चाहे परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सभी में व्यवस्था है। सभी परिषदीय विद्यालय में से प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था नहीं है किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी विद्यालय में अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था पाई गई है। प्राईवेट विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु कमरों की व्यवस्था पाई गई। इसी प्रकार कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु कमरों की व्यवस्था पाई गई। परिषदीय विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक के लिए अलग–अलग कमरों की व्यवस्था नहीं पाई गई।

विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सभी परिषदीय विद्यालय एंव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था है। जबकि प्राइवेट विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था नहीं है क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की योजना लागू नहीं हैं। सभी परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है जब कि प्राइवेट विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में मिलने वाले निःशुल्क पुस्तकें/स्कूल ड्रेस का लाभ परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका में पढने वाले सभी बच्चों को मिलता है परन्तु प्राइवेट विद्यालय में यह व्यवस्था नहीं है। सभी परिषदीय विद्यालय में से प्राथमिक स्तर पर परिषदीय विद्यालय में अध्यापक प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को साथ बैठाकर छात्रों को पढाते हैं तथा अवलोकन में भी यह पाया गया कि कक्षा 1–5 तक परिषदीय विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन हेतु अलग अलग कमरों की व्यवस्था न होने पर एक ही कक्षा में अन्य कक्षा के विद्यार्थी को एक साथ बैठकर अध्यापक बच्चों को पढाते है। कुछ विद्यालय में अवलोकन के माध्यम से यह पाया गया कि एक ही कक्षा में

आधे बच्चे एक तरफ मुँह करके पढ़ाई कर रहे थे तथा आधे बच्चे को दूसरी तरफ मुंह करके बच्चों को पढाया जा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योकि उन विद्यालय में अध्यापक कम थे। जो सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। परन्तु उच्च परिषदीय विद्यालय स्तर पर प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग–अलग पढ़ाते हैं। प्राइवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को अलग–अलग कमरों में पढ़ाया जाता है। सभी परिषदीय विद्यालय में से अधिकांश परिषदीय विद्यालय में अध्यापक द्वारा बिना लेशन प्लान बनाये हुए ही बच्चों को पढाते हुए पाये गयें। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बावासीय बालिका विद्यालय में बच्चों को लेशन प्लान बनाकर पढाते हैं। परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हो सभी विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र छापकर ही बच्चों की लिखित परीक्षा लिये जाने की व्यवस्था है। जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा श्यामपट्ट पर लिख कर लिये जाने की व्यवस्था है। सभी परिषदीय विद्यालयों में से एक विद्यालय में बच्चे मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। कुछ विद्यालयों में बच्चे टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते हुए पाये गये। तथा कुछ विद्यालयों में बच्चे चटाई पर बैठकर पढ़ाई करते हुए पाये। प्राईवेट विद्यालय में सभी बच्चे मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी सभी बालिकायें मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करती हैं।

परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों की तुलना में प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के अध्यापकों की शिक्षा का स्तर उच्च है। परिषदीय विद्यालय में सर्वाधिक बी0 टी0 सी0 शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक पाये गये। प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक सर्वाधिक बिना किसी शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त किये विद्यालय में पढ़ा रहें हैं तथा बी0 एड0/बी0 पी0 एड0 प्राप्त शैक्षिक प्रशिक्षण अध्यापक सर्वाधिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाते है। परिषदीय विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय अथवा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाले सर्वाधिक अध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त है। परिषदीय विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यपकों की संख्या 25 है प्राइवेट

विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या 8 तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 7 पाई गई। अधिकांश विद्यालय छात्र–शिक्षक अनुपात को पूरा नहीं करते है। अतः उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या कम है।

कुल प्रतिदिन विद्यालय न जाने वाली बालिकाओ की अपेक्षा प्रतिदिन विद्यालय जाने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक है। परिषदीय विद्यालय की बालिकायें जो प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती है उन बालिकाओं में सर्वाधिक बालिकायें अपने छोटे–भाई बहनों की देखभाल करने की वजह से प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाती है विद्यालय में मिल रहें मध्यान्ह भोजन को पसन्द करने के सन्दर्भ में पाया गया परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकांश बालिकाओं को मध्यान्ह भोजन पसन्द आता है इसी प्रकार कस्तूराबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकायें भी अधिकांशतः मध्यान्ह भोजन को पसन्द करती है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं की हिन्दी विषय पढ़ने की स्थिति खराब पाई गई। अंग्रेजी विषय न पढ़ पाने वाली सर्वाधिक बालिकायें परिषदीय विद्यालय से सम्बन्धित हैं। अतः प्राइवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तुलना में परिषदीय विद्यालय की बालिकायें अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक कमजोर पाई गई। विद्यालय में विषय के अतिरिक्त अन्य कुछ सिखायें जाने के सन्दर्भ में पाया गया परिषदीय विद्यालय में पीटी के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि उनके विद्यालय में उक्त सुविधाओं का अभाव है।

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सत्र 2014–15 में कुल नामांकन 1166 थी, वहीं सत्र 2015–16 में नामांकन 1213 नामांकन हो गयी। अर्थात कुल नामांकन में वृद्धि हुयी। प्राथमिक स्तर पर सरकारी एवं प्राईवेट विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राईवेट विद्यालय में कोई वृद्धि नही हुई है परन्तु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन में वृद्धि हुई है। कक्षावार बालक एवं बालिकाओं के नामांकन स्थिति

दोनों सत्रों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में कुल नामांकन के आधार पर बालकों के अनुपात में बालिकाओं का नामांकन कक्षा 1, कक्षा 4 एवं कक्षा 5 में बृद्धि दर्शाता है एवं कक्षा 2 एवं कक्षा 3 में बालकों के अनुपात में बालिकाओं के नामांकन में कमी आयी है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर केवल कक्षा 7 में बढ़ोत्तरी है जबकि कक्षा 6 एवं कक्षा 8 में नामांकन में कमी आयी है। विद्यालय स्वरूप के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का नामांकन दोनों सत्रों की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि बालकों के नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि परिषदीय विद्यालय में हुई हैं। जबकि बालिकाओं का परिषदीय विद्यालय, प्राईवेट विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सभी विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि हुई हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं के नामांकन में अधिक वृद्धि हुई हैं। सामाजिक श्रेणी आधार पर विद्यार्थियों की नामांकन स्थिति सामान्यवर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में नामांकन में वृद्धि हुई है जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन में कमी आयी हैं। केवल कस्तुरबा विद्यालय में अल्पसंख्यक बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई हैं।

बलिकाओं द्वारा बीच सत्र में विद्यालय छोडने की समस्या के सन्दर्भ में पाया गया कि बालिकाओं की नामांकन स्थिति बेहतर है किन्तु स्कूल छोड़ने की समस्या बनी हुई है। क्षेत्रधारित अध्ययन से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर यह लगभग दस प्रतिशत है। परिषदीय विद्यालयों में यह समस्या व्याप्त पाई गई किन्तु प्राईवेट और कस्तुरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में यह न के बराबर है। बालिकाओं के द्वारा बीच सत्र में विद्यालयों छोड़ने की स्थिति पर शिक्षकों का विचार था कि पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अभिभावकों की अरूचि प्रमुख कारण हैं। इसी सन्दर्भ में अभिभावकों का कहना था कि आर्थिक एवं पारिवारिक प्रमुख कारण हैं। वहीं बालिकाओं का कहना था कि कमजोर आर्थिक स्थिति, कम उम्र में विवाह, घरेलू परिस्थितियां, अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक साच इत्यादि कारण प्रमुख हैं।

अध्यापकों के अनुसार परिषदीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षा का अधिकर अधिनियम लागू होने के बाद सर्वाधिक नामांकन स्थिति में सुधार हुआ है। सभी विद्यालय में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की स्थिति में भी सुधार हुआ है। प्राइवेट विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति निम्न दर्जें की है। परिषदीय एंव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाले बालिकाओं के अभिभावक विद्यालय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में सर्वाधिक अभिभावक भाग नहीं लेते हैं। अधिकांश अध्यापकों का मानना है कि यदि हमें बालिका शिक्षा में सुधार लाना है तो उसके लिए अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति रुचि लेनी चाहिए तथा उनके महत्व को समझना चाहिए। परिषदीय विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती की जाए। प्राइवेट विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का मानना है कि अभिभावक को अपने बच्चों की शिक्षा में रूचि लेनी चाहिये। तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापकों का मानना है। अभिभावक शिक्षा में रूचि लें तथा विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाए तो प्राथमिक शिक्षा स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों में लड़कियों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के अन्तर्गत पाया गया कि अधिकांश अभिभावक अपनी लड़कियों को केवल इसलिए शिक्षित करना चाहते हैं जिससे कि उनका विवाह आसानी से हो सके। जो यह संकेत देती है आज भी अभिभावक की नजर मे सबसे पहले लड़कियों के लिए शादी ही प्राथमिकता में है बाकी सब बाद में। अपने लड़का/लड़कियों को शिक्षा में समान अवसर नहीं देने वाले अभिभावक अधिक संख्या में पाये गए है। ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में पाये गये जो लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना ही पर्याप्त मानते हैं। कुछ अभिभावक पाये गये जिनका कहना है कि लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा के आगे भी पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकतम अभिभावक अपनी बालिकाओं को प्रथमिक स्तर तक ही अध्ययन कराना

चाहते हैं। अपनी लड़कियों को उनकी इच्छानुसार नहीं पढ़ा पायेगें ऐसे अभिभावको की संख्या अधिक पाई गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जानकारी के अन्तर्गत पाया गया अधिकांश अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी नहीं है। सर्वाधिक अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा है। जिससे यह स्पष्ट होता है अभिभावकों में जागरुकता लाने में यहाँ अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे अभिभावकों की संख्या अधिक पायी गयी जिन्हें प्राईवेट विद्यालय में 25 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अधिकांश अभिभावक को यह जानकारी नहीं है कि जिस विद्यालय में उनकी बालिकाएं पढ़ने जाती हैं वहाँ सभी प्रकार की सुविधायें लगभग उपलब्ध है या सन्तुष्टि के लायक है। विद्यालय में बुलाई गई अभिभावक मीटिंग में भाग लेने अधिकांश अभिभावक नहीं जाते हैं उसके पीछे उनके अपने अन्य कार्य होते है जैसे कृषि कार्य करना, मजदूरी करना, समय न मिलना, रुचि न लेना आदि है जिसकी वजह से वह विद्यालय द्वारा बुलाई गई मीटिंग में भाग नहीं ले पाते हैं। ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में पाये गये जो अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानने के लिए अध्यापक से नहीं मिलते हैं। ऐसे अभिभावक अधिक संख्या में है जो विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में नहीं जानते हैं।

शोध परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की **पहली उपकल्पना** है "अभिभावक की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करती है।" इस सम्बन्ध में पाया गया कि मिश्रित मकानों में रहने वाली बालिकायें सर्वाधिक परिषदीय विद्यालय में पढ़ने जाती है। पक्के मकानों में निवास करने वाली बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाती है। तथा कच्चे मकानों में निवास करने वाली बालिकायें सर्वाधिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ती है। अतः इससे स्पष्ट होता है। कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की अपेक्षा परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं की सामाजिक

स्थिति निम्न है। परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें निम्न आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों से है। वहीं प्राइवेट विद्यालय की बालिकायें सर्वाधिक उच्च आर्थिक स्थिति अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली परिवारों से सम्बन्धित है। निम्न आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले परिवारों की बालिकाये सबसे अधिक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती हैं जबकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की बालिकायें प्राइवेट विद्यालय में अधिक पढ़ती है। अतः स्पष्ट है कि निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार की बालिकाओं के अभिभावक अपनी बालिकाओं को सबसे अधिक परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते है। जबकि उच्च आर्थिक स्थिति वाले परिवार की बालिकाओं के आभिभावक अपनी बालिकाओं को प्राइवेट विद्यालय में पढ़नें के लिए भेजते है।

अपनी लड़की को उनकी इच्छानुसार न पढ़ा पाने वाले सबसे अधिक अभिभावक पाये गये। क्षेत्र में तथ्य संकलन के अवलोकन से पता चला कि उनकी असमर्थता का सबसे प्रमुख कारण गरीबी है, जिसकी वजह से वे अपनी लड़की को उनकी इच्छानुसार पढ़ाने में असमर्थता जताते है। अतः तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यहाँ अध्ययन की पहली उपकल्पना सत्य साबित होती है।

अध्ययन की **दूसरी उपकल्पना** है "ग्रामीण बालिकाओं में स्कूल छोड़ने (Drop-Out) की स्थिति की समस्या बनी हुई है।" इसके अर्न्तगत इस अध्ययन में यह पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर लगभग दस प्रतिशत है। बालिकाओं ने स्कूल छोड़ दिया। अतः तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यहाँ अध्ययन की दूसरी उपकल्पना " सत्य साबित होती है। **तीसरी उपकल्पना** है "ग्रामीण बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो रहा है।" इसके अर्न्तगत इस अध्ययन में यह पाया गया कि परिषदीय विद्यालय में सत्र 2014–15 की अपेक्षा 2015–16 में बालक बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। इस दोनों सत्रों 2014–15 एवं 2015–16 की तुलना करने पर यह पाया गया है कि बालकों की तुलना में सभी विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई अतः इससे यह भी स्पष्ट होता है कि

बालिकाओं के नामांकन स्थिति में सुधार हुआ है। अतः तथ्यों के आधार पर शोध अध्ययन की तीसरी उपकल्पना सत्य साबित होती है।

अध्ययन की **चौथी उपकल्पना** है "अभिभावकों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा अन्य शैक्षिक योजनाओं की जानकारी की कमी होती है।" इस सम्बन्ध में पाया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी रखने वाले अभिभावकों की अपेक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी न रखने वाले अभिभावकों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है अतः तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यहाँ अध्ययन की चौथी उपकल्पना सही साबित होती है।

अध्ययन की **पाँचवी उपकल्पना** है "शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है।" इस सम्बन्ध में पाया गया कि सभी परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत बच्चों जो मूलभूत सुविधायें दिये जाने का प्रावधान है उन प्रावधानों को सभी परिषदीय विद्यालय पूरा नहीं करते है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की गुणवत्ता की स्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी दयनीय बनी हुई हैं। अतः तथ्यों के आधार पर पाँचवी उपकल्पना सही साबित होती है।

तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद भी सच यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में अपेक्षानुसार सुधार नहीं हो सका है। ज्यादातर योजनायें आंशिक रूप से ही परिणाम दे सकीं है। अतः प्रस्तुत शोध अध्यन से निम्न तथ्य उभरकर सामने आते है यह पाया गया है कि सामान्य वर्ग कि बालिकाओं की तुलना में अन्य जातीय वर्गों अनुसूचित जाति, अन्यपिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक की बालिकाओं का नामांकन परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अधिक है। अतः इस आधार पर यह कह सकते है कि अनुसूचित जाति, अन्यपिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक की बालिकायें अधिकतर परिषदीय विद्यालय में पढ़ती हैं जबकि सामान्य वर्ग की बालिकायें सबसे कम परिषदीय विद्यालय में पढने जाती है उनकी प्राथमिकता प्राइवेट विद्यालय है। इससे यह भी स्पषट होता है कि

परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूराबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली अधिकांश बालिकायें निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से सम्बन्धित हैं इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिन बालिकाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न होती है वे ही बालिकायें परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने जाती हैं। बालिकाओं की नामाकंन स्थिति को देखें तो ज्ञात होता है कि बालिकाओं की स्थिति मात्रात्मक स्थिति से संतोष जनक है, परन्तु गुणात्मक दृष्टि से देखा जाये तो यह ज्ञात होता है कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को प्राप्त होने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसके विपरीत प्राइवेट विद्यालय में ज्यादातर छात्राओं की स्थिति इसके विपरीत सुदृढ़ है। शिक्षा का आधिकार अधिनियम (2009) लागू होने के बावजूद सामाजिक समूहों तथा वर्गों का सीधा सम्बन्ध समाज में पहले से व्याप्त सामाजिक संरचना से है। बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति इससे भिन्न नहीं हैं इसका प्रतिबिम्ब विभिन्न विद्यालयों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार के अधिनियम जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने हेतु सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सन्दर्भीकृत करने की आवश्यकता है। विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है जिसमें सरकारी कार्यक्रमों के साथ–साथ पंचायती राज्य संस्थायें, ग्राम शिक्षा समितियाँ, विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य सकारात्मक ताल मेल का अभाव न हो जिससे बदलते परिदृश्य में बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके।

ग्रन्थ सूची

1. कुरुक्षेत्र, जून (2016) *'उन्नति की ओर ग्रामीण भारत', बालिकाओं के बेहतर भविष्य की ओर*/ ग्रामीण विकास मत्रालय नई दिल्ली।
2. भारतीय जनगणना रिपोर्ट (2011)।
3. स्टेट ऑफ लिट्रेसी, जनगणना रिपोर्ट, (2011), (पृ0 102–103)।
4. एलीमेन्टरी एजूकेशन इन इण्डियाः ट्रेन्डस 2013–14
5. डी0 आई0 एस0 ई0 (2011–12): फ्लैश स्टैटिसटिक्स, मानव संसाधन, विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. असर रिपोर्ट (2011)।
7. एजुकेशनल स्टेटिक्स एट ए ग्लांस (प्रोविजनल) (2016), *भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय,* स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली।
8. एजुकेशनल स्टेटिक्स एट ए ग्लांस (प्रोविजनल) (2014), *भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय,* स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली।
9. श्रीवास्तव चन्द्र प्रवीण (2006), *प्रारम्भिक शिक्षा के मूल तत्व*/ प्रकाशक, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
10. विप्लव (2012), *भारत में महिला मानवाधिकार*/ प्रकाशक राहुल पब्लिशिंग हाउस, शास्त्री नगर, मेरठ (यू0 पी0) (पृ0 242–243)।
11. स्टेटस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन (6–14वर्ष) *इन दिल्ली स्लम्स प्रमोटिंग द राइट टू एजुकेशन,* फैशिलिटेडेड बाईः द इण्डिया इस्पॉन्सर फाउन्डेशन जून (2007)।
12. कुमार एम, एवं शर्मा दीप्ति (2011), *डॉ0 भीमराव अम्बेडकर*/ अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
13. कपूर प्रेमिला (2012), *स्त्री शिक्षा एक मूल्यांकन*/ हरि प्रकाशन, नई दिल्ली।
14. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, (2006–2009), भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, (मई 2011), ग्रामीण विकास मत्रालय नई दिल्ली।

16. हाशिये की आवाज, मासिक पत्रिका, (सितम्बर 2014), Publication@isidelhi.org.in)
17. दुर्खीम, ई (1992), ''एजूकेशन एण्ड सोशियोलॉजी विद इन्ट्रोडक्शन बाई एस0 डी0 फॉक्स एण्ड फॉर वर्ड बाई टॉलकट पारसन्स, गैलेन्सो की प्रेस।
18. टी, रेमण्ट (1968), *मॉडर्न एजूकेशन,* लन्दनः लॉगमैन ग्रीन एण्ड कम्पनी।
19. जान, डी0वी0 (1963), *डेमोक्रेसी एण्ड एजूकेशन,* लन्दनः ब्लैक हिल पब्लिशर्स।
20. बोटोमोर (1978), *सोशियोलॉजीः ए गाइड टू प्रोबलम एण्ड लिटरेचर,* बॉम्बे ब्लैक एण्ड सन्स।
21. इण्डिया ए रिफरेन्स एनुवल (1968), *योजना आयोग* नई दिल्ली (पृ0 61–62)।
22. तिवारी, डी0 (1964), *उ0 प्र0 प्राथमिक शिक्षा,* अप्रकाशित पीएच0 डी0, थीसिस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
23. कामलाम्ब जी (1969), *ए स्टडी ऑफ प्राइमरी स्कूल इन केरला स्टेट,* अप्रकाशित डॉक्टरोल डिजरटेशन, केरला यूनीवर्सिटी, केरला।
24. श्रीवास्तव, एस एण्ड गुप्ता, एस0 पी0 (1980), *स्टडी ऑफ नॉन इनरोल्ड, नॉन एटेन्डेन्स एण्ड ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रु ऑफ 6–14 इन द फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन* (1978–1983) एन0सी0ई0 आर0टी0, नई दिल्ली।
25. बैनर्जी, रूकमिनी (2000), पावर्टी एण्ड प्राइमरी स्कूलिंगः फील्ड स्टडीज फ्रॉम मुम्बई एण्ड दिल्ली इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल, वीकली, 35 (2): (पृ0 795–802)
26. कॉल, रेखा (2001), *एक्सेसिंग प्राइमरी एजूकेशन–गोइंग बियोन्ड द क्लासरूम इकोनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली*, 36(2) : 156–62
27. प्लान इण्डिया, न्यू दिल्ली (2009), *व्हाई आर चिल्ड्रेन आउट ऑफ स्कूल? ए समरी ऑफ द स्टीडी 'पार्टीसिपेट्री एप्रोच टू आइडेन्टीफाई रीजनस फॉर एक्सक्लूजन एमंग आउट ऑफ इण्डिया*, न्यू दिल्लीः प्लान इण्डिया 20 पी0

28. यदपपनवर, ए0 वी0 (2002), *फैक्टर्स इनफ्लूयोर्निसिग एलीमेन्ट्री स्कूल्स सोशल वेलफेयर,* 48(10): (पृ0 10–14)
29. धवन एम. एल. (2005) *एजुकेशन स्टेटस इन इण्डिया,* प्रकाशक, ईशा बुक, दिल्ली।
30. डॉ0 दोमड़िया, डी. एम. (2014), *भारतीय शिक्षा का इतिहास, रावत प्रकाशन,* दरियागंज, नई दिल्ली।
31. मेहरोत्रा, ममता शर्मा, महेश (2012), *शिक्षा का अधिकार*। भारत प्रकाशन, नई दिल्ली।
32. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका (सितम्बर, 2012), *शिक्षा का अधिकार का आकलन* ग्रामीण विकास मत्रालय नई दिल्ली, (पृ0–9)।
33. बसंत मून (1991), *डॉ0 बाबासाहेब आंबेडकर* प्रकाशित नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया
34. भारत का संविधान भाग–3, (भारत का राजपत्र असाधारण भाग – II, खण्ड–1) प्रकाशित प्राधिकार, नई दिल्ली।
35. नेशनल सर्वे (2014), *ऑन इस्टिमेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन,* (पृ0–99)
36. *कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन,* योजना आयोग, (पृ0 25)
37. *एजुकेशन फॉर आल टुवर्डस् क्वालिटी विथ इक्विटी,* (पृ0 99)
38. एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांस (2010–11), *भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय* स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली।
39. एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांस (2016), *भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय,* स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली, (पृ0 27) पैरा–19।
40. एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांस (2016), *भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,* नई दिल्ली, (पृ0 ए–1) पैरा–4

41. एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांस (2016), *भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग*, नई दिल्ली, (पृ0 ए–3), पैरा–25(ए)
42. एजुकेशनल स्टैटिसटिक एट ए ग्लांस (2016), *भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग*, नई दिल्ली, (पृ0 36) पैरा– 25
43. ब्लैकलीज, डेविड एण्ड वेरी हन्ट (1985), *सोशियोलॉजिकल इण्टरप्रटेशन ऑफ एजुकेशन–वाशिंगटनः* क्रूम हेल्म।
44. सरोज के (1999), *स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग द फीमेल स्कूल ड्राप–आउट फिनोमिनन इन रूरल एरियाजः* ए केस स्टीडी, जर्नल ऑफ एजूकेशन एण्ड सोसल चेंज, 12(14)ः (पृ0 28–37)।
45. त्रिपाठी, जी0एस0 (1996), *"बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा को अवरोधित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक"*, एस0सी0ई0आर0टी0 प्रोजक्ट लखनऊ।
46. डॉ0 जितेन्द्र गुप्ता (2014), *भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण की समीक्षा,* मध्य भारती शोध पत्रिका मानविकी, जनवरी।
47. वर्मा, बिहारी सवलिया (2011), *ग्रामीण महिला शिक्षा (ग्रामीण सशक्तीकरण ग्रंथमाल–19)* प्रकाशक यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
48. अग्रवाल, कुमार, मनोज, निगम, सुधीर कुमार (2004), *उत्तर प्रदेश में विकास योजनाऐं,* प्रकाशित नार्दन बुक सेन्टर, नई दिल्ली।
49. बाराबंकी – भारतकोष ज्ञान, विकीपीडिया।
50. जिला सांख्यिकी पत्रिका बाराबंकी (2012–13)।
51. गुप्ता, एस0 पी0 (1986), *भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें।* इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
52. गिरि, कुसुम (1997), *शिक्षा का समाजशास्त्र।* जयपुर : रावत पब्लिकेशन।
53. गुप्ता. एस0 पी0 (1998), *शिक्षा का ताना–बाना।* इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

54. चौबे, सरयू प्रसाद (1983), *हमारी शिक्षा समस्यायें*। आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।

55. चतुर्वेदी, सीताराम (1970), *शिक्षा दर्शन*। लखनऊ : हिन्दी समिति सूचना विभाग।

56. जौहरी, बी. पी एवं पी. डी. पाठक (1970), *भारतीय शिक्षा उसकी समस्यायें*। आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।

57. धवन, एम0 एल0 (2005), *एजुकेशन स्टेट्स इन इण्डिया*। नई दिल्लीः ईशा बुक्स।

58. प्रेमनाथ (1969), *शिक्षा के सिद्धान्त*। इलाहाबादः लोकभारती प्रकाशन।

59. पाठक, आर0 पी0 (2011), *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त*। नोएडा : नॉजेल पार्क पियर्सन एजुकेशन।

60. पाठक, पी0 डी0 (2004), *भारतीय शिक्षा एवं उसकी समस्यायें*। आगराः विनोद पुस्तक मंदिर।

61. पाण्डेय, राम शकल (2005), *शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि*। आगराः विनोद पुस्तक मंदिर।

62. पाण्डेय, राम शकल (2002), *भारतीय शिक्षा – दर्शन*। आगराः अग्रवाल एण्ड सन्स।

63. प्रसाद, मुनेश्वर (1969), *भारतीय शिक्षा का इतिहास*। पटनाः श्री अजन्ता प्रेस।

64. वाजपेयी, एल. बी. एवं मालती सारस्वत (2004), *भारतीय शिक्षा का विकास एवं समाजिक समस्यायें*। लखनऊ ' आलोक प्रकाशन।

65. मिश्र, आचार्य दुर्गाशंकर (1992), *भारतीय शिक्षा का इतिहास*। लखनऊः प्रकाशन केन्द्र, न्यू बिल्डिंगस, अमीनाबाद।

66. रजा, मुनिस (1997), *शिक्षा और विकास सामाजिक आयाम*। नई दिल्लीः ग्रन्थ शिल्पी।

67. रावत, प्यारे लाल (1963), *भारतीय शिक्षा का इतिहास*। आगराः राम प्रसाद एण्ड सन्स।

68. रुहेला, सत्यपाल (1972), *भारतीय शिक्षा का समाजशास्त्र*। जयपुरः राजस्थान, हिन्दी अकादमी।

69. रस्क, आर0 आर0 (1972), *शिक्षा के दार्शनिक आधार*। जयपुरः हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।

70. लाल, रमन बिहारी (2010), *भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्यायें*। मेरठः रस्तोगी पब्लिकेशन्स्।

71. लाल, रमन बिहारी एवं कृष्णकान्त शर्मा (2012), *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ*। मेरठः आर0 लाल बुक डिपों।

72. वर्मा, एस0 (1969), *द फिलॉसफी ऑफ इण्डियन एजुकेशन*। मेरठः मीनाक्षी प्रकाशन।

73. शर्मा, उमा रानी (2008), *शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार*। लखनऊः आलोक प्रकाशन।

74. शर्मा, सीताराम (2011), *शिक्षा के समाजिक आधार*। नई दिल्लीः करन पेपरबैक्स।

75. सक्सेना, आर0 एन0 (1960), *भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थायें*। कलकत्ताः मैक मिलन कम्पनी।

76. सफाया, रघुनाथ (1986), *भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्यायें*। दिल्ली : घनपत राय एण्ड सन्स।

77. स्मिथ, फिलिप जी0 (1965), *फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन*। न्यूयार्कः हॉर्पर एण्ड रो।

78. सिंह, जी0 पी0 (1958), *हमारी शिक्षा*। वाराणसीः हिन्दी प्रचारक पुस्तिका।

79. यादव, राजेश (2011), *विश्व के महान शिक्षा–शास्त्री*। पिलानी जयपुरः कपील प्रकाशन।

80. देसाई, डी0 एम0 (1953), *कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इण्डिया*। बाम्बे : द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन।

81. चौबे, सरयू प्रसाद (1980), *भारतीय शिक्षा शास्त्री*। इलाहाबादः किताबघर।

82. उपाध्याय, डॉ0 प्रतिभा (1999), *भारतीय शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ।* इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन।

83. कुप्पू स्वामी, वी0 (1985), *ए सोशियोलॉजिकल एप्रोच टु इन्डियन एजुकेशन।* आगराः विनोद पुस्तक मंदिर।

84. कबीर, हुमायुँ (1962), *इन्डियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन।* मुम्बई : एशिया पब्लिशिंग हाउस।

85. District elementary education report card : (2011-12)

86. Das R. C. (1969), SIE Assam

87. Mandal G. L. (1980), Unpublished, D. Litt. Education, Bihar University

88. Sharma S. C. (1982), SIERT, Rajsthan, 1982

89. Devi K. G., (1983), Unpublished, Ph. D. Education Gao University

90. State Institute of Education (SIE) 1986 U.P. Allahabad

91. Kulkarni. U. N. (1986), Unpublished, Ph. D. Education, Shri University

92. Bokil B. G. (1987) Unpublished, Ph. D. Education, Poona University

93. Raina B. L. (1988) Unpublished, Ph. D. Education the Maharaja Shiyajirao University of Baroda

94. Thakur T. Sharma, Nirmala J. Mahanta U. J. Sharma. Dipti & Goswami, G. C. 1988. Dropout in the primary school of Assam : Airport, Independent Study State Institute of Education, Assam

95. Gupta J. K. Rastogi, P. K. Gupta M. K. Srivastava A. B. L. 1989. National Council of Education Research and Traning, New Delhi

96. Buch, M. B. and Sudama, G. R., (1990), Urban Primary Education in Gujrat: An Indepth Study Independent Study, The Maharaj Siyajirao University of Baroda.

97. Bhargave. S.M. Ph.D. Education, Maharaja Sivajirao University of Baroda.

98. Moeyamma.V.G. (1991), A study of the causes carrelates of wastage among scheduled castes pupil at the primary stage. Unpublished Ph.D. Education University of Kerala. Fifth survey of education research. Education of the scheduled castes scheduled tribes and minorities.Valume1,1992, page 580.

99. Chavares D.S., (1991), The problem student dropping out of primary school of the Poone Municipal corporation. M. Phil. Soc. Sc. Tilak Maharasthra Vidhyapeeth

100. Govinda R. and Varghese N. V. (1991), The quality of basic educations service in india–A case study of primary schooling Madhya Pradesh independent nationa institute of Educational planning and administration.

101. Mishra A. (1992), A study on the development of girls. Education at the primary stage in Orisa since indendence to 1977, Education revenshaw college Cuttack

102. Sharma, Nirmala, (1952), Independent study Jorhat: state institute of Education.

103. Vyas J. C. et. al. (1992), Indepentent study. Udaipur: State Institute of Educational research and training.

104. Sharma Abha, (1992), Unpublished, Ph. D. Edu. University of Lucknow.

105. Ralte, Lalliani (1992), Unpublished, Ph. D. Edu. North–Eastern Hill University.

106. Kamble P. R. (1992). A critical study of the effect of facilities given by the government to the backward classes public in primary schools in devgad Taluka, maharastra: M. Phil, education adarsha Comprehensive college of education and research, Pune. Volume1,1992 (Page 584).

107. Ambast N. K. and Rath K. B. (1995) Effect of household community and school factors on the effectiveness and learning achievement at primary stage. International prospective, New Delhi National fifth survey of educational research. Education of the scheduled castes, scheduled tribes and minorities. Valume 1, 1992.

छात्र प्रश्नावली

सामान्य जानकारीः–

विद्यार्थी का नाम .....कक्षा.....आयु.....

जाति–1. सामान्य ( ) 2. पिछड़ा वर्ग ( ) 3. अनुसूचित जाति ( )

4. अनुसूचित जनजाति ( ) 5. अल्पसंख्यक ( )

उपजाति–.....

धर्म– 1. हिन्दू ( ) 2. मुस्लिम ( ) 3. सिक्ख ( )

4. ईसाई ( ) 5. बौद्ध ( )

विद्यालय का नाम.....

विद्यालय का स्वरूप– 1. सरकारी ( ) 2. अर्द्धसरकारी ( )

3. निजी ( ) 4.कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीयविद्यालय ( )

विद्यालय के प्रकार– 1. प्राथमिक ( ) 2. उच्च प्राथमिक ( )

गाँव का नाम .....

विकास खण्ड का नाम.....

जनपद का नाम.....

राज्य का नाम.....

पारिवारिक जानकारीः–

पिता का नाम.....

माता का नाम.....

पिता की शिक्षा– 1. निरक्षर 2. प्राथमिक 3. उच्च प्राथमिक
4. हाईस्कूल 5. इण्टरमीडिएट 6. स्नातक
7. परास्नातक

माता की शिक्षा– 1. निरक्षर 2. प्राथमिक 3. उच्च प्राथमिक
4. हाईस्कूल 5. इण्टरमीडिएट 6. स्नातक
7. परास्नातक

पिता का व्यवसाय–

1. कृषि ( ) 2. मजदूरी ( ) 3. सरकारी नौकरी ( )
4. प्राइवेट नौकारी ( ) 5. व्यवसाय ( ) 6. अन्य .....

माता का व्यवसाय –

1. गृहणी ( ) 2. कृषि ( ) 3. मजदूरी ( )
4. सरकारी नौकरी ( ) 5. प्राइवेट नौकरी ( ) 6. व्यवसाय ( )
7 अन्य .....

परिवार का प्रकार – 1. संयुक्त ( ) 2. एकाकी ( )

मकान का स्वरूप– 1. कच्चा ( ) 2. पक्का ( ) 3. मिश्रित ( )

परिवार की मासिक आय.....

परिवार की श्रेणी–

1 .ए.पी.एल. ( ) 2 .बी.पी.एल. ( ) 3. अन्त्योदय ( )

3. विद्यालय से सम्बन्धित प्रश्न–

1. क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाती है? 1– हाँ ( ) 2– नहीं ( )

2. प्रतिदिन स्कूल न जाने के मुख्य क्या कारण हैं?

स्कूल में अच्छा न लगना ( ) पढ़ाई में रुचि न होना ( )

छोटे भाई बहनों की देखभाल( ) अन्य कारण ( )

3. आपके स्कूल में जो मध्यान्ह भोजन मिलता है वो आपको पसन्द आता है?

1– हाँ ( ) 2– नहीं ( )

स्कूल में गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी–

5. आपको स्कूल में विषय के अतिरिक्त और क्या सिखाया जाता हैं?

खेलकूद ( ) नृत्य ( )
गायन/अन्ताक्षरी ( ) उपरोक्त सभी ( )
कुछ नहीं ( ) अन्य.....

पढ़ने की स्थिति को जानना–

6. बालिकाओं द्वारा हिन्दी विषय की पाठ्य–पुस्तकों को पढ़ने की स्थिति के संदर्भ में जानकारी – हाँ ( ) 2. नहीं ( )

7. बालिकाओं द्वारा अंग्रेजी विषय की पाठ्य–पुस्तकों को पढ़ने की स्थिति के संदर्भ में जानकारी – हाँ ( ) 2. नहीं ( )

अभिभावक प्रश्नावली

उत्तरदाता का नाम.....

1. बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की दृष्टिकोण–

आपका अपनी लड़की को शिक्षित करने का क्या उद्देश्य हैं?

पढ़ाई के महत्व को समझते है ( ) विवाह आसानी से होना ( )
आत्मनिर्भर बनाने के लिए ( ) उपरोक्त सभी ( )
अन्य.....

2. क्या आप अपने लड़के/लड़कियों को शिक्षा में समान अवसर देते हैं?

1– हाँ ( ) 2– नहीं ( )

3. आपके विचार से क्या लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना ही पर्याप्त है?

1– हाँ ( ) 2– नहीं ( )

4. आपकी लड़की जितना पढ़ना चाहेगी क्या आप उसे उतना पढ़ायेंगें?

1– हाँ ( ) 2– नहीं ( )

2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता–

क्या आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में जानते हैं?

1– हाँ ( ) 2– नहीं ( )

यदि हाँ तो किस माध्यम से–

1. स्कूल के अध्यापक द्वारा ( )
2. समाचार पत्रों द्वारा ( )
3. टीवी/रेडियों द्वारा ( )
4. जागरूकता अभियान द्वारा ( )
5. अन्य.....

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 25 प्रतिशत का आरक्षण तथा निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है, क्या आपको इसकी जानकारी है?

1– हाँ ( ) 2– नहीं ( )

7. यदि प्राईवेट विद्यालय में पढ़ाते है तो क्या आपसे कैपिटेशन फीस ली जाती है?

1–हाँ ( ) 2– नहीं ( )

जिस विद्यालय में आपकी लड़की पढ़ने जाती है क्या वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधायें हैं? 1–हाँ ( ) 2– नहीं ( )

विद्यालय द्वारा बुलाई गई अभिभावक मीटिंग में क्या आप भाग लेते हैं?

1–हाँ ( ) 2– नहीं ( )

क्या आप अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानने के लिये अध्यापक से मिलते हैं?

1–हाँ ( ) 2– नहीं ( )

11. क्या आपको विद्यालय शिक्षा समिति की जानकारी हैं?

1–हाँ ( ) 2– नहीं ( )

अध्यापक हेतु प्रश्नावली

1. सामान्य जानकारी–

नाम.....उम्र.....लिंग– 1– महिला ( ) 2– पुरूष ( )

शैक्षिक योग्यता–

1. हाईस्कूल( ) 2. इण्टरमीडिएट ( ) 3. बी.ए. ( ) 4. बी.एस.सी. ( )

5. बी.काम ( ) 6. एम.ए. ( ) 7. एम.एस.सी ( ) 8. अन्य.....

प्रशिक्षण योग्यता–

1. बी.टी.सी. ( ) 2. बी.एड. ( ) 3. एल.टी ( ) .4. बी.पी.एड ( )

5. एम.एड. ( ) 6. अप्रशिक्षित ( )

विद्यालय का नाम.....

विद्यालय का स्थापित वर्ष.....

विद्यालय का स्वरूप

1– सरकारी ( ) 2– अर्द्धसरकारी ( )

3– निजी ( ) 4– कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ( )

विद्यालय के प्रकार– 1. प्राथमिक ( ) 2. उच्च प्राथमिक ( )

अध्यापक के रूप में– 1. प्रधानाध्यापक ( ) 2. सहायक अध्यापक ( )

3. शिक्षा मित्र ( ) 4. अनुदेशक अध्यापक ( )

2. विद्यालय में अध्यापकों की कुल संख्या.....

पुरूष				महिला			
सामान्य	ओ.बी.सी.	एस.सी.	एस.टी.	सामान्य	ओ.बी.सी.	एस.सी.	एस.टी.

3. प्राथमिक विद्यालय में नामांकित बालक/बालिकाओं की संख्या–

प्राथमिक विद्यालय																
	कक्षा–1			कक्षा–2			कक्षा–3			कक्षा–4			कक्षा–5			
वर्ग	बा0	बालि0	कुल	बा0	बालि0	कुल	बा0	बालि0	कुल	बा0	बालि0	कुल	बा0	बालि0	कुल	कुल
सामान्य																
ओ.बी.सी.																
एस.सी.																
एस.टी.																
अल्पसंख्यक																
कुल योग																

4. उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकित बालक/बालिकाओं की संख्या

उच्च प्राथमिक विद्यालय										
	कक्षा–6			कक्षा–7			कक्षा–8			
वर्ग	बालक	बालिका	कुल	बलक	बलिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	कुलयोग
सामान्य										
ओ.बी.सी.										
एस.सी.										
एस.टी.										
अल्पसंख्यक										
कुल योग										

5. स्कूल छोडने वाले बच्चों की संख्या (प्राथमिक स्तर)

स्कूल छोडने वाले बच्चों की संख्या (प्राथमिक स्तर)														
	कक्षा–1 कक्षा–2				कक्षा–3			कक्षा–4			कक्षा–5			कुल
वर्ग	बा0	बालि0	कुल	बालि0	बा0	बालि0	कुल	बा0	बालि0	कुल	बा0	बालि0	कुल	
सामान्य														
ओ.बी.सी.														
एस.सी.														
एस.टी.														
अल्पसंख्यक														
कुल योग														

स्कूल छोडने वाले बच्चों की संख्या (उच्च प्राथमिक स्तर)										
स्कूल छोडने वाले बच्चों की संख्या (उच्च प्राथमिक स्तर)										
	कक्षा–6			कक्षा–7			कक्षा–8			
वर्ग	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	कुल
सामान्य										
ओ.बी.सी.										
एस.सी.										
एस.टी.										
अल्पसंख्यक										
कुल योग										

विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ–

क्र0स0	विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ–	हाँ	नहीं
1	भवन की स्थिति 1.कच्चा 2.पक्का 3. अन्य		
2	प्रत्येक कक्षा के लिए अलग–अलग कमरों की संख्या		
3	बिजली व्यवस्था		
4	पानी पीने की व्यवस्था बालक/बालिका हेतु शौचालय की व्यवस्था		
5	बालक/बालिका हेतु शौचालय की व्यवस्था		
6	विद्यालय की चहार दीवारी		
7	खेल सामग्री की व्यवस्था		
8	पुस्तकालय की व्यवस्था		
9	पुस्तकालय पठन–पाठन शिक्षण सहायक सामग्री		
10	छात्रों हेतु फर्नीचर की व्यवस्था		
11	छात्रों हेतु टाटपट्टी की व्यवस्था		
	छात्रों हेतु चटाई की व्यवस्था		
12	खेल का मैदान		
13	मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था		
14	छात्रवृति की व्यवस्था		
15	निःशुल्क पुस्तकें/स्कूल ड्रेस की व्यवस्था		

प्रश्न–

बच्चों एवं शिक्षकों का अनुपात.....

2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद क्या बालिकाओं के नामांकन स्थिति में सुधार हुआ ? 1. हाँ 2. नहीं

3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद क्या बालिकाओं के स्कूल छाडने की स्थिति में सुधार हुआ है? 1. हाँ 2. नहीं

4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद क्या बालिका शिक्षा की उपलब्धि का स्तर सन्तोषजनक है? 1. हाँ 2. नहीं

5.आपके विचार से क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम से लैंगिक असमानता में कमी आ रही है? 1–हाँ ( ) 2– नहीं ( )

6 .विद्यालय द्वारा बुलाई गई अभिभावक मीटिंग में क्या अभिभावक भाग लेते है?

1–हाँ ( ) 2– नहीं ( )

7. बालिका शिक्षा के सुधार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? .....
.....
.....

8. आपके विचार से प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या उपाय हो सकते है? .....
.....
.....